Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

शुक्रवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६४.

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजकर ५ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, गृह-राजस्व, स्वायत्त शासन, खाद्य, चिकित्सा, उपनिवेशन, सिंचाई, गृह, स्वास्थ्य, कृषि एवं नियुक्ति विभाग)।

फेमीन रिलीफ वर्कस, तहसील पाली

१०१४. **श्री केसरीसिंह** : (पाली): Will the Minister for Famine Relief Department please reply:—

(1) Is it a fact that famine relief works which were drawing hundreds of labourers everyday in villages Gudga, Evla, Miniyari, Bhanwari etc. etc. (of Tehsil Pali) have been stopped because funds therefor proposed have been spent and further funds not proposed or sanctioned yet

(2) Is it true that works recommended to be started immediately in village Dayalpura, Roopwas, Kanelao, Thakurla, Tewali, Kherwa, Sonej Maji, Lambiya etc. by the Tehsil Relief Committee, Pali, on the 18th February, 1964 have not yet been started despite the persistent requests of the Vikas Adhikari, Pali in this respect to the Tehsildar concerned ?

(3) Is it also true that drinking water previously proposed and approved to be supplied to a number of villages of Tehsil Pali from the Jawai-Jodhpur canal has not yet been released to some of those villages (namely Jetpura and Poonayatan in particular) inspite of the persistent request of the Vikas Adhikari Pali in this respect to the authorities concerned.

(4) Will the Government act with speed to make amends even now ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी नहीं, गुड़ा एन्डला में कार्य पूरा कर दिया है तथा मणियारी, भंवरी में कार्य बंद नहीं हुआ है।

Page No. 2

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(२) जी नहीं । सभी स्थानों पर काम प्रारम्भ किया जा चुका है ।

(३) जी नहीं । ८,१० गांवों के अतिरिक्त पाली जिले के सभी प्रस्तावित गांवों में पानी दिया जा चुका है । तारीख २७,२८ और २९ मार्च को जैतपुरा, पूनायतन में पानी पहुंच चुका है ।

(४) ऊपर भाग (३) में उल्लेख किया जा चुका है ।

श्री केसरीसिंह : यह शोर्ट नोटिस क्वेश्चन था, २५ तारीख को किया था उसके बाद काम प्रारम्भ किया उसकी खुशी है, लेकिन ग्राम दयालपुरा, रूपावास, कानेलाओ, ठाकुरला, तेवाली, खेरवा, सोनेई माजी, लाम्बिया आदि स्थानों पर भी क्या काम प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां ।

श्री केसरीसिंह : कब से ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कुछ गांवों में ३ तारीख से और कुछ में ५ तारीख से काम शुरू कर दिया है ।

केस का चालान

१०१५. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** : (गंगापुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार बनाम गुलाबचंद, श्री जगन्नाथ, रेवाचन्द पालीवाल, खेमचन्द, प्रकाशचन्द वगैरह का केस २९ जून, १९६२ को पुलिस को जांच के लिये दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो आज तक उस केस का चालान न करने का क्या कारण है ? —

उप मंत्री गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य) : इससे पहले कि कुछ उत्तर प्रस्तुत करूं मेरे कुछ आब्जेक्शन्स हैं, क्योंकि इस प्रश्न का माननीय सदस्य के उस इलेक्शन से संबंध है जिसमें माननीय सदस्य कम्पलेनेन्ट है और माननीय सदस्य का इसमें इन्टरेस्ट है इसलिये Point of Privilege है, क्योंकि ऐसे मामले will come under breach of Privilege. Under rule 160 I can raise an issue of Breach of Privilege on the floor of the House.

इसके साथ ही मैं पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस का हवाला देना चाहता हूं जिसके अनुसार जिस मामले में किसी माननीय सदस्य का निहित स्वार्थ हो अपने मामले का एडवोकेट करने का प्रश्न आता हो तो ब्रीच ऑफ प्रिवलेज का प्रश्न आता है :

"It is contrary to the usage and derogatory to the dignity of this House that any of its members should bring forward, promote or advocate in this House any proceding or measure in which he may have acted or been concerned for or in consideration of any pecuniary fee or reward."

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य इसमें मुस्तगीस हैं और कॉंट्रेक्टिंग पार्टी हैं। माननीय सदस्य ने ही सारी कार्यवाही की

Page No. 3

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

हैं, वे इसको स्पीड अप कराना चाहते हैं, वे इसके रिजल्ट में इन्ट्रेस्टेड हैं इसलिये उन्होंने अपने पर्सनल पॉवर्स को यूज करके एडवोकेट किया है इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं दिया जाना चाहिये। अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार भी इससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज संन्निहित है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने ऐसे प्रश्न पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की आड़ लेकर एक मुलजिम को बचाने की चेष्टा की है। प्रिविलेज मोशन मूव करें न करें, लेकिन आपने जिस प्रकार पक्षपात किया है वह सदन में आयेगा, आपने प्रिविलेज मोशन मूव किया, आप स्वयं रूल्स जानते हैं। आप जिस प्रकार का प्रिविलेज मोशन मूव करते हैं वह इन्हीं रूल्स में प्रिविलेज नहीं होता। प्रश्न माननीय सदस्य का इलेक्शन से संबंधित है। इस मामले में चार-पांच बार व्यक्तिगतरूप से मैंने प्रश्न उठाया, सदन में कई बार चर्चा की, लेकिन सरकार कान में तेल डाले रही, सरकार सो गई। इस स्थिति में यह प्रश्न सदन में आता है तो यह किस तरह से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न हो गया? सदन में यह प्रश्न माननीय सदस्य के नाम से आता है, हम भी बैठे हैं, तो यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कैसे होगा? कॉग्नीजेबल ऑफेन्स है जिसमें यदि किसी के यहां चोरी होती है, उसने रिपोर्ट नहीं की है और मैंने चोरी की रिपोर्ट की है, कहीं मर्डर हुआ है उसकी रिपोर्ट माननीय सदस्य थाने में करें या मेरे मकान में चोरी हो जाय और मुरलीधरजी थाने में रिपोर्ट कर दें तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं होता। मुरलीधरजी चोरी के मामले में हाउस में क्यों बोलते हैं, यह वे कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं करते हैं। आपने जिस प्रकार इसके ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मोशन बनाया है वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है। एस. डी. ओ. की कोर्ट में कागजों में रद्दोबदल किया जाता है, एस. डी. एम. को रिपोर्ट करते हैं, माननीय सदस्य गवाह के रूप में आते हैं और इस प्रश्न के बारे में जानकारी करना चाहते हैं तो मंत्रीजी कहते हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया। इस प्रकार ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा तब तो जितने भी इस प्रकार के केसेज होंगे उनमें किसी विधान सभा के सदस्य को गवाह बना दिया तो आप कहेंगे कि यह तो फलां केस में पार्टी हैं। एस. डी. ओ. के कोर्ट में, निकम्मी सरकार के राज्य में कागज बदले गये और आप कहते हैं कि बोलो नहीं. . . . .

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. किसने दी है?

श्री भैरोंसिंह : एस. डी. ओ. ने दी है।

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. यदि एस. डी. ओ. ने दी है तो माननीय सदस्य पार्टी कैसे हुए?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा सिर्फ यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, यह पॉइन्ट एडमिसिबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज का केस इस तरह तय नहीं किया जाना चाहिये जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं हों। इसके बारे में जो, आर्ग्यूमेंट्स हों उनको लिखित रूप में देदें, जो लिखित दें, उसमें जो प्रिसिडेंस हों, उनका संकेत कर दें। उसके बाद निर्णय करें।

Page No. 4

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस क्वेश्चन में पूछे गये मामले के भी माननीय सदस्य कम्प्लेनेन्ट हैं ....

श्री अध्यक्ष : उसका निर्णय इस समय नहीं करेंगे इस मौखिक वाद-विवाद के आधार पर ....

श्री भैरोंसिंह : जवाब तो दिलायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा एक ऐतराज था। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, यह नहीं है कि इसकी जानकारी नहीं है। वैसे भैरोंसिंह जी और उनके स्तर में बहुत फर्क है। Shri Bhairon Singh can put the question, but the hon. Member is interested in the case personally. यह मेरा पॉइन्ट था।

श्री भैरोंसिंह : Now that has been ruled out.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : All of us are interested in the case.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, कोई माननीय सदस्य किसी मामले में इन्टरेस्टेड हों, उसमें पार्टी हों तो क्या वे स्वयं प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : This is no point of order. This is hypothetical question. पॉइन्ट ऑफ आॅर्डर कोई नहीं है इसमें।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय सदस्य इस मामले में इन्टरेस्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष : तो मैंने जैसा निवेदन किया है, सारे तथ्य लिखित में दे दें, जांच कर ली है; उसका फैसला बता दें, प्रिसिडेंस बता दें, तब कुछ कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार के अहम् प्रश्न पर मौखिक रूप से वाद-विवाद करके तय करना मुनासिब नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (१) जी हां।

(२) केस पेचीदा होने से तथा कुछ अभियुक्तों का शीघ्र पता न लगने से तफतीश शीघ्र सम्पूर्ण नहीं हो सकी। अब तफतीश करीब-करीब सम्पूर्ण हो चुकी है और कुछ जाली दस्तावेजात के परीक्षण का परिणाम हस्ताक्षर विशेषज्ञ से प्राप्त होना बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : इस मामले में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं है......

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको कुछ मालूम नहीं है तो जवाब देने के लिये क्यों खड़े हो गये हैं। मैं कहता हूं कि इस मामले में आदमियों को गिरफ्तार किया है !

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जवाब दिया...........

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि गिरफ्तार किये हैं। आपको नॉलेज नहीं है.....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कहते हैं कि नॉलेज नहीं है.......

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर सुनें तो सही।

श्री भैरोंसिंह : यह झूठ क्यों बोलते हैं ?

श्री अध्यक्ष : झूठ का प्रश्न नहीं है, आप तो सूचना चाहते हैं वह माननीय मंत्री महोदय ने बताई।

Page No. 5

श्री भैरोंसिंह : इस मामले में कितने गिरफ्तार हुए और कब हुए, यह बतायें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : The offences are non-cognizable under sections 408, 193, 466 and 477-A. गिरफ्तारी का प्रश्न पैदा कहां होता है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं कहता हूं कि गिरफ्तार हुए या नहीं..यह बतायें ?

श्री अध्यक्ष : यह मामला हुआ, इसमें गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। इस मामले में कुछ आदमी गिरफ्तार हुए हैं। इस संबंध में इस सदन में मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, गृह मंत्रीजी ने कहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: 'गिरफ्तारी' का मतलब अन्डर कस्टडी नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : 'गिरफ्तारी' का मतलब एरैस्ट होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये लोग बेल–आउट हो गये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : They have been released on bail by the court.

श्री अध्यक्ष : तो यह पहले ही बता देते।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री गलत बात कहने के आदि हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इनके खिलाफ निश्चित रूप से एक्शन लिया जाय, अगर इस सदन में इस प्रकार गैर-जिम्मेदारी से बात कह दी जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें गैर-जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है······

श्री भैरोंसिंह : फाइल से डाक्यूमेंट टेम्पर करने का सवाल है ···

श्री निरंजननाथ आचार्य : They have been bail out and the offences are of this ature, non-cognizable इसमें कोई प्रश्न नहीं है गैर–जिम्मेदारी का···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न अन्डर कस्टडी का नहीं था। प्रश्न यह ह कि गिरफ्तारी हुई या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'गिरफ्तारी' से यह मतलब नहीं समझा। आप उनको अन्डर कस्टडी मानते हैं, इसमें अन्डर कस्टडी नहीं है, they are not under custody

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह

श्री भैरोंसिंह : यह इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब तो दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जवाब तो स्पष्ट आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन कागजात की जांच करवा रहे हैं वे गायब हो गये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गायब नहीं हुए हैं। हस्ताक्षर एक्सपर्ट के पास हैं। वे उन पर अपनी ओपीनियन दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि स्पेश्यलिस्ट के पास जो कागज भेजे हैं, उसने यह सूचना दी है कि जिन कागजों का उल्लेख किया है वे मेरे पास नहीं पहुंचे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी जानकारी नहीं है । जानकारी, अध्यक्ष महोदय, यह है कि हम उसको जल्दी से जल्दी रिसीव करने वाले हैं, एक्सपर्ट की ओपीनियन को ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कागजों को भेजे हुए बीस महीने हो चुके हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह सही है कि विलम्ब हो चुका है । कागजों पर एक्सपर्ट की राय लेने और तथ्य जानने में देरी लगती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के पास एक्सपर्ट की तरफ से यह लिखा हुआ आ गया है, आज से आठ महीने पहले कि कागज मेरे पास नहीं पहुंचे हैं, उसके बाद सरकार की ओर से उस एक्सपर्ट को कुछ नहीं लिखा गया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसी जानकारी अध्यक्ष महोदय, नहीं है । जानकारी यह है कि विशेषज्ञ के पास कागज हैं और वे जो ओपिनियन दे रहे हैं वह प्राप्त होने वाली है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या विशेषज्ञ से किसी प्रकार की रसीद मिली है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या ?

श्री भैरोंसिंह : रसीद ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रसीद का प्रश्न पैदा नहीं होता । हमारा डिपार्टमेन्ट एक कॉन्फीडेंशियल डिपार्टमेन्ट है और सब चीजें स्ट्रिक्टली सीक्रेट रहती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : २२ महीनें के बाद भी रिपोर्ट क्यों नहीं दी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पेचीदा सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह : पेचीदा सवाल आपके लिए हो सकता है । एक्सपर्ट के लिए पेचीदा सवाल कैसे होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक्सपर्ट को ओपीनियन देने से पहले स्पेसीमैन को एग्जामिन करना होता है, केमीकल्स यूज में लेने पड़ते हैं । इसके अलावा वह हेवीली बर्डन होता है । इस डिपार्टमेन्ट का जो एक्सपर्ट है वह हेवीली बर्डन्ड होता है, इसलिए देरी स्वाभाविक है ।

श्री भैरोंसिंह : यह सरकार बाकी के मामलों में पक्षपात करे तो यह सरकार को शोभा दे सकता है । लेकिन जो सरकार डेमोक्रेसी में बिलीव करती है और डेमोक्रेसी का बेसिक इलेक्शन है अगर इलेक्शन के मामले में गवर्नमेन्ट की मशीनरी से मिल-जुल कर यदि किसी के द्वारा हमारे वाउचर्स और अकाउन्ट्स, इन चीजों का टेम्परिंग होता है और राज्य सरकार इस प्रकार से गैर-जिम्मेदारी से व्यवहार करती है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, गैर-जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है, हम उसका चालान करने वाले हैं ।

श्री भैरोंसिंह : और इस प्रकार किसी आदमी को बचाने की कोशिश करती है ।

Page No. 7

श्री अध्यक्ष : बचाने का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि देरी हुई है, अब जल्दी जांच समाप्त करके कार्यवाही करेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : इसकी जांच हो जानी चाहिए थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि वहां से कई आफिसर्स का ट्रान्सफर कर दिया। जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको आप ट्रान्सफर कर देते हैं। जो गवाही देने की कोशिश करते हैं उनको डरा देते हैं केवल इसलिए कि जो मुलजिम हैं वे मुलजिम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनके घर के लोग हैं······

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार यदि इलेक्शन के अकाउन्ट्स को बदला जाय, इलेक्शन के वाउचर्स को बदला जाय, ऐसी बात अगर दूसरे कन्ट्री में हो जाय तो सरकार को त्याग-पत्र दे देना पड़ता है·····

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस मामले में सारी कार्यवाही बड़ी इम्पार्शियल तरीके से हुई है····

श्री भैरोंसिंह : यह झूठ है, बिल्कुल झूठ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कह रहा हूं कि इसका चालान किया जाने वाला है। एक एक तथ्य के सम्बन्ध में जांच कराई है, इम्पार्शियल तरीके से एग्जामिन कराया है। इसमें कोई और प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आज तक सात डिप्टी एस० पी० इसी केस को लेकर ट्रान्सफर कर दिये गये हैं। जो भी ईमानदारी से काम करना चाहता है उसका ट्रान्सफर कर दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को कहना चाहता हूं कि आप वृद्धिचन्द पालीवाल को नहीं बचा पायेंगे, आप कितनी ही कोशिश करें। इस मसले को लेकर आगे नहीं चलना चाहते, यह डेमोक्रेसी का प्रश्न·······

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें किसी को बचाने का प्रश्न नहीं है। इन्क्वायरी का प्रश्न है उसके लिए ज्यादा क्वालिफाइड और काबिल आदमी को अपाइन्ट किया है।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी इन्डीविजुअल को बचाने का प्रश्न नहीं है·····

श्री भैरोंसिंह : वही सवाल है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझसे कुछ दिन पहले गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य मिले थे। उन्होंने कहा विलम्ब हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी थी। उसके बाद में पुलिस के अधिकारियों को जल्दी से जल्दी इस केस के बारे में आगे कार्यवाही करने के लिए कहा गया है और उस पर कार्यवाही की जायगी। किसी को बचाने या किसी को नहीं बचाने का या किसी के कहने से किसी को फांसने का सवाल सामने नहीं आता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय·····

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : २२ महीने का टाइम···

श्री विजयसिंह झाला : इस बात को सहन कैसे कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री मुरलीधर व्यास : एम० ए० एल० का····

श्री अध्यक्ष : Order Please !

श्री मुरलीधर व्यास : सवाल यह है..

श्री अध्यक्ष : सवाल यह है कि आप नहीं बोलेंगे । श्री जोधसिंह ।

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक इसकी कार्यवाही कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : Order please ! श्री जोधसिंह ।

भूमि का एलाटमेंट, तहसील गिरवा

१०१६. श्री **जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील के कई गांवों में फरवरी, १९६३ में जो भूमि का एलाटमेन्ट हुआ है उनकी खाते की पानड़ियां तो मिल गई हैं लेकिन कुराबड में जो एलॉटमेन्ट जून, १९६१ में हुआ है उसकी पानडियां अब तक नहीं मिली हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन श्री परसराम **मदेरणा** (१) फरवरी, १९६३ में गिरवा तहसील में जिस भूमि का एलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में एलॉटमेंट शुल्क, १९५७ के अनुसार प्रार्थीयान को सूचित कर दिया गया तथा पटवारी को नियमानुसार अमलबरामद करने के आदेश दिए गये । अलग से कोई पानड़ी नहीं दी गई ।

(२) जून १९६१ में कुराबड़ में कोई एलॉटमेंट नहीं हुआ ।

श्री जोधसिंह : जून, १९६१ में अलाटमेंट हुआ है । इसके बारे में जांच की जाय जो अलाटमेंट हुआ है उसकी आपको सूचना नहीं है ।

श्री **परसराम मदेरणा** : कलेक्टर उदयपुर से जो सूचना मुझे मिली है उनका पत्र दिनांक १-४-६४ का है इसमें साफ उल्लेख किया है कि रिकार्ड से मालूम किया गया है कि जून, १९६१ में कोई अलॉटमेंट कुराबड़ में नहीं हुआ है । इसलिए जहां तक अलॉटमेंट का प्रश्न है अलॉटमेंट देने-करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । यह इत्तला दी है आपने, यह आप इत्तला देते हैं अलॉटमेंट हुआ है तो उसकी जानकारी कर लेंगे । गलत जवाब का प्रश्न नहीं है । कलेक्टर के दफ्तर से जो जानकारी आई है वह मैंने आपको बताई ।

श्री **जोधसिंह** : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न है उसको टालने का प्रयत्न करते हैं । मैं जानता हूं कि अलॉटमेंट हुआ है । क्या जांच···

श्री **अध्यक्ष** : जानकारी करने का आश्वासन दिया है ।

श्री **मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : आपको जो जवाब दिया जाय उसका जवाब करेक्ट नहीं हो तो इन्फोंमेशन को टालने का कहां प्रश्न है । जो इन्फोंमेशन मांगी गई थी उसका जवाब दे दिया गया है । प्रश्न ऑवर में जितनी जानकारी हमें प्राप्त होती है हम उन्हें देते हैं । उस पर बार बार

Page No. 9

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
एक्यूज ही एक्यूज करना, टालने के प्रयत्न करने की बात कहना, यह कहना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जयपुर नगर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष का वेतन

१०१७. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल,** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर नगर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष का वेतन राज्य सरकार ने कितना निर्धारित किया है ?

(२) उक्त निर्णय कब लिया गया और कब से लागू किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि वर्तमान अध्यक्ष के पूर्व कार्य करने वाले किसी भी अध्यक्ष को यह वेतन नहीं मिलता था ? यदि हां, तो अब यह निर्णय किस आधार पर लिया गया ।

(४) वेतन के अतिरिक्त अन्य क्या क्या भत्ते आदि की व्यवस्था है ?

(५) क्या यह सही है कि ट्रस्ट की एक गाडी भी निजी उपयोग के लिये अध्यक्ष को मिली हुई है ?

(६) राज्य के अन्य प्रन्यासों में इसी प्रकार के वेतन, भत्ते आदि की व्यवस्था कहां कहां पर है ? इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(७) क्या सरकार यह उचित समझती है कि निर्वाचित नगर परिषद् के अध्यक्ष को १४०) रु० माहवार वेतन मिले और उसी नगर के लिए स्थापित प्रन्यास के अध्यक्ष को १०००) रु० माहवार मिले ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) कोई वेतन निर्धारित नहीं किया गया ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) अभी कोई भत्ता नहीं दिया जाता ।

(५) जी नहीं । गाडी का उपयोग केवल प्रन्यास कार्य हेतु किया जाता है ।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(७) जब सरकार ने कोई वेतन ही निर्धारित नहीं किया तो यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री **भैरोंसिंह** : क्या सरकार ने इनका वेतन निर्धारित करने के सबन्ध में आगे के लिए कोई आश्वासन दिया है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चैयरमेन को मासिक ऑनरेरियम दिये जाने के संबंध में प्रोपोजल राज्य सरकार के विचाराधीन हैं और राज्य सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है ।

श्री **भैरोंसिंह** : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : अभी इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री **भैरोंसिंह** : ये प्रोपोजलस किसके द्वारा सरकार के पास पहुंचे हैं ?

श्री **परसराम मदेरणा** : यह प्रोपोजल ट्रस्ट के द्वारा आया है ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रोपोजल के अनुसार अध्यक्ष को कितना वेतन या एलाउन्स मिलना चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : यह फिक्स्ड अमाउन्ट इसमें मुकर्रर नहीं किया है, पर अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट की धारा १४ के अनुसार यह प्रावधान है कि

The Chairman shall receive out of Trust fund such Salary and allowances as may from time to time be proposed by the Trust and approved by the State Governments?

श्री भैरोंसिंह : What is the proposal of the Trust ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोपोजल अलग अलग ट्रस्ट्स के अलग-अलग हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आप जयपुर का ही बतावें। रामकिशोरजी के वेतन के लिये या एलाउन्स के लिये क्या प्रोपोजल रखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : इसकी जानकारी माननीय सदस्य के पास है । इस प्रोपोजल के साथ में लिखा है ।

श्री परसराम मदेरणा : आप देख सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जब कोई प्रोपोजल नहीं है तो गवर्नमेन्ट अपनी इच्छा के अनुसार ही करती है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रोपोजल में अमाउन्ट की जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इसको सेंक्शन दे दी है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री यह कहते हैं कि प्रोपोजल में नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य हमेशा यही कहा करते हैं, कि यह जानकारी उनके पास है, जो मेरे पास है मैं उसको सदन की मेज पर रख सकता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : यू. आई. बी. के प्रोपोजल आपके पास हैं। आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कहूंगा कि अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है । कितना कितना प्रपोज किया है, व कागज मैंने देखे नहीं हैं । मेरे पास इन्फोर्मेशन है वह यह है कि ये मामले सरकार के विचाराधीन हैं । यह इन्फोर्मेशन जो पहले-दूसरे प्रश्न में पूछी गई थी उसके आधार पर थी । जो मैं आपको दे रहा हूं और आज जो इन्फोर्मेशन आई है उसमें यह साफ लिखा है कि यह विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक डेफिनेट प्रश्न पूछ रहा हूं । क्या इसकी सेंक्शन करके आपने यू. आई. बी. के पास भेज दी है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह : आप कह दीजिये कि आपने यू. आई. बी. के चैयरमेन को इसकी जानकारी दी है या नहीं ? विचाराधीन तो कुछ अमाउन्ट का झगडा है ।

श्री परसराम मदेरणा : Just I was very busy in my papers; You kindly repeat your question.

श्री भैरोंसिंह : जो कुछ प्रोपोजल भेजे थे उस प्रोपोजल के आधार पर कुछ स्वीकृति दे सकते हैं। क्या यह सही है कि यू. आई. बी के चैयरमेन को गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में लिख कर भेज दिया गया है ?

Page No. 11

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल चेयरमैन रहे थे उसके लिये किया गया है। उनके इन्डीविजुअल आॅर्डर कर दिये गये हैं। जो जयपुर में और अजमेर में ऑफिशियल चेयरमेन रहे थे। नान–ऑफिशियल के लिये अभी तक ऐसा कोई आर्डर जारी नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मक्का के बढते हुए भाव तथा उसके बाहर जाने पर रोक

१०१८. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि उदयपुर जिले के पहाडी हिस्से में इस वर्ष मक्का एवं कोर्स नाज की पैदावार कम हुई है ?

(२) क्या यह सही है कि इस जिले में सलुम्बर, लसाडिया, सराडा, खेरवाडा आदि अधिकृत आदिवासियों की बस्ती की तहसील हैं ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलों में मक्की का भाव अक्टूबर में १०।।) व ११) रु० प्रति मन से बढ कर १४) प्रति मन एवं परचूनी १) रु० वाले खरीददार को अढ़ाई सेर ही मिलता है ?

(४) क्या यह भी सही है कि गत अक्टूबर माह, से अब तक हजारों ट्रक मक्की चना, चावल, उदयपुर खास और जिले भर से निकास दूसरे राज्य गुजरात वगैरा में किये जाने से गांवों में मक्की जैसी वस्तु का भी मिलना कठिन हो गया है ?

(५) क्या राज्य सरकार उदयपुर जिले के गरीबों के मुख्य खाद्य मक्की को बाहर जाने से रोकने का विचार रखती है ?

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां, यह सही है।

(२) जी हां, यह सही है।

(३) जी हां, यह सही है।

(४) मक्की एवं चना के निकास पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चावल की निकासी दूसरे राज्य के लिए नहीं है।

(५) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में आदिवासियों के पास बहुत कम मक्की होती है और दो महीने खाए जितना नाज होता है। क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि उसको बाहर भेजने से उन लोगों के पास खाने को नहीं रहेगा। सरकार एक तरफ मक्का बाहर भेजती है तो उनके खाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अकेले राजस्थान का प्रश्न नहीं है। ग्रेन मूवमेंट के बारे में सारे देश की नीति को ध्यान में रख कर फैसला लिया जाता है।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या सरकार सस्ते नाज की दुकानें खोलने का विचार रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर खोलेगी जहां पर जरूरत होगी।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : वे लोग बाजार से लाते हैं और उनको भी पूरा नहीं मिलता है। क्या सरकार इसको बाहर जाने से रोकेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह निवेदन किया कि यह अकेले राजस्थान का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या यह स्टार्च बनाने के लिये बाहर मिलों में जाता है और खाने के काम में यहां पर आता है, इसलिये क्या इसको बाहर जाने से रोकने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री हीराभाई : क्या मंत्री महोदय बतावेंगे कि चावल बाहर जाने पर प्रतिबन्ध नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रतिबन्ध है।

श्री हीराभाई : जब आप कहते हैं कि प्रतिबन्ध है तो गये साल की घटना की जानकारी चाहूंगा कि गये साल क्या हुआ। किसानों के घर से चावल आये तो आपने प्रतिबन्ध बता दिया और सेठ लोगों ने मनमाने भाव से लिया और बाद में उनको बाहर भेजने के लिये परमिट दे दिया। इससे भी किसानों को नुकसान हुआ। इसलिये या तो आप प्रतिबन्ध को तोड दीजिये, अन्यथा इस प्रकार की कार्यवाही को रोकिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रतिबन्ध अभी भी है और पहले भी था। परमिट से कहीं बाहर भेजा था उस चावल को जो यहां बिकता नहीं था और उसके बजाय बाहर से अच्छा चावल यहां पर आता है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : चावल और दूसरे अनाज की कमी है फिर आप कहते हैं कि बिका नहीं इसलिये बाहर भेजा गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गलत रेकार्ड तैयार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

१०१९. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि कस्बा नोहर (गंगानगर) में मुरब्बों, किलों वगैरह का फिटिंग संबंधी रेकार्ड ठीक नहीं होने के कारण दोबारा फिटिंग कराया गया है ? यदि हां, तो गलत रेकार्ड तैयार करने वालों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(२) कस्बे में दो बारा फिटिंग होने से सरकार का कितना धन और समय बरबाद हुआ है और किस अधिकारी के वक्त में गलत रेकार्ड तैयार होने के कारण री-फिटिंग की नौबत आई है ?

(३) क्या यह सही है कि इस गलत रेकार्ड की बाबत जो भाखरा से रेवेन्यू में भेजा गया है. रेवेन्यू तहसील के कर्मचारियों ने अपने अफसरों के सूचना दी थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) यह वास्तव में सत्य है कि कस्बा नोहर (गंगानगर) में मुरब्बों व किलों वगैरह की दुबारा फिटिंग करवाई गई थी, गलत रेकॉर्ड तैयार करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही निम्नांकित

(श्री परसराम मदेरणा)

कारणों से नहीं की गई क्योंकि राजस्थान कोलोनाइजेशन (भाखरा प्रोजेक्ट गवर्नमेन्ट लैन्ड अलॉटमेंट एन्ड सेल्स) रूल्स, १९५५ की धारा ४ के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्थाई तौर पर दी गई अर्थात् लीज़ पर दी गई समस्त आराजी भूमियों की लीज़ दिनांक १५ जून, १९५५ से समाप्त हो गई। इसके पश्चात् उक्त भूमि से किसी व्यक्ति विशेष का संबंध नहीं रहा। उक्त नियमानुसार जो भी कृषक भूमि पाने का अधिकारी बाद जांच ठहराया जाता और खाली भूमि राज उसको अलाट करदी जाती और कस्वा-नोहर में भी ऐसा ही किया गया, क्योंकि उन अस्थाई काश्तकारों की फिटिंग अन्यत्र की जाकर राज भूमि के कम्पेक्ट ब्लॉक, जहां तक हो सके, रखने की कार्यवाही की गई जिससे कि कम्पेक्ट ब्लाक की भूमि में कुछ रकवा नई मण्डी, नई आबादीयात, व बाग व अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिये अवाप्त की जा सके। इस रिजर्वेशन से जो कृषक प्रभावित हुए उनकी भूमि की फिटिंग अन्यत्र की गई लेकिन इसके फलस्वरूप उन काश्तकारों में असंतोष पैदा होने से इस नीति में परिवर्तन करना पड़ा और कस्वा नोहर की दुबारा फिटिंग करने की नौबत भी पेशदर हुई। एवं उन काश्तकारान के विशेषतौर से एतराज थे कि उन लोगों ने अपनी कब्जाशुदा आराजी को काबिल काश्त बनाया और निरन्तर कई सालों से इस भूमि को काश्त कर रहे हैं। जिसके फलस्वरूप इनको इस भूमि को उपजाऊ बनाने में विशेष खर्च व परिश्रम करना पड़ा।

(२) इस दुबारा फिटिंग करने से कोई अतिरिक्त धन-राशि खर्च नहीं हुई और ना ही कोई समय ही बरबाद हुआ। क्योंकि तहसील में स्टाफ मौजूद था उन्हीं से यह काम अतिरिक्त समय में करवा लिया गया, जिसके लिये इस विभाग ने मौजूदा स्टाफ के अलावा किसी अन्य स्टाफ के लिये निवेदन नहीं किया और ना ही किसी प्रकार की इस कार्य को करवाने के लिये धन-राशि ही खर्च की गई है। उस समय श्री कल्याण सिंह, तहसीलदार व श्री बनेसिंह धाभाई, संचालक, उपनिवेशन थे जो दोनों ही स्वर्गवासी हो चुके हैं।

(३) यह बिल्कुल असत्य है कि तहसील नोहर का कोई रेकार्ड राजस्व विभाग को सौंपा गया। अतः रेवेन्यू कर्मचारियों द्वारा शिकायत करना व उनकी रिपोर्ट पर एक्शन लेने का सवाल ही नहीं उठता तहसील कोलोनाइजेशन नोहर दिनांक २९-२-६४ से समाप्त की जा चुकी है। जब रेकार्ड राजस्व विभाग को संम्भलाया जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने कहा कि दुबारा फिटिंग के कारण बहुत से काश्तकार बेदखल हो गये थे उनको री-सेटल कर दिया गया है। तो उन बेदखल किये गये काश्तकारों में से कितनों को री-सेटल कर दिया गया है ? दुबारा सेट करने में उनकी कब्जे की जमीनें रखने के संबंध में, क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कहा कि मुरब्बाबन्दी की थी उससे डिस्टर्ब हुए थे, पर वह वापिस ठीक कर दी गई है, क्योंकि उन लोगों को एतराज था। राजस्थान कोलोनाइजेशन, भाखरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट एण्ड सेल्स रूल्स लागू हो गये थे,

(श्री परसराम मदेरणा)

उनसे जमीनों पर उनका हक नहीं रहा था। कुछ जमीनें मंडियों के लिये, दूसरे काम के लिये, अलाट करना चाहते थे उससे डिस्टर्ब हुआ, पर वापिस रीफिक्सिंग कर दिया गया है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: री-फिटिंग दुबारा करने के संबंध में यह बात समझ में आ सकती है कि मंडियों के लिये जमीन ली जाय और उनको उसके लिये बेदखल किया जाय, पर उनके अलावा जो बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस साल से कब्जे की धरतियां थीं उनको बेदखल कर दें, वे लोग आज तक बेदखल फिरते हैं, उनकी तादाद थोड़ी नहीं है।

श्री **परसराम मदेरणा** : यह नौहर कस्बे का प्रश्न है इस तरह का इम्पेक्ट ब्लाक के फलस्वरूप जो काश्तकार बेदखल हुए थे उनको अलाट कर दी गई।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कुछ दिन पहले मुख्य मन्त्रीजी से वे लोग मिले हैं, हजारों आदमी बेदखल कर दिये गये हैं, मुख्य मंत्री ने कहा था कि चकबन्दी की जांच हो रही है, मघोक कमेटी चन्द दिनों पहले कायम की है और आप कहते हैं कि अलाटमेंट कर दिया गया है?

श्री **परसराम मदेरणा** : कस्बा नौहर की बात है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कस्बा नौहर में हजारों किसान हो सकते हैं, यह मैं मान नहीं सकता।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया): इसमें कुछ भ्रम हो रहा है। यह केवल नौहरका सवाल है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

झुंझनू नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्लाटों का वितरण

१०२०. श्री**मती सुमित्रा** (झुंझनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झुंझुनूं नगरपालिका के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा राजकीय बहुउद्देश्यीय विद्यालय के सामने तथा मोरी रोड के (पशु चिकित्सालय के समीप) दक्षिण में कुछ व्यक्तियों को चार आने गज की रियायती दर पर पट्टे करके दिये गये हैं? यदि हां, तो किन किन लोगों को? उनके नाम मय जमीन के माप के बताये जावें।

(२) क्या राजकीय बहुउद्देश्यीय विद्यालय के तीन तथा पशु चिकित्सालय के समीप के दस प्लाट जो दिये गये हैं वे कब्जे शुदा गुवाड़ी के नाम से दिये गये हैं?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों ही जगहों पर आज तक किसी की भी गुवाड़ी नहीं है?

(४) क्या जिलाधीश झुंझनूं ने इन प्लाटों के रद्द करने तथा अध्यक्ष व दो सदस्य श्री मालीराम व अलीहुसैन के बारे में इस संबन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट में कोई रिमार्क लगाये थे तथा पट्टे रद्द करने की सिफारिश की थी?

(५) यदि हां, तो फिर पट्टे कैंसिल नहीं किए जाने के क्या कारण हैं।

उप-मंत्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न की सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने पिछले सेशन में भी पूछा था लेकिन उस सेशन में भी जवाब नहीं दिया गया, इस सेशन में पूछा, यह सेशन भी खत्म होने जा रहा है पर इसका जवाब नहीं दिया गया। तो क्या मैं यह समझूं कि सरकार जानबूझ कर इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहती ?

श्री अध्यक्ष : अगले सेशन में फिर पूछ लेना।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी बात नहीं है कि सरकार उत्तर नहीं देना चाहती। सूचना प्राप्त होते ही माननीया सदस्या को उत्तर भेज दिया जायगा।

श्रीमती सुमित्रा : सरकार देखती है कि यदि इस प्रश्न का उत्तर दिया गया तो पट्टे कैंसिल करने पड़ेंगे, इसलिये सरकार इसका उत्तर नहीं दे रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बीकानेर एसोसियेटेड ग्रुप आफ होस्पिटल्स में कैंसर वार्ड तथा कोबल्ट प्लान्ट की व्यवस्था

१०२१. (१) श्री भीमसेन (लूणकरणसर)
(२) श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़)
(३) श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)
(४) श्री केदारनाथ (गंगानगर)
(५) श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़)
(६) श्री रूपाराम (नोखा)
(७) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चंडावत (भीम)

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर एसोसियेटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में Deep x-ray therapy superficial x-ray therapy तथा Radium Therapy का प्रबंध है जिससे कि कैंसर जैसे असाध्य रोगों के उपचार में सहायता मिलती है ?

(२) क्या यह सही है कि Radium Therapy की सुविधाएं राजस्थान के अन्य किसी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बीकानेर के लोगों ने उक्त हॉस्पिटल में Cancer ward तथा Cobalt plant की बिल्डिंग के लिये करीब दो लाख रुपये की धनराशि एकत्रित कर रखी है तथा उक्त प्लाण्ट के लगने के लिये आवश्यक स्थान तथा अन्य प्रारंभिक तैयारियां कर ली है तथा एटोमिक इनर्जी कमीशन से भी प्लान्स का एप्रूवल ले लिया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त प्लान्ट के बीकानेर में लगने से सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा तथा इससे कैन्सर जैसी भयंकर बीमारियों के इलाज की आधुनिकतम सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा मेडिकल कालेज के विद्यार्थी भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे ?

(५) क्या सरकार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बीकानेर में Cobalt Plant को देने हेतु भारत सरकार को सिफारिश करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(४) जी हां ।

(५) विचाराधीन है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : बीकानेर में कोबल्ट प्लांट लगाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी और कब तक करेगी ?

श्री फूलचन्द जैन : क्या राजस्थान सरकार चाहती है कि बीकानेर में कोबल्ट प्लांट लगाया जाय ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : राजस्थान सरकार चाहती है कि दूसरा कोबल्ट प्लाण्ट बीकानेर में लगे ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सरकार चाहती तो है पर कार्यवाही क्या कर रही है इस संबंध में, यह हम जानना चाहते हैं ।

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : दो तरह के कोबल्ट प्लाण्ट होते हैं, एक सीनियर कोबल्ट दूसरा जूनियर कोबल्ट प्लाण्ट । इनके लिये हमने प्लानिंग कमीशन को लिखा है, हैल्थ मिनिस्टर ने, मैंने और फाइनेन्स मिनिस्टर ने भी लिखा है । हमने ट्रेड मिनिस्टर केनाडा को लिखा है, उन्होंने मन्जूर किया है । एक सीनियर कोबल्ट प्लाण्ट जयपुर में लगाने का फैसला किया गया है । सेण्ट्रल हैल्थ मिनिस्टर ने देने का कमिटमेंट किया है । यह सही है कि बीकानेर में दो लाख रुपया इकट्ठा किया है । वे जूनियर कोबल्ट प्लाण्ट लगाने को तैयार हों तो वह आने पर हम लगा सकते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : सीनियर कोबल्ट प्लांट को बीकानेर में सेट कर देने में सरकार को क्या एतराज है जब कि बीकानेर में डीप एक्सरे थेरेपी, सुपरफीशियल एक्सरे थेरेपी और रेडियम थेरेपी का प्रबंध है और कैन्सर के इलाज के लिये जितनी दूसरी चीजों की जरूरत होती है वह वहां हैं, तो सरकार को वहां सीनियर कोबल्ट प्लाण्ट लगाने में क्या दिक्कत है ? राजस्थान के किसी भी हॉस्पिटल में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं जो बीकानेर में मौजूद हैं तो फिर सीनियर कोबल्ट प्लांट वहां लगाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री बरकतुल्ला खां : बात यह है कि जयपुर में पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा की ट्रेनिंग चल रही है, जयपुर को सेण्टर माना जाता है, इसलिये यहां सीनियर कोबल्ट प्लाण्ट लगाना ज्यादा यूजफुल होगा ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में रेडियम ट्रीटमेंट की सारी सुविधाएं मौजूद हैं और जयपुर में नहीं हैं, तो फिर सीनियर कोबल्ट प्लांट जयपुर में लगाने के लिये क्यों सिफारिश की गई ?

श्री बरकतुल्ला खां : ज्योंही जूनियर कोबल्ट प्लांट मिलेगा बीकानेर में लगा दिया जायगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि यहां जो सुविधाएं मौजूद नहीं हैं वे सब बीकानेर में मौजूद हैं, डीप एक्सरे थेरेपी है, रेडियम थेरेपी है, सुपरफीशियल एक्सरे थेरेपी है तो क्या उन सबको उठा कर यहां जयपुर में लाया जायगा……

श्री बरकतुल्ला खां : उठा कर लाने का कोई इरादा नहीं है, डीप एक्सरे थेरेपी यहां पर भी है । बीकानेर में पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा

(श्री बरकतुल्लां खां)

की ट्रेनिंग अब चालू की जायगी, यहां पर चल रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रेडियम थेरेपी केवल बीकानेर में मौजूद है जयपुर में नहीं है और किसी जगह राजस्थान के हॉस्पिटल्स में नहीं है, तो सबसे ज्यादा फैसेलिटीज बीकानेर में हैं वहां पर सीनियर कोबल्ट प्लांट फिट नहीं करने में सरकार की क्या पॉलिसी है ?

श्री बरकतुल्ला खां : रेडियम थेरेपी का जहां तक सवाल है वह आदमियों से बनती है, काम करने वालों से बनती है यह मैं मानता हूं कि रेडियम थेरेपी बीकानेर में महाराजा गंगासिंहजी के जमाने से थोड़ी थोड़ी वहां चल रही थी पर उसके लिये ट्रेंड आदमियों की आवश्यकता रहती है, यहां पर ट्रेंड आदमी मौजूद हैं, पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा की ट्रेनिंग चल रही है ।

श्री भीमसेन : पोस्ट ग्रेज्युएट स्टडी तो बीकानेर में भी चालू करेंगे, मगर प्रश्न यह है कि कैन्सर जैसे भयंकर रोग के इलाज के लिये सारी फैसेलिटीज बीकानेर में मौजूद रहते हुए वहां सीनियर कोबल्ट प्लांट क्यों नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : Order please Shri Mohan Raj.

बाली व देसूरी तहसील के गांवों में सरकारी पड़त अथवा नाकाबिल काश्त भूमि का ठेका

१०२२. **श्री मोहनराज** (बाली): क्या राजस्व (कोलोनाइजेशन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली जिले की बाली व देसूरी तहसीलों के ग्रामों में सरकारी पड़त अथवा वेस्ट नाकाबिल काश्त भूमि जरिये नीलाम के ठेकेदारों को ठेके पर प्रतिवर्ष दी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि अब ठेकेदार लोग उक्त जमीनों पर गांव की मवेशी को चरने से रोकते हैं और ग्राम के मजदूर पेशा गरीब लोगों को सूखी लकड़ी व घास बेचने से रोकते हैं और ग्रामवालों से मनमाना पैसा वसूल कर गरीबों का शोषण करते हैं ?

(३) क्या राजस्थान के और भी जिलों में ऐसी भूमि को जरिये नीलाम ठेकेदारों को बेचा जाता रहा है ? यदि हां, तो ऐसे जिलों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) क्या राज्य सरकार इस प्रकार की दुखदायी एवं गरीब ग्रामीणों के शोषण को प्रोत्साहन देने वाली रीति को तत्काल बन्द करने के आदेश जारी करेगी ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं । इस प्रकार की जमीन ठेके पर नहीं दी जाती है । केवल कुदरती पैदावार जैसे लूंग, पापड़ी, पुसा इत्यादि का ठेका दिया जाता है परन्तु इससे मवेशी को चरने में कोई दिक्कत नहीं होती है ।

(२) जी नहीं । ऐसे कोई मामले तहसील के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और न किसी ने इस प्रकार की शिकायत हो की है ।

(३) जी नहीं । ऐसा अमल किसी जिले में नहीं है ।

(४) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Page No. 18

श्री मोहनराज : जब आप यह मंजूर करते हैं कि इस तरह की कुदरती पैदावार जिस जमीन पर पैदा होती है, उसका ठेका दिया जाता है, तो इस तरह वहां ठेका देने से वहां पर मवेशी चराने की सुविधा तो कम होती ही है, ठेकेदार जनता के मवेशी को आने नहीं देता है, गरीब लोग सूखी लकड़ी लाने जाते हैं तो लाने नहीं देता है। तो फिर आपने जो जवाब दिया, "जी नहीं" यह किस आधार पर दिया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अगर कहीं ऐसी शिकायत आई है कि ठेकेदारों ने मवेशियों को रोका है तो उसको गवर्नमेन्ट के नोटिस में लाया जाय, सर्टन प्रोड्यूस के लिये ठेकेदार को ठेका दिया है, मवेशी को चराने से वह मना नहीं कर सकता।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जहां भी ठेका दे देते हैं उस जगह ठेकेदार, जैसे मैं रानीवाड़ा का इन्सटांस दूं, वहां जो नैचुरल प्रोड्यूस है, उस पर मवेशियों को कतई चरने नहीं देते हैं और पैसा लेते हैं। शिकायतें आपके पास आई हैं, आप जांच कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्लेरीफिकेशन और आदेश दे दिए जाएंगे कि जहां पर तहसीलदार राजस्थान लैंड रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड्स रूल्स, १९५७ के अन्तर्गत नैचुरल प्रोड्यूस को ठेके में देते हैं, वहां मवेशियों के चरने की मनाही नहीं कर सकते, इस प्रकार के आदेश दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पट्टों का रिन्युअल, राजस्थान कैनाल

१०२३. श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : (रायसिंहनगर) : क्या मंत्री उपनिवेशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रायसिंहनगर तथा अनूपगढ़ तहसील के राजस्थान कैनाल क्षेत्र में पुराने काबिज किसानों के पट्टे रिन्यू नहीं किये गये ? कई किसान जिनके पट्टे रिन्यू किये जाने में एक या दो वर्ष का गैप पड़ गया था लेकिन जो भूमि पर काबिज थे तथा सरकारी रकम का भी भुगतान कर चुके थे, उनको बेदखली नोटिस दे दिये हैं ? ऐसे किसानों की अलग अलग संख्या बताएं तथा पट्टे रिन्यू न किये जाने का कारण और बेदखल किये जाने का कारण बताएं।

(२) क्या यह भी सही है कि प्रायः जिन किसानों के पास उपरोक्त क्षेत्र में काफी समय से दो मुरब्बा भूमि थी उसे काट कर एक मुरब्बा कर दिया गया है ? ऐसे किसानों की संख्या दें तथा भूमि काटे जाने का कारण बताएं।

(३) क्या यह सही है कि बहुत से किसानों को बंजड़ न तोड़ने का नोटिस देकर बेदखल किया जा रहा है जबकि वर्षा न होने के कारण तथा अकालग्रस्त स्थिति के कारण ऐसा संभव था ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जिन किसानों के पास आरजी काश्त भूमि के पट्टे रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा दिये गये पाये गये उनके पट्टे राजस्थान कोलोनाईजेशन (टेम्परेरी कल्टीवेशन लीजेज) कन्डीशन, १९५५ के आधीन रिन्यू किये गये। इन कन्डीशन्स की धारा ७ के खिलाफ दर्ज पाए जाने पर पट्टे रिन्यू नहीं किए गए। एक साल का गैप काश्त न किये जाने बाबत नजर अन्दाज किया गया तथा दो साल तक मुतवातिर काश्त न करने पर उसकी पूरी पूरी जांच की गई है व बाद में

(श्री परसराम मदेरणा)

ही अन्तिम आदेश दिए गए हैं। ऐसे किसानों की संख्या जिनके पट्टे रिन्यू नहीं किए गए तफसील इस प्रकार हैं:—

तहसील रायसिंहनगर २४१
तहसील अनूपगढ़ १७१

(२) उपरोक्त क्षेत्र में जिन किसानों के पास काफी समय से दो मुरब्बा भूमि थी उसे नहीं काटा गया है। ऐसे किसान जिनकी भूमि काटी गई है उनकी संख्या २२६ है।

(३) आराजी काश्त पर सरकारी भूमि हासिल करने पर उसे बंजर न तोड़ने तथा उसे काश्त न करने के कारण ऐसे नोटिस दिये गए हैं क्योंकि उपरोक्त लीजेज कन्डीशन्स की अवहेलना पाई गई है।

वर्षा न होने के तथा अकालग्रस्त स्थिति होना प्रमाणित नहीं और न ही यह क्षेत्र सन् ६३ से पूर्व कभी अकालग्रस्त घोषित सरकार द्वारा किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा क्षेत्र आज तो अकाल-ग्रस्त घोषित हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अनूपगढ़ क्षेत्र और रायसिंहनगर राजस्थान कैनाल का क्षेत्र आज आपने घोषित कर दिया है?

श्री परसराम मदेरणा : १९६३ से पूर्व का मैं कह रहा हूं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : प्रश्न यह है कि आपने कहा कि पट्टे रिन्यूअल के आधार पर लोगों को बेदखल नहीं किया गया है और जिन लोगों को बेदखल किया गया है उनकी तादाद आपने बताई। एक तो यह तादाद कतई गलत है। इससे पहले बहुत अधिक लोगों को बेदखल कर दिया है और इसके साथ-साथ मैंने पूछा कि उस क्षेत्र के अंदर वर्षा हुई या नहीं। उस क्षेत्र के अंदर वर्षा ४ साल से कतई नहीं हुई और वहां जो धरती है, वह हार्ड क्ले सॉइल है, फिर बंजर तोड़ने का प्रश्न नहीं आता, हल का प्रश्न नहीं आता और चूंकि धरती सख्त थी, हल नहीं चल सकता, तो फिर इस आधार पर जो आपने लोगों को बेदखल कर दिया है क्या यह उचित किया ?

श्री परसराम मदेरणा : बंजर भूमि को न तोड़ने की बात आप खुद कह रहे हैं और न तोड़ने के कारण · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने स्वीकार किया।

श्री परसराम मदेरणा : कन्डीशन थी कि उनको बंजर तोड़नी चाहिए और उस सिलसिले में अगर किसी ने एक मुरब्बे के अंदर एक बीघा जमीन में काश्त किया है तो हमने लीनियेंट एटीट्यूड लिया है, बेदखल नहीं किया है। जहां तक बरसात का प्रश्न है जिस एरिया में बरसात कम हुई और उसकी वजह से स्केर्यसिटी हुई और स्केर्यसिटी अगर, गिरदावरी में दर्ज है तो निश्चित तौर से अकाल घोषित हो जाता है और वह गजट में नोटीफाई होता है। अगर अकाल होता तो गजट में नोटीफाई होता। तो इस आधार पर यह कहना कि वहां पर बरसात नहीं हुई थी मैं समझता हूं रिकार्ड के विपरीत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लूणकरणसर का जो क्षेत्र लगता है उसमें आपने ४ साल से अकाल घोषित कर रखा है। केवल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बाउंडरी का सवाल है । एक माइल में अकाल घोषित है और एक माइल में नहीं है, तो हाइपोथेटीकली यह बात लेकर आप चलते हैं कि अकाल नहीं था इसलिये हम बंजर तोड़ने की बात नहीं मानते हैं । अकाल आप के कागजों में नहीं है, वास्तव में वहां अकाल था ।

काश्तकारों की बेदखली तहसील पचपदरा

१०२४. श्री **गंगाराम चौधरी** (गुढा मलानी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा बालोतरा में खसरा नं. ३१०।२ पर बसे हुए १० काश्तकारों को बेदखल किये जाने की कार्यवाही की गई है ?

(२) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां ।

(२) इन काश्तकारों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया था ।

श्री **गंगाराम चौधरी** : क्या यह सही है कि खसरा नं. ३१०।२ में काश्तकार सम्वत् २००१ से बसे हुए हैं ?

श्री **परसराम मदेरणा** : यह कब से बसे हुए हैं वह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मुझे मिली है वह यह है कि बालोतरा पंचायत समिति के लिये जमीन को एक्वायर किया जा चुका है और एक्वायर शुदा भूमि पर बिना जिलाधीश की आज्ञा से कोई भी व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता और क्योंकि उन्होंने कब्जा किया इसलिये बेदखल कर दिया ।

श्री **गंगाराम चौधरी** : पंचायत समिति ने खसरा ३१०।२ पर कब्जा नहीं किया और न पंचायत समिति के लिये उसको कोई आवश्यकता थी, क्या यह सही है ?

श्री **परसराम मदेरणा** : ३१०।२ एक्वायर नहीं हुआ है तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा । मेरे पास में जो इन्फोर्मेशन है वह यह है कि ३१०।२ एक्वायर किया गया है इसलिए कि बालोतरा पंचायत समिति के लिए जमीन की आवश्यकता थी और उस पंचायत समिति को देने के लिए ईअरमार्क किया है । उसमें कोई भी ट्रेसपास करता है तो निश्चित तौर से उसको बेदखल किया जायगा ।

बरसात न होने से फसल को नुकसान तथा लगान की वसूली

१०२५. श्री **हरवत्तसिंह** (नोहर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नोहर सब-डिवीजन (जिला गंगानगर) के भाखरा क्षेत्र में बरसात की कमी के कारण फसल सावनी इस वर्ष अच्छी नहीं हुई और आधे नवम्बर सन् ६३ से १० जनवरी तक नहरों में कतई पानी न आने से फसल हाडी का कुछ अंश बोये जाने से वंचित रहा और बोई हुई फसलें खराब हो गई ?

(२) अगर नहीं तो वर्षा के अभाव व नहरों में उपरोक्त वर्णित समय में पानी न आने का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ा ?

Page No. 21

(श्री हरदत्तसिंह)

(३) अगर हां, तो सरकार प्रभावित क्षेत्रों के किसानों का लगान आबियाना व किश्तों में क्या छूट देने का विचार रखती है ?

(४) क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्र का किसानों पर लगाया गया सरचार्ज उपरोक्त कारणों से मुआफ करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं । नोहर सब-डिवीजन के भाखरा क्षेत्र में माह जुलाई सन् १९६३ से माह सितम्बर, १९६३ तक वर्षा सामान्य थी इस कारण सावणी की फसल की वर्षा के कारण अधिक नुकसान नहीं हुआ । उक्त वर्ष फसल रबी कुछ कम बोई अवश्य गई और जो बोई गई उसे शीतकालीन वर्षा के अभाव, नहरों से पानी न मिलने तथा शीत लहर के प्रकोप के कारण हानि हुई ।

(२) इसका उत्तर प्रश्न के खण्ड १ में दिया जा चुका है ।

(३) लगान की छूट के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । नहरी आबियाना जितना पानी फसल को मिलता है उसी के अनुसार लगाया जाता है । अतएव इसमें छूट देने का प्रश्न नहीं उठता । जिन फसलों को तीन बार पानी नहीं लगा है उन पर छः मासी सिंचाई की दर से आबियाना लगाया जायगा ।

(४) फसल की स्थिति के अनुसार नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी ।

श्री हरदत्तसिंह : अगर आपको जानकारी दी जाय तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : गिरदावरी होकर जब आई और फसलों का खराबा बताया जायगा कार्यवाही की जायगी ।

मानसिक चिकित्सालय में बच्चों की भर्ती

१०२६. श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मानसिक चिकित्सालय, जयपुर में नाबालिग मरीजों को प्रवेश नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : भर्ती नहीं किये जाते हैं क्योंकि उनके लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : विशेष व्यवस्था क्या उपलब्ध नहीं है ? जो मानसिक चिकित्सालय है उसमें २० साल का आदमी रखा जाता है और १५ साल का लड़का नहीं रखा जाता । ऐसी विशेष व्यवस्था क्या करनी पड़ती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बच्चों के लिये विशेष इन्तजाम आवश्यक होता है वह न होने के कारण . . .

श्री मुरलीधर व्यास : कोई उम्र निर्धारित की है कि इससे कम उम्र वालों को नहीं लिया जायगा ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नाबालिग को नहीं लिया जायगा और बालिग को लिया जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मानता हूं कि १५ साल का लड़का हर बात समझता है ।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : नाबालिग बच्चों के लिए सब फैसीलिटीज़ देनी पड़ती हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इस संबंध में व्यवस्था परमावश्यक है ?

श्री मथुरादास माथुर : नाबालिग बच्चे पागल कम होते हैं, बनिस्बत एडल्ट्स के, उसके सोशल रीज़न्स हैं । यह ऐसी समस्या नहीं है कि इतना खर्चा करके इस काम को इस वक्त पूरा किया जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास : चिकित्सालय में भी नहीं लिया जाता है।

माइनिंग इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत

१०२७. श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ३०-११-५९ का लिखा हुआ एक पत्र श्री हनुमान शर्मा, आई. जी. जयपुर को श्री बलवन्तसिंह वल्द चेतराम का प्राप्त हुआ जिसमें उसने श्री ओंकारलाल जोशी, तत्कालीन माइनिंग इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत की ?

(२) क्या यह सही है कि इस पत्र के पैरा ४ में श्री बलवन्तसिंह ने लिखा कि श्री ओंकारलाल के पास ७५ हजार रुपये का हार है तथा उन्होंने अन्य सम्पत्ति भी श्री ओंकार लाल की बताई ?

(३) क्या यह सही है कि इस निवेदन-पत्र के आधार पर श्री ओंकारलाल जोशी के घर पर छापा मारा गया जिसमें वह हार व अन्य सम्पत्ति तथा हजारों रुपये प्राप्त हुए व जिसकी सूची बनी ? यदि हां, तो सूची की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) क्या यह सही है कि इस सम्पत्ति को कोतवाली उदयपुर में सीलबन्द की गई तथा उस पर हस्ताक्षर लिये गये ? यदि हां, तो किस तारीख को तथा सीलबन्द पर किस किस के हस्ताक्षर हुये एवं क्या चीज सीलबन्द की गई ? सूची देने की कृपा करें ।

(५) क्या यह सही है कि कुछ दिनों बाद इस सम्पत्ति का मूल्यांकन कराने के लिए इसे पुनः खोला गया तथा उस समय वे व्यक्ति उपस्थित नहीं थे जिनके सील पर हस्ताक्षर थे तथा इस प्रकार की शिकायत भी गृह मंत्री को उनकी तरफ से की गई जिन्होंने हस्ताक्षर किये थे ?

(६) क्या यह सही है कि उपरोक्त हार उस समय सील तोडने पर नहीं प्राप्त हुआ तथा इसकी सूचना डिप्टी एस. पी. ने रेडियो से जयपुर दी जिसका रेकॉर्ड पुलिस फायलों में है ? यदि हां, तो फायल सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो हार का मूल्यांकन क्या किया गया ?

(७) क्या यह सही है कि कोर्ट में कार्यवाही के अन्तर्गत यह प्रतीत हुआ कि

(श्री विजयसिंह झाला)

जितने रुपये रिकवरी के समय गिने गये थे उसमें से कम पड़ गए हैं ? यदि हां, तो कितने ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह प्रश्न सबजुडिस है, कोर्ट के अन्दर है, तो मैं समझता हूं इस वक्त इसका उत्तर देना ठीक नहीं होगा।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) जहां तक सबजुडिस का सवाल है मैंने उसके बारे में फैक्ट्स नहीं पूछी हैं।

श्री **अध्यक्ष**: सारी फैक्ट्स का केस संबंध है।

श्री **विजयसिंह झाला** : जो फैक्ट्स मैंने पूछे हैं कि जो सम्पत्ति वहां से ली गई वह लेने के बाद में पुलिस के पजेशन से गायब हो गई उसको···

श्री **अध्यक्ष**: आपने पूछा है कि सूलि किया गया, दस्तखत की गई थी इत्यादि।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : एक फैक्ट बताया जाय। जो सामान मिलता था या जो सामान वहां सीज किया गया था वह सामान पूरे का पूरा कोर्ट में पेश कर दिया गया और उस सामान में से कोई चीज गायब नहीं है, कोई चीज रिप्लेस नहीं की गई ?

श्री **अध्यक्ष** : मैं नहीं समझता कि··

श्री **भैरोंसिंह** : बहुत जरूरी सवाल है।

श्री **अध्यक्ष** : अदालत के सामने यह आयगा।

श्री **भैरोंसिंह** : अदालत के सामने यह सवाल नहीं है। पुलिस कस्टडी में से जो कुछ सामान रिप्लेस हो गया वह कोर्ट में कैसे आएगा ?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): They are all before the court. आया हस्ताक्षर हुए या नहीं···

श्री **भैरोंसिंह** : पुलिस कस्टडी में जो··

श्री **अध्यक्ष** : मैं नहीं समझता कि··

श्री **विजयसिंह झाला** : उस केस पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री **अध्यक्ष** : पड़ेगा। Order please!

श्री **विजयसिंह झाला** : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट है।

श्री **अध्यक्ष**: श्री अब्दुलजब्बार।

प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन, निम्बाहेड़ा

१०२८. श्री **अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा में प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स कितने हैं ?

(२) क्या इन सब का मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या ये सब अपने यहां आउट-डोर और इन-डोर पेशेन्ट्स रजिस्टर्स रखते हैं ? यदि हां, तो क्या कभी इनके यहां किसी मरीज की मृत्यु हुई है ? यदि हां, तो मृत्यु के कारण क्या थे ?

(श्री अब्दुलजब्बार)

(४) क्या ये अपनी सनदों के आधार पर सर्जिकल व मेर्टानिटी वर्क कर सकते हैं ?

(५) क्या किसी मेडिकल ऑथोरिटी ने कभी इनका चैकिंग किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) चार ।

(२) जी हां ।

(३) इन-डोर पेशेन्ट रजिस्टर नहीं रखते केवल आउट-डोर रजिस्टर्स रखते हैं, इसलिये मरीजों की मृत्यु का ब्यौरा स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हो सकता ।

(४) (क) एक व्यक्ति जो कि भारतीय चिकित्सालय बोर्ड, जयपुर से रजिस्टर्ड है अपनी सनद के अनुसार सर्जीकल व मैर्टानिटी कार्य कर सकता है ।

(ख) एक व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, जयपुर से रजिस्टर्ड है, इनकी सनद से यह विदित नहीं होता कि इस कार्य के करने के अधिकारी है या नहीं ?

(ग) दो व्यक्ति जिनका रजिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, जयपुर व भारतीय चिकित्सा बोर्ड, जयपुर से है इस कार्य को करने के अधिकारी नहीं हैं ?

(५) जी नहीं । चूंकि वह रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स ड्रग्ज एक्ट, १९४० के तहत समझे जाते हैं, अतः चेकिंग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अब्दुलजब्बार : जब सरकार यह जानती है कि मेडिकल डिप्लोमाज जिनके डिफेक्टिव हैं फिर भी मेर्टानिटी वर्क परफोर्म करते हैं वे भी रजिस्टर रखें, इस प्रकार की व्यवस्था आप क्यों नहीं करवाते ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बोर्ड के पास कम्पलेण्ट जाती है तो वे उस पर एक्शन लेते हैं लाइसेन्स और रजिस्ट्रेशन केन्सिल कर सकते हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : जो इन-डोर और आउट-डोर पेशेन्ट्स का रजिस्टर नहीं रखते हैं। ऐसी हालत में जब कभी केजुअलटीज हो जाती हैं उसका रजिस्टर मेन्टेन नहीं करते और न उसकी इत्तला म्युनिसिपेलिटी को भी देते हैं, तो आपने क्या अनिवार्य रूप से रजिस्टर मेन्टेन करें और डेथ्स की सूचना म्युनिसिपेलिटीज को दें, क्या इस प्रकार की हिदायतें आपने उनको दी हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं ।

श्री अब्दुल जब्बार : सरकार बाध्य कर सकती है रजिस्टर मेन्टेन करें, डेथ रिपोर्ट दिया करें ।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न द्वारा जो तथ्य सामने आये हैं उनको स्पष्ट रूप में रखें ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मेरा केस पेन्डिग माना जाय, सदन में बाद में सूचना दे दी जाय ।

काश्त की भूमि पर पेड़ काटने का लाइसेन्स, तहसील सराड़ा

१०२९. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (सराड़ा) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

Page No. 25

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

(१) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर तहसील सराड़ा, पटवार मण्डल परशाद में किसी व्यक्ति को काश्त करने के लिये भूमि पर पेड़ काटने का लाइसेन्स मार्च, १९६४ में दिया गया है ? यदि हां, तो किस नम्बर की भूमि पर कितने एकड़ का लाइसेन्स दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि लाइसेन्स प्राप्त करन वाले व्यक्ति ने पेड़ काटने का ठेका किसी और ठेकेदार को दे दिया है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति को ठेका दिया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने रेवेन्यू पटवारी से मिल कर पचास एकड़ की बाउण्डरी के बाहर के रेवेन्यू जंगल के काफी दूर तक पेड़ों की कटाई की है ? यदि हां, तो कितने एकड़ में कुल कितने पेड़ काटे गये हैं ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी नहीं। पेड़ काटने के संबंध में जो लाइसेन्स दिया गया है वह श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री शिवसिंह को आराजी नं० १३१४ पटवार मण्डल परशाद का रकबा ६२७।।१ में से केवल ५० एकड़ भूमि पर से ही पेड़ काटने के लिये दि. १५-७-६३ को दिया गया है।

(२) इस संबंध में जांच की जा रही है। अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(३) इस बारे में भी मौके पर जांच की जा रही है। अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : लाइसेन्स क्यों दिया ?

श्री **परसराम मदेरणा** : एस. डी. ओ. द्वारा दिया गया। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा ८५ के रूल्स २१ के तहत दिया गया।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिंद) : जांच कब हो जायगी जब पेड़ वेड़ ले जायेंगे उसके बाद ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या यह सही नहीं है कि हरेक दरख्त काटना कानूनी मना है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

एक्स–रे की सुविधा

१०३०. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बीकानेर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित औद्योगिक कर्मचारियों को एम्प्लॉईज स्टेट इन्श्योरेन्स डिस्पेन्सरी के इन्चार्ज डाक्टर की सिफारिश के बावजूद भी पी. बी. एम. अस्पताल में मुफ्त एक्सरे की सुविधा नहीं दी जाती ?

(२) क्या यह सही है कि एम्प्लॉइज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम में कवर्ड कर्मचारियों को देश के दूसरे हिस्सों में मुफ्त एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) बीमाशुदा कर्मचारियों को एक्सरे की सुविधा केवल विशेषज्ञ की सिफारिश करने पर मुफ्त दी जाती है ।

(२) जी हां ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें विशेषज्ञ से आपका क्या मतलब है ? स्टेट इन्श्योरेन्स डिस्पेन्सरी के इन्चार्ज जो डॉक्टर हैं वे रिकमंड करते हैं, क्या उनको आप विशेषज्ञ नहीं मानते? जब वे रिकमंड कर देते है तो उनको पी.बी.एम. अस्पताल में एक्सरे की सुविधा क्यों नहीं मिलती? जब तक स्पेशलिस्ट मुकर्रर न हो जाय तब तक क्या वे कर्मचारी एक्सरे की सुविधा से वंचित रहेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: अस्पताल के विशेषज्ञ यदि रिकमण्ड कर दें तो एक्सरे हो सकता है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन एम्प्लॉईज को एक्सरे की सुविधा नहीं दी जा रही है, अस्पताल के विशेषज्ञ इनको नहीं देखते हैं जब वहां का डॉक्टर सिफारिश कर देता है, कि इनका एक्सरे किया जाय, तो अस्पताल में एक्सरे करने की सुविधा देने में क्या एतराज है जब कि दूसरी जगह ये सुविधायें दी जाती है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डॉक्टर के रिकमण्ड करने पर अस्पताल का विशेषज्ञ नहीं देखता हो ऐसी बात नहीं, यदि आप कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स ध्यान में लावेंगे तो जानकारी की जायगी ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब स्पेसिफिक सवाल होते हैं चार-पांच तभी जाकर सवाल पूछा जाता है । जब कि वहां के अस्पताल के डॉक्टर सिफारिश कर देते हैं फिर भी पी.बी.एम. अस्पताल में एक्सरे नहीं होता ऐसी हालत में आप वहां अस्पताल को यह डायरेक्टिव क्यों नहीं देते हैं–जब इस प्रकार के केसेज आवें तो अस्पताल का स्पेशलिस्ट एग्जामिन करे । मरीजों को दिक्कत न हो इस प्रकार की सुविधा देने में आपको क्या एतराज है ?

श्री अध्यक्ष : This is a suggestion for action not question.

अमेरिका सरकार द्वारा अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये अनाज

१०३१. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि अमेरिका सरकार द्वारा राजस्थान के अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत के लिये तीस हजार टन गेहूं व पचीस हजार टन एनीमल फीड दिये जाने का तय किया गया है ?

(२) राज्य सरकार द्वारा इस गेहूं के वितरण के लिये किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है ?

(३) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस एनीमल फीड का निःशुल्क वितरण सिर्फ बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर व जोधपुर जिला तथा अनूपगढ तहसील में किये जाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो अकालग्रस्त जात अन्य क्षेत्रों में इसका वितरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या राज्य सरकार यह उचित व आवश्यक नहीं समझती है कि इसका लाभ

(श्री फूलचन्द जैन)

पूरे अकालग्रस्त क्षेत्र के पशुओं के लिये मिलना चाहिये ?

(५) कुछ क्षेत्रों में इसे निःशुल्क वितरित किया जाय और अन्य क्षेत्रों के लोगों को ३) रु. प्रति मन फीडर खरीदना पड़े, क्या यह राज्य सरकार की भेदभाव पूर्ण व्यवस्था नहीं होगी ?

(६) इसका लाभ पूरे अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये मिल सके इसके लिये क्या राज्य सरकार यह न्यायोचित नहीं समझती है कि या तो इसे सभी जगह निःशुल्क वितरित किया जाय और नहीं तो इस एनीमल फीड को एक स्थान पर एकत्रित किया जा कर ३) रु. प्रति मन की वर्तमान दर के स्थान पर सस्ती दर पर पूरे अकाल क्षेत्र में वितरित किये जाने की व्यवस्था की जाय ?

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल): (१) जी हां। केवल २०,००० टन गेहूं तथा ३०,००० टन कैटल फीड उपहार स्वरूप प्राप्त होगा।

(२) यह गेहूं फिलहाल (i) बीकानेर (ii) बाड़मेर (iii) जैसलमेर (iv) जोधपुर जिले में ही बांटा जावेगा। गेहूं का वितरण केवल उन व्यक्तियों को ही होगा जो सहायता कार्यों में लगे हुए हैं। प्रत्येक मजदूर को उसकी मजदूरी का ६० प्रतिशत भाग गेहूं के रूप में तथा ४० प्रतिशत भाग नकद द्रव्य के रूप में चुकाया जावेगा। यह गेहूं मजदूरों को ३८ नये पैसे प्रति किलो के भाव से दिया जावेगा।

(३) जी हां; बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बाड़मेर जिले में तथा अनूपगढ तहसील में चारे का अभाव अन्य अभावग्रस्त क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है।

(४) यह सम्भव नहीं है।

(५) जी नहीं। अमेरिकन एड मिशन द्वारा प्राप्त यह एनीमल फीड उनकी शर्त के अनुसार चारे के अत्यंत अभाव वाले क्षेत्रों में केवल प्रोडक्टिव पशुओं के लिये वितरित किया जाता है।

(६) प्रश्न भाग ३, ४ एवं ५ के उत्तर में स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

श्री केसरीसिंह (पाली) : अध्यक्ष महोदय जो क्षेत्र लगातार दो दो सालों से अकाल पीड़ित है, जैसे पाली क्षेत्र है वह इसी इलाके से लगा हुआ है, क्या आप वाजिब नहीं समझते कि इन चीजों का वितरण यहां भी किया जावे? जिस क्षेत्र में लगातार तीन साल से डिक्लेअर्ड अकाल घोषित हुआ है वहां भी आप यह भेजें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, पाली में तीन साल से अकाल डिक्लेअर्ड नहीं है।

श्री केसरीसिंह : पिछले चार सालों में तीन साल डिक्लेअर्ड रहे हैं। इस साल है, पिछले साल था, उससे पिछले साल नहीं था, उससे पिछले साल था।

श्रीमती कमला बेनीवाल : बीच में एक साल अच्छा होने से पिछले दो साल काउन्ट करते हैं वे लागू नहीं होते।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : भीलवाडा जिले में आसीन्द तहसील के ७१

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
गांवों में अकाल है तो क्या यह वहां भी एप्लाई किया जावेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जैसी हालत इन जिलों में है वैसी चारे अनाज के मामले में इस तहसील में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : किस तरह की चीज है यह ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अमेरिका वालों ने यह सहायता अकाल सहायता के लिये दी है ।

श्री अध्यक्ष : यह कब तक आ जावेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): किसी भी महीने में कभी भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अनूपगढ़ तहसील में जो कि आधी इरिगेटेड एरिया है उससे अधिक प्रभाव अकाल का सूरतगढ़ और रायसिंहनगर में है, वहां क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : ऐसे ही क्षेत्रों में दिया जावेगा जिनमें अभाव है अधिक है ।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या राजस्थान में यह सही है कि अकालग्रस्त सबसे ज्यादा पशुओं के मामले में नागौर जिला है, और वहां से अधिक पशु बाहर गये हैं पर उनको चारा नहीं मिलने से उनकी हालत खराब हो रही है और लौट कर आने के बाद भी उनकी हालत अच्छी नहीं है ? अगर यही रहा तो ह नागौरी नस्ल खत्म हो जावेगी तो इसको ध्यान में रख कर इस जिले को भी इसमें शामिल किया गया है या नहीं या करने का सरकार का इरादा भी है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो अमेरिकन एड कमीशन है या मिशन है उसके सामने ये सारे फैक्टर्स रखे गये है कि किन किन जिलों में यह सहायता दी जाय । हम भी ऐसा समझते हैं कि कुछ और इलाके हैं जिनमें सुविधा प्राप्त करानी चाहिये और यह अगर प्राप्त उन जिलों में भी हो सके तो उचित होगा । इस सम्बन्ध में अपनी तरफ से प्रयत्न करेंगे और कर रहे हैं । पर आखिर में इसका निर्णय तो लेने वाले ही ले सकते हैं । पर और इलाकों में भी जहां ज्यादा दिक्कतें हैं यह सुविधा प्राप्त हो सके, इसका प्रयत्न किया जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कौनसे जिले में दिया जावे, इसका निर्णय राजस्थान सरकार नहीं करके फौरिन सरकार तै करती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या हमारी सोवरेन्टी पर यह आक्षेप नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उनकी कन्सल्टेशन से करते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप कह रहे हैं कि यह निर्णय तो देने वाला ही कर सकता है तो अमेरिकन सरकार यह देती है तो वह तै करेगी ? मैं पूछता हूं अन्तिम ऑथोरिटी तै करने वाली कौन है ? क्या आपके यहां देने न देने का निर्णय अमेरिकन सरकार करे यह आप वाजिब समझते हैं ? सरकार की इच्छा

Page No. 29

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के अनुसार व्यवस्था होती है या उनकी इच्छा के अनुसार सरकार व्यवस्था करती है ? यह तो हमारी सोवेरेन्टी पर सीधा हमला है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : राजस्थान सरकार भारत सरकार और अमेरिका सरकार तीनों निर्णय करते हैं। इसके पहले निर्णय लेने में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया राजस्थान सरकार से कन्सल्टेशन करके उनसे बात करती है और जितना मैग्जिमम रिलीफ मिल सके वैसा प्रयत्न किया जाता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछता हूं इस अनाज और फोडर के देने में क्या अमेरिकन सरकार ने यह शर्त लगाई है कि जिस जिले में जिस स्थान में वे चाहेंगे, उस जिले और उस स्थान में भारत सरकार या राजस्थान सरकार उसको वितरित करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह कन्डीशन थी तभी चार डिस्ट्रिक्ट्स रखे गये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसी शर्त रखी है अमेरिकन गवर्नमेन्ट ने ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : उनके सामने रख दिया गया था कि राजस्थान के १३ जिलों में फेमिन डिक्लेअर हैं, पर उन्होंने चार डिस्ट्रिक्ट्स अपनी एड के लिये ये सिलेक्ट किये हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फौरिन सरकार इन जिलों को सिलेक्ट करे और यह फोर्स करे भारत सरकार और राजस्थान सरकार पर कि इन्हीं में वितरण किया जावे, क्या इसे सरकार अपनी सोवेरेन्टी का हनन नहीं मानती ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसमें कोई हनन की बात नहीं आती है । अगर कहीं की अकाल सेवा समिति यह कहे कि हम तो एक ही तहसील को लुक आफ्टर करेंगे तो इसमें सोवरेन्टी कैसे क्यों खतम हो गई ?

श्री रामानन्द अग्रवाल: whosoever he may be.

श्री **अध्यक्ष** : Next.

ग्राम भोजासर में पीने के पानी की समस्या

१०३२. श्री **रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि तहसील फलौदी, ग्राम भोजासर में गांव वालों ने पीने के पानी के लिये एक सार्वजनिक बेरा करीब २८ पुरस गहरा खोदा है ? अगर हां, तो इसमें कितना गांव वालों ने व कितना सरकार ने खर्चा किया है ? अब उक्त बेरे में पानी आने के लिये कितना और गहरा खोदने की आवश्यकता है ?

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त बेरे में अब कठोर पत्थर आ गया है और बोरिंग मशीन से पत्थर तुडवा कर कार्य कराने की आवश्यकता है ? अगर हां, तो सरकार बोरिंग मशीन द्वारा पत्थर तुड़वा कर उपरोक्त बेरा कब तक पूरा करा देने का विचार रखती है ?

(३) क्या यह भी सच है कि अब गांव वाले आगे बेरे का कार्य करने में असमर्थ हैं ? अगर हां, तो पानी की समस्या हल करने

Page No. 30

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

के लिये क्या बाकी कार्य सरकार पूरा करवा कर उपरोक्त बेरा पूरा खुदवाने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) क्या यह सच है कि ग्राम भोजासर में पीने का पानी लाने के लिये अब कई मील दूर लोगों को जाना पड़ता है और इसलिये कठिन परिश्रम कर गांव वाले उपरोक्त बेरा खोद रहे हैं ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा): इसका सम्बन्ध, अध्यक्ष महोदय, विकास से है, इसलिये वही इसका उत्तर देंगे ।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** : आपके पास इन्फोर्मेशन है तो आप दे दीजिये । काफी पहले यह सवाल आ गया था ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह उनको ट्रान्सफर कर दिया गया है, मेरे पास नहीं है ।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** : आप दे सकते हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : वे कहती हैं, उनके पास जानकारी नहीं है ।

श्री **रघुनाथ बिश्नोई** : प्रश्न की जानकारी तो मौजूद है आपके पास । अब देना न चाहें, यह अलग बात है ।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

पुनर्गृहीत जागीरों का रिकॉर्ड

१०३३. श्री **तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि जागीरदार को जागीर पुनर्ग्रहण की तारीख के बाद निर्धारित अवधि में अपनी जागीर से सम्बन्धित रेकॉर्ड राज्य सरकार को सौंपना पड़ता है ?

(२) पाली जिले के किन किन जागीरदारों ने उक्त नियम की पालना की व जिन जागीरदारों ने उक्त नियम की पालना नहीं की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, और नहीं की तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सच है कि रेकॉर्ड चार्ज न देने की वजह से आबादी भूमि व दूसरी तरह के खातेदारी भूमि के बाबत व सब-ग्रान्ट्स के बारे में उक्त रेकॉर्ड का मिस यूज होता है जिसको रोकने के लिये ही उक्त नियम बनाया गया था ?

(४) सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जिन्होंने रेकॉर्ड नहीं दिया, अब रेकॉर्ड लेने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां । ऐसा प्रावधान है ।

(२) जिन जिन ने नियम की पालना की उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । जिनमें उक्त नियम की पालना नहीं की है उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि कोई हानि होने की आशंका नहीं थी ।

(३) जी हां । कानून बनाते समय डर यही था, मगर दरअसल ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हुई ।

(४) जवाब भाग २ में दिया जा चुका है । अब रेकॉर्ड लेने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उससे यह तो स्पष्ट है कि हमारी सरकार नियम बनाने में भूल कर सकती है पर कलेक्टर जो है वह नियम का पालन करे या न करे, सरकार उसे डिफेन्ड करेगी। जब नियम में साफ है कि अगर जागीरदार अपना रेकॉर्ड कलेक्टर को हैंड ओवर न करे तो उसे नोटिस देना चाहिये। पर नोटिस दिया नहीं और रेकॉर्ड लिया नहीं और कहते हैं कि शक नहीं है। उन्होंने बहुत से पट्टे और ग्रान्ट्स रिजम्प्शन के बाद दे दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही जागीर रिजम्प्शन की कार्यवाही हुई भूस्वामियों की ओर से आन्दोलन हो गया, जिसके कारण पं० जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता में एक फैसला हुआ और उस दरमियान और आन्दोलन के दरमियान में एक्ट के प्रोवीजन जो दफा ३ ए के हैं, वे इम्प्लीमेन्ट नहीं हो सके। लेकिन जो आपने बताया कि आबादी की जमीन के पट्टे दे दिये हों, इस सिलसिले में जरूर ऐसा अन्देशा हो सकता है और यह भी सम्भावना हो सकती है कि पट्टे आदि में हेरफेर कर दिये हों। पर जहां तक आबादी जमीन का प्रश्न है उनका बर्डन जागीरदार पर था कि वे साबित करें कि उनकी आबादी जमीन का पटटों से आमदनी होती है वह होती थी या नहीं ?

और अगर पट्टों में हेर फेर किया जाता तो वह जरूर रेकॉर्ड में रिफ्लैक्ट होता और रेकॉर्ड में रिफ्लैक्ट होने के कुछ केस हमारे सामने आये थे और उनके क्लेम अमान्य करार दिये गये।

श्री तेजाराम गहलोत : क्लेम को अमान्य कर दें या नहीं कर दें यह प्रश्न तो अलग है। पर जागीर रिजम्प्शन के बाद में प्रोपर्टी का टाइटल ट्रान्सफर करने और उनको कन्फर्म करने के राइट इनको नहीं थे। पर बाद में भी ऐसी बहुत सी आबादी, सब-ग्रान्ट या खातेदारी के मामले हुए हैं जिनमें जागीरदार के पट्टों के आधार पर फैसले हुए हैं। इसमें पर्सनल वे इन्वॉल्व्ड न हुए हों पर टाइटल ग्रान्ट करने से बहुत से दूसरे आदमी जो हकदार नहीं हो सकते थे, उनको वह प्रोपर्टी और उसका टाइटल कन्फर्म कर दिया गया, उनके द्वारा बाद में भी दिये गये पट्टों के आधार पर, और इसी को ध्यान में रखते हुए नियमों में यह प्रावधान किया गया था।

कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा भी था, उस वक्त भी राजस्व मंत्री ने कहा था कि रेकॉर्ड कलेक्टर ने नहीं लिया है, कार्यवाही की जावेगी। और अब कहते हैं कि आवश्यक नहीं है। इस तरह से बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए हैं और उससे नाजायज प्रोपर्टी कन्फर्म हो चुकी है। इसको मद्दे नजर रखते हुए सोचें और उचित कार्यवाही करें।

स्थगित प्रश्न

(३०-३-६४ व ६-४-६४)

प्रश्न संख्या ७५४

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन।

स्थगित प्रश्नोत्तर

(३-४-६४ व ६-४-६४)

अकाल राहत कार्य

८५१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भीमसेन)

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर तहसील में अकाल राहत कार्य बहुत कम स्थानों पर खोले गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में अधिकांश गांवों में अकाल के कारण भुखमरी की स्थिति है ? अगर हां, तो सरकार सड़कों एवं तलाइयों का काम प्रारम्भ करने में क्यों विलम्ब कर रही है ?

उपमंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) इस तहसील के ४० प्रतिशत गांवों में राहत कार्य चालू किये जा चुके हैं।

(२) जी नहीं। ३ जनवरी, ६४ से सड़क निर्माण एवं नाड़ी खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क कार्य चल रहे हैं और उन पर ४ फेमिन कैम्प चलाए जा रहे हैं। मार्च के द्वितीय सप्ताह में ४२ काम नाडी तथा तालाब खुदाई के चलाए जा रहे थे जिन पर करीब ६७०० मजदूर काम करते थे। हर बड़े गांवों में तथा देहात में सस्ते अनाज की दुकानें तथा फोडर डिपो एवं पशुओं को चराने के लिये कैटल कैम्प खोल दिये गये हैं।

श्री भीमसेन : यह ६३ के लिये कहा।

श्री मती कमला बेनीवाल : जुलाई-अगस्त में खर्च हुआ, उसके लिये कह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

स्थगित प्रश्नोत्तर (७-४-६४)

निर्वाचन सूचियों का प्रकाशन

६२६. **श्री मानिकचंद सुराणा** (कोलायत) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कलेक्टर, जिला बीकानेर की ओर से दिनांक ३०-९-६३ को आगामी पंचायत चुनावों के लिये जिले भर की पंचायत बोर्ड निर्वाचन आपत्तियां मांगने हेतु प्रकाशित की गई थी ?

(२) क्या उक्त पंचायत बोर्ड निर्वाचन सूचियां उक्त प्रकाशन से पूर्व कलेक्टर द्वारा संशोधित कराई गई थी ? यदि हां, तो कब किस प्रणाली के जरिये ऐसा रिविजन किया गया ?

(३) क्या तहसील नोखा भर की उक्त प्रकाशित पंचायत वार्ड निर्वाचन सूचियों की बाबत ३०-९-६३ के नोटिस द्वारा दिनांक १८-१०-६३ का दिवस जांच हेतु निश्चित किया गया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा मौके पर तहसील हैडक्वार्टर नोखा पर जांच की गई थी ? क्या यह सही है कि दौराने जांच उक्त अधिकारी ने सर्व साधारण जनता को पुलिस फोर्स द्वारा तहसील भवन के अकारण ही जबरन बाहर निकलवा कर आपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया था और क्या उक्त व्यवहार की बाबत तहसील नोखा के विभिन्न पंचायत क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा कई विरोध प्रदर्शनार्थ उसी समय मौके पर लिखित प्रार्थना-पत्र सामूहिक रूप से पेश किये गये थे और सरकार के सम्बन्धित विभागों को इस विषय में तार भी दिये गये थे ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
यदि हां, तो ऐसी दरख्वास्तों व तारों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या पंचायत क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा प्रेषित किये गये प्रार्थना-पत्र एवं तारों पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उक्त व्यवहार की बाबत विभागीय रूप से कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो क्या जांच के वक्त शिकायत कर्त्ता नागरिकों को अपने सबूत पेश करने का पूरा अवसर प्रदान किया गया ? कृपया उपरोक्त तथ्यों की जांच के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) पंचायत वार्डों की निर्वाचन सूचियां प्रारम्भिक प्रकाशन के लिये विधान सभा की सूचियों के अनुसार संशोधित की गई थीं।

(३) जी हां, तहसील हैडक्वार्टर नोखा पर दावे व आपत्तियों की जांच श्री ए. एस. सिंघवी, उप-जिलाधीश (दक्षिण), बीकानेर द्वारा की गई थी। पुलिस फोर्स द्वारा साधारण जनता को तहसील भवन से जबरन नहीं निकाला गया और आपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं किया गया। निर्धारित समय के पश्चात् दिये गये दावों पर विचार न करने के विरोध में कुछ नागरिकों ने जांच अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिया था व सरकार को तार भी दिये थे। प्रार्थना-पत्र व तारों की प्रतिलिपि संलग्न की जाती है।

(४) क्लेक्टर, बीकानेर ने सरसरी जांच की। सरसरी जांच के पश्चात् विभागीय जांच आवश्यक नहीं समझी गई।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, जनरल इलेक्शन की सूचियों के लिये साधारणतया रिविजन के बाद ही वोटर्स आपत्ति पेश कर सकते हैं। रिविजन होने के बाद ही आपत्ति उठायी जा सकती है। सरकार सोच रही है कि जनरल रिविजन करना है या नहीं ? सरकार की इस संबंध में नीति स्पष्ट होनी चाहिये।

विधि मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : पंचायत इलेक्शन मई में करवाने थे। असेम्बली की जो लिस्ट नं० २ थी लेटेस्ट वह रिवाइज हो चुकी थी, उसी को बेसिस मान कर ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये गये थे और सारी कार्यवाही जो आवश्यक थी चुनाव के सिलसिले में वह करवा ली गई थी। इलेक्शन फेमिन के कारण पोस्टपोन हुए तो यह सरकार के विचाराधीन है कि इस साल इन्टेन्सिव लिस्ट प्रकाशित करवाई जाय या नहीं ? इसमें ६ लाख की धन-राशि खर्च होने का प्रश्न है। यह मामला वित्त विभाग के सामने विचाराधीन है। अगर उनकी ओर से सेंकशन मिल जाय तो यह हो सकता है। इलेक्शन डिपार्टमेन्ट जरूर चाहता है कि इन्टेन्सिव लिस्ट रिवाइज करायी जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने जवाब २ में कहा कि विधान सभा की सूचियों के अनुसार संशोधित की गई थी, तो वास्तव में जो असेम्बली इलेक्टोरोल थे वे ही प्रकाशित कर दिये गये थे या उनमें वास्तव में संशोधन कराया गया था ?

श्री मथुरादास माथुर : ६१-६२ की जो लिस्ट थी लेटेस्ट उसका रिवीजन हुआ है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कोई रिविजन नहीं हुआ है । असेम्बली लिस्ट थी उसी को शाया कर दिया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : ईयरली रिविजन होता है । ६०-६१ और ६१-६२ की लिस्ट थी लेटेस्ट उसको बेस माना है । एक साल असेम्बली लिस्ट रिवाइज हुई उसको बेसिस मान कर किया है । ओब्जेक्शन्स इन्वाइट किये गये और जो क्षेत्र दूर पड़ते थे तो वहां पर एस. डी. ओज. को भेज कर तय करवाये थे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जवाब दिया कि संशोधित की गई थी । नियमों में ईयरली रिविजन का प्रावधान भी है । हकीकत में आपने इस तरह की ईयरली रिविजन पंचायत क्षेत्रों में किया या नहीं और उसके बाद ही आपने वह किया या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : ६१-६२ की जो रिवाइज्ड इलेक्शन लिस्ट थी उसी को बेस मान कर कर दिया ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एग्जेक्टली उसी को बेस माना है, पंचायतों को सूचना भेज दी ओब्जेक्शन पेश करने की, उनकी लास्ट डेट नोटिफाई की थी कि किसी पर्टीकुलर तारीख तक कलेक्टर या एस. डी. ओ. के पास आपत्तियां प्रस्तुत कर देनी चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : दी है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कौनसी ?

श्री परसराम मदेरणा : १५-१०-६३

श्री मानिकचन्द सुराणा : कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है उसमें कहां मेन्शन है कि १५ तारीख तक ऑब्जेक्शन आ जाने चाहिये ? नोटिस में यह मेन्शन किया है कि १८ तारीख को सुनवाई होगी ।

श्री मथुरादास माथुर : उनकी सुनवायी की जावेगी १८ तक जिनके ओब्जेक्शन्स आ जावेंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा: सुनवाई की तारीख मेन्शन की, लेकिन पंचायतों की जानकारी के लिये आपने उस नोटिस में वह डेट स्पेसिफाई की थी कि फलां तारीख तक कलेक्टर के पास या एस. डी. ओ. के पास ऑब्जेक्शन्स आ जाने चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : कलेक्टर और एस. डी. ओ. के कार्यालय में ऑब्जेक्शन्स पेश हो जावें । हर एक आदमी को आपत्तियां पेश करने के लिये आने की आवश्यकता नहीं है । एक आदमी सौ आदमियों को ला कर आपत्तियां पेश कर सकता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा हुआ है । कलेक्टर और एस. डी. ओ. के पास आयी हैं । एक आदमी, सूचना मिलने पर जो आपत्तियां पेश करना चाहते हैं, उनके दस्तखत करवा कर पेश कर सकता है, लेकिन जब हीयरिंग होगी तो इन्डिविजुअल का वहां आना जरुरी है । इसलिये जहां दूर-दूर के क्षेत्र थे हमने यह कहा कि एस. डी. ओ. स्वयं चले जायं । एस. डी. ओ. गये हैं ।

Page No. 35

श्री **रामकिशन** (वैर) : नहीं गये हैं ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि १५ तारीख तक एतराज पेश करने चाहिये थे। नियमानुसार तो वह ठीक है। लेकिन मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन यह है कि क्या कलेक्टर ने जो नोटिस पंचायतों को भेजा था उसमें यह मेन्शन किया था कि १५ तारीख तक आपत्तियां कलेक्टर कार्यालय में या एस. डी. ओ. के पास पेश हो जानी चाहियें ?

श्री **परसराम मदेरणा** : पब्लिकेशन है ३०-६-६३। इस पर तो आपको एतराज नहीं है। रूल में प्रोविजन है···

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : रूल में प्रोविजन है·····

श्री **परसराम मदेरणा** : आप सुनिये तो सही।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : रूल में जो प्रोविजन है वह तो मैं जानता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : आप सुनिये तो कुछ। हमेशा कहते ही रहते हैं।

श्री **परसराम मदेरणा** : १५ दिन का नोटिस होता है। ३०-६-६३ को पब्लिकेशन हुआ। १५ दिन, १५ तारीख तक उसके दरमियान में या १५वें दिन के पहले पहले कलेक्टर के पास ओब्जेक्शन पेश कर सकते हैं। पब्लिकेशन की डेट दी है ३०-६-६३ और १५ दिन होते हैं १५-१०-६३ को। इसमें साफ लिखा है:—

"No Objection by delivering to Collector an application in writing not later than 30' Clock on the 50th day from the date of notice"..

पब्लिकेशन किया गया था publication was made at large उनको १५ दिन के अन्दर ओब्जेक्शन या क्लेम्स सब्मिट करने चाहिये थे। डेट नहीं दी तो रूल्स में प्रावधान है कि १५ दिन में क्लेम्स सब्मिट करने चाहियें थे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : रूल्स किसानों को मालूम थे।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : नियमों के प्रावधान को मैं चुनौती नहीं दे रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि १५ दिन का जो आपने कहा उसकी तो इस तरह से गांव वालों को नियमों की जानकारी नहीं होती इसलिए नोटिस में यह मेन्शन होता कि १५ तारीख तक पेश कर दें तो वे पेश कर देते। आपने १५ तारीख तक पेश करने के लिए नहीं कहा और १८ तारीख को हीयरिंग की।

श्री **परसराम मदेरणा** : नोटिस में यह लिख दिया गया था कि १५ दिन की मयाद है।

श्री **मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : कब से ?

श्री **मथुरादास माथुर** : क्लीयरली मेन्शन्ड।

श्री **अध्यक्ष** : श्री भीमसेन।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : यह तो थियोरिटिकल प्रश्न हुए हैं।

श्री **अध्यक्ष** : No more questions Please.

Page No. 36

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो एतराज करने आये थे उनको धक्के देकर निकाल दिया गया ।

श्री **अध्यक्ष** : मैं मना कर चुका हूं । अभी बहुत क्वेश्चन्स बाकी हैं । उनको निकलवा दिया तो यह कोई तरीका नहीं है कन्टेस्ट करने का ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : दरख्वास्तें मुझे दी हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : यह तरीका नहीं है एतराज रखने का ।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : यह इन्क्वायरी·····

श्री **अध्यक्ष** : Order please ! माननीय सदस्य मैं इन्कार कर चुका हूं प्रश्न न पूछें । और भी प्रश्न पूछे जाने हैं । दस-बारह माननीय सदस्य बैठे हैं ।

श्री भीमसेन ।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

बीकानेर पोलिटेक्निक

२३४ (एस. एन. क्यू.) श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पोलिटेक्निक, बीकानेर के तृतीय वर्ष के छात्रों को अध्ययन हेतु बीकानेर से अन्यत्र भेजे जाने का निर्णय लिया है ? अगर हां, तो क्या इस निर्णय से छात्रों को बड़ी असुविधा होगी ?

(२) क्या बीकानेर में ही सरकारी एवं गैर-सरकारी मकानात पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं जिनसे नये भवन निर्माण तक काम चल सकता है ?

(३) सरकार इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कार्यवाही कर रही है जिससे कि छात्रों को बीकानेर में ही अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो सके ?

(४) छात्रावास की सुविधा देने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं ।

(२) मामला पोलिटेक्निक बोर्ड के विचाराधीन है ।

(३) जी नहीं ।

(४) सरकार ने छात्रावास बनाने के लिए इस वर्ष के बजट में प्रावधान कर दिया और उसका कार्य शुरू कर दिया है ।

श्री **भीमसेन** : अध्यक्ष महोदय, यह जो विचाराधीन बताया तो जो निर्णय है उसके अनुसार तो बीकानेर के तृतीय वर्ष के छात्रों को बाहर जाना पड़ेगा ।

श्री **निरंजननाथ** आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसकी १६ तारीख को मीटिंग होने वाली है । उस मीटिंग में इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा । यह सामने रखते हुए कि वह थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को बाहर जाने के लिए दिक्कत होती है यह प्रश्न अलग से विचार किया जायेगा ।

श्री **अध्यक्ष** : इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है ।

श्री **तेजाराम गहलोत** (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, on a point of information,

(श्री तेजाराम गहलोत)

Sir, मेरा एक प्रश्न ८६७ आज के लिए एडजोर्न हुआ था कृपया उसका उत्तर दिलवा दिया जाये ।

श्री **अध्यक्ष** : आज के लिए नहीं हुआ था । उसमें मंत्री महोदय कानूनी राय के लिए जानकारी चाहते थे ।

श्री **तेजाराम गहलोत** : तो कल हो जाये इसका उत्तर ।

श्री **अध्यक्ष**: बहुत पेचीदा मामला है ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नगर विकास मन्डल द्वारा वसूली

३२४. श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) नगर विकास मण्डल के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री देवीशंकर जी तिवाडी के त्याग-पत्र के पश्चात् अब तक नगर विकास मण्डल द्वारा कितनी और किस प्रकार की वसूली की गई ?

(२) इस वसूली में कौन-कौन और किस किस प्रकार के डिफॉल्टर्स थे और उनसे कितनी कितनी रकम वसूल हुई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(३) क्या इन डिफॉल्टर्स पर कोई पेनल्टी भी लगाई गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) ६,१०,६७०.२८ रु० की नजराना जमाबन्दी तथा ब्याज व जुर्माना के कारण ३१-८-६३ तक वसूल किया गया ।

(२) कर्मचारी तथा अन्य डिफॉल्टर्स थे । तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां । नजराने पर ५ प्रतिशत साधारण ब्याज तथा ६ प्रतिशत पैनल ब्याज और शहरी जमाबन्दी पर ६ प्रतिशत ब्याज व १ आना रुपया पैनल्टी ली जाती है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पीने की पानी की समस्या

३२५. श्री **फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लगभग चालीस हजार की आबादी के सुजानगढ़ नगर की पीने के पानी की भयंकर समस्या के निवारणार्थ राज्य सरकार ने अब तक क्या २ कदम उठाए हैं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या राज्य सरकार द्वारा सुजानगढ़ के आसपास के क्षेत्र का मीठे पानी की उपलब्धि की दृष्टि से सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार सर्वे कराना उचित व आवश्यक नहीं समझती है ?

(३) क्या यह सही नहीं है कि राज्य सरकार सुजानगढ़ में पीने के पानी की समस्या को हल करने में अब तक असफल रही है और उसकी उदासीनता इसका मुख्य कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि नगरवासियों की ओर से अब तक इस समस्या के हल के

(श्री फूलचन्द जैन)

लिए बोरिंग आदि में लाखों रुपयों की धन-राशि व्यय की जा चुकी है परन्तु राज्य सरकार उन्हें आवश्यक साधन तक देने में असमर्थ रही है ?

(५) राज्य सरकार इसके हल की कब तक आशा रखती है ?

उत्तर

(१) विस्तृत विवरण को सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(२) जी हां, रिपोट सदन को मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं ।

(४) जल प्रदाय विभाग के पास इसकी सूचना नहीं है ।

(५) इसके बारे में निश्चित सूचना एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वेल ऑर्गेनाइजेशन की खोज की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दी जा सकती है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

पशुओं एवं मनुष्यों के पानी की व्यवस्था

३२६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गांव खारी घीरेरा स्टेशन, धीरेरा के इर्द गिर्द के गांव महराना, जैसा सोदेरा, डूडीवाली, दुलमेरा आदि के निवासियों के पशुओं एवं मनुष्यों के लिये पानी की क्या व्यवस्था है ?

(२) क्या उपरोक्त गांवों के लिये जल-प्रदाय विभाग ने कोई योजना तैयार की है ? अगर हां, तो राज्य सरकार उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित करेगी ?

उत्तर

(१) गांव खारी में मीठे पानी के दो कुए हैं जिनमें पानी इस कदर तादाद में है कि कितने भी पशु या मनुष्य इस गांव में पानी पीते रहें तो कभी खत्म नहीं होता ।

(ख) घीरेरा स्टेशन पर खारी गांव से रेल्वे द्वारा उनके कुए से पाइप द्वारा पानी लाये जाने की मशीन फिट हो चुकी है जिससे घीरेरा स्टेशन पर पानी पहले सालों की तरह काफी मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा ।

(ग) जैसा साधेरा, महराना, डूडी-वाली, दुलसेरा और धीरेरा गांव में कच्ची कुइयां मनुष्यों के पीने के पानी के लिये मौजूद हैं जिनमें शरद ऋतु में पानी काफी मात्रा में रहता है । अगर गर्मियों में पानी की मात्रा कुछ कम रह जाती है फिर भी उन गांवों में पानी पीने की समस्या हल हो ही जाती है । पशुओं के पीने के पानी के लिये गांव घीरेरा, दुलमेरा में कुए हैं जिनका पानी कड़वा जरूर है मगर जानवरों को वर्षों से पिलाया जा रहा है जिनके वो आदी हैं और पानी साधेरा, महराना, जैसा डूडीयाली में लोग कुईयों से पशुओं को पिलाते हैं, और अधिक आवश्यकता हो तो पास के गांवों से पशुओं को पानी पिलाते हैं ।

(२) ग्राम खारी में एक कुआ रेल्वे विभाग का है, यदि इस कुवे को रेल्वे अधि-कारियान देने को तैयार हो जायें तो जल वितरण योजना चालू हो सकती है । यह अभी विचाराधीन है कि इस कुवे को रेल्वे फिर चालू करेगी या नहीं ?

गांव में सस्ते अनाज की दुकानें

·३२७. श्री **नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने शहरों में सस्ते अनाज की दूकानें खोली हैं ? अगर हां, तो कहां २ और किस-किस रेट से उन दूकानों से अनाज मिलता है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) क्या गांवों में भी सरकार इस तरह की सस्ते अनाज की दूकानें खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) हां, यह सही है । इसके लिये सरकार ने शहर में ३००० से ६००० की आबादी पर एक दूकान तथा पंचायत समिति, कस्बा, गांव एवं तहसील के मुख्यावास पर एक दुकान खोली जावेगी ऐसा निर्णय लिया है । अनाज की दरें निम्न प्रकार से होंगी :—

१. होलसेल की दर	गेहूं	३६.६२ प्रति क्विटल रेल से आने पर ।
२. रिटेल गेहूं की दर		४०.६१ प्रति क्विटल रेल से आने पर ।
		४१.५८ प्रति क्विटल सड़कों से आने पर।

(२) हां, सरकार ने ऐसे गांवों से भी जहां ५००० की आबादी है एक सरकारी दूकान खोल देने के आदेश जिलाधीश को दे दिए हैं ।

नगरपालिकाओं का ऑडिट

३२८. श्री **तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी नगरपालिकायें हैं जिनका ऑडिट मार्च, १९६३ तक नहीं हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) जिन नगरपालिकाओं का ऑडिट मार्च, १९६३ तक नहीं हुआ है उसका क्या कारण है ? वहां पर ऑडिट पार्टी कब कब गई व फिर भी ऑडिट नहीं कराया गया उसका क्या कारण है ?

(३) सरकार ने उन नगरपालिकाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(४) उक्त नगरपालिकाओं में से किन-किन नगरपालिकाओं में गबन की शिकायतें हैं ? गबन की शिकायत कब सरकार के ध्यान में पहले पहल आई व उक्त सूचना मिलने से लेकर अब तक सरकार ने क्या क्या कदम उठाये ?

(५) क्या यह सच है कि जिन नगरपालिकाओं के हिसाब मार्च, १९६२ तक भी ऑडिट नहीं हुए उनमें गबन होते हुए भी सरकार उनके साथ पक्षपात कर रही है और यही कारण है कि मामले पुलिस में नहीं भेजें गये हैं ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(२) वर्ष १९६२-६३ के हिसाबों की जांच वर्ष १९६३-६४ तक करनी थी । प्रोग्राम मार्च, १९६४ में रखा गया था जो पूरा हो गया है इस तरह की कोई सूचना नहीं है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

(४) नगरपालिका, तारानगर के वर्ष १९६०-६१ के हिसाबों में रु. १,१९७.६५ न. का गबन पाया गया। वसूली की कार्यवाही पै. की जा रही है। वर्ष १९५७-५८ में हिसाबों की जांच के समय नगरपालिका नीम का थाना में रु. ५२.५९ न.पै. का गबन पाया गया। वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(५) मार्च, ६२ तक किसी भी नगरपालिका के हिसाबों की जांच बकाया नहीं है इसलिये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

चम्बल योजना और सिंचाई के लिये पानी देने के नियम

३२९. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) काश्तकारों को चम्बल योजना में सिंचाई के लिये पानी देने के क्या कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(२) तहसील बूंदी में नहरों से ऊंचे ऐरिया में पानी वितरण की क्या व्यवस्था है?

(३) क्या काश्तकारों की आवश्यकतानुसार तुरन्त पानी देने की व्यवस्था है?

उत्तर

(१) जी हां, इसके लिये राजस्थान इर्रिगेशन व ड्रेनेज रूल्स, १९५५, जो राज-पत्र में १९-१२-५७ को छपे हैं, देखने की कृपा करें।

(२) नहरों से ऊंचे एरिया को लिफ्ट से पानी दिया जायगा।

(३) फ्लो इर्रिगेशन की पूरी व्यवस्था है।

शक्कर का वितरण खारची तहसील

३३०. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) खारची तहसील में १९६३ में जब से शक्कर का कन्ट्रोल शुरू हुआ है किन किन को रिटेलर्स मुकर्रर किया गया?

(२) प्रश्न के भाग (१) में बताये गये रिटेलर्स को इस तरह मुकर्रर करने का आधार क्या था?

(३) खारची तहसील में शक्कर के कन्ट्रोल शुरू होने से लेकर ३१-१-६४ तक कितना कितना कोटा तहसील को अलॉट किया गया? उसका वितरण तहसील अधिकारी ने किस तरह किया व फी कुटुम्ब हर कोटे में कितना कितना अलॉट किया व स्पेशल कार्य हेतु कितना रखा व किन किन को दिया गया?

उत्तर

१. जिन २ को रिटेलर नियुक्त किया गया है उन की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है?

२. जिलाधीश द्वारा तहसीलदारों एवं पंचायत की सिफारिश के आधार पर इनको नियुक्त किया गया है। व्यक्तिगत रिटेलर्स उस अवस्था में नियुक्त किये गये जबकि सहकारी समितियों लेने को आगे नहीं आई?

Page No. 41

(श्री खाद्य मंत्री)

३. वांछित सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है। जो कोटा एलॉट किया गया उसमें से १० प्रतिशत कोटा हलवाई, होटल व बीमारी में वितरण किया गया व बाकी ६० प्रतिशत रिटेलर्स को एलॉट किया गया। सारी तहसील रूरल एरिया होने के कारण हर परिवार को एक किलो शक्कर रिटेलर्स द्वारा वितरण की गई।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

ऊंट नस्ल सुधार केन्द्र, बीकानेर

३३१. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, पशुपालन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ऊंट नस्ल सुधार केन्द्र, बीकानेर में कुल कितने नर व मादा पशु प्रारम्भ में भर्ती किये गये और अब तक कुल कितने बच्चे हुए ?

(२) विभाग की ओर से प्रति पशु खुराक की क्या स्केल निर्धारित है तथा इस समय उन्हें कितनी मात्रा में खुराक दी जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि पूरी संभाल एवं खुराक के अभाव में कई पशु तथा बच्चे मर चुके हैं ? अगर हां, तो कितने ?

(४) क्या सरकार मौजूदा पशुओं की उचित देखभाल की एवं खुराक की व्यवस्था करने तथा उन्हें एक स्थान पर ही रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) प्रारम्भ में ९४ मादा ऊंट व ८ नर ऊंट रखे गए। और अब तक कुल २३६ बच्चे हुए।

(२) प्रति पशु प्रतिदिन की खुराक की स्केल इस प्रकार निर्धारित है :

		चारा	दाणा
क. नर ऊंट बड़ा	१८	पौण्ड	५ पौण्ड
ख. मादा ऊंट (बड़ी)	१६	पौण्ड	४ पौण्ड
ग. १ साल तक (बच्चे)	४	पौण्ड	१ पौण्ड
घ. १ से २ साल तक (बच्चे)	८	पौण्ड	२ पौण्ड
ङ. २ से ३ साल तक (बच्चे)	१२	पौण्ड	३ पौण्ड

आजकल ऊंट बाहर चराई के लिये भेजे हुए हैं। इसलिये ब्याई हुई सांडों को ही १६ पौण्ड लूंग (चारा) रोजाना दिया जाता है। और बाकी को हरे पत्तों पर चराई कराई जाती है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, बरसात के बाद।

ऊंटों की नस्ल सुधारने हेतु केन्द्र

३३२. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ऊंटों की नस्ल सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ स्थानों पर केन्द्र कायम किए हुये हैं ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) यदि हां, तो कहां, किस स्थान पर और कितने ऊंट-ऊंटनी खरीद किये और कब कब उनकी कुल कितनी कीमत दी गई ?

(३) ऊंटों की नस्ल सुधार की दृष्टि से उक्त केन्द्रों में कुल कितने ऊंट के बच्चे पैदा हुये, कितने अब तक मरे और कितने बच्चे गर्भपात होने से गिर गये ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र में ऊंटों की दशा दयनीय है और काफी जीर्ण व दुर्बल होने से गर्भपात हो जाने से बच्चे उत्पन्न नहीं किये जा सके ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) केवल एक केन्द्र बीकानेर में खोला गया। ऊंट-ऊंटनी की संख्या व खरीद की रकम का ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

वर्ष	ऊंट	ऊंटनी	रकम
५९-६०	१५	६४	१,१२,०००
६०-६१	..	५१	४७,६२५
६१-६२	१	२६	२४,०००
६२-६३	..	१८	२०,०००
६३-६४	..	..	..
कुल योग –	१६	१८६	२,०३,६२५

(३) अब तक कुल २४० बच्चे पैदा हुये, उनमें से ५३ बच्चों की मृत्यु हो गई तथा ४५ गर्भपात के कारण मरे।

(४) जी नहीं।

नगरपालिकाओं के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के विरुद्ध गबन के मामले

३३३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अप्रैल १९६२ से ३१-१-६४ तक किन किन नगरपालिका के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के विरुद्ध गबन व पद के दुरुपयोग की शिकायतें हुई व कब कब ?

(२) उक्त नगरपालिकाओं में से किन किन अध्यक्षों को व उपाध्यक्षों को निलंबित किया गया व कब से कब तक ?

(३) उक्त नगरपालिकाओं के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के विरुद्ध कराई गई जांच से किन किन के विरुद्ध आरोप सही पाये गये व उसके बाद सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

(४) उक्त अर्से में राज्य सरकार ने कहां कहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया व कब किया।

(५) किन किन नगरपालिकाओं के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को जांच के दौरान निलम्बित रखा व कहां कहां निलम्बित नहीं किया व ऐसा न करने का क्या कारण है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

रॉयल्टी की वसूली

३३४. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बडी रेल्वे लाइन माधोपुर से कोटा के कार्य हेतु इन्दरगढ,

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
लाखेरी, बलवन के पहाडों से ठेकेदारों के द्वारा पत्थर व गिट्टी की सप्लाई की जा रही है ?

(२) यदि हां, तो अब तक किस किस ठेकेदार के द्वारा कितनी कितनी रॉयल्टी जमा करवाई गई और इसकी वसूली का कौनसा तरीका अपनाया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि बलवन के पहाड़ से पक्की फर्शी निकाली जा रही है ? यदि हां, तो इसका ठेका किसके नाम पर है ? इसकी कितनी रॉयल्टी वसूल की जाती है, और उसमें से जमा कितनी हुई है और बकाया कितनी है ?

उत्तर

(१) यह सत्य है कि लाइन माधोपुर से कोटा के कार्य हेतु इन्द्रगढ, लाखेरी, बलवन के पहाडों से चिनकारी पत्थर व मिट्टी की सप्लाई ठेकेदारों द्वारा की जा रही है ।

(२) १. ठेका रॉयल्टी कलेक्शन मेसनरी स्टोन, मोहनपुरा, तहसील इन्द्रगढ मियाद १-४-६३ से ३१-३-६४ तक के लिए रु. १,२५५) सालाना पर बनाम उत्तमचन्द वल्द बच्छमल, ठेकेदार के नाम स्वीकार किया गया ?

२. दूसरा ठेका रॉयल्टी कलेक्शन मेसनरी स्टोन, इन्द्रगढ मियाद ३१-७-६२ से ३१-३-६४ बजमा ३००) रुपये सालाना पर श्री मानकलाल वल्द मोतीराम, ठेकेदार के नाम स्वीकार किया गया है ।

इसके अलावा शोर्ट टर्म पर परमिट लेने वाले व्यक्तियों से प्रत्येक से रु. ५ फीस जमा करवाई जाती है तथा रेन्ट कम-रॉयल्टी का ठेका दिये जाने पर उससे अलग रकम ५०) अथवा १००) स्वीकृत किये जाने से पूर्व जमा कराई जाती है। इस प्रकार जितनी रकम वसूल हुई है उसका विवरण लिस्ट के रूप में संलग्न है । परमिट होल्डर्स से रॉयल्टी ठेकेदारान ही लेते हैं, राज्य में जमा नहीं होती है ।

(३) यह सत्य है कि बलवन के पहाड से पक्की फर्शी निकाली जा रही है, इसका ठेका भी जगदीपसिंह, ठेकेदार, गुमानपुरा, कोटा के नाम मियाद १-८-५९ से ३१-७-६४ तक बजमा १७,०००) रु. सालाना के हिसाब से स्वीकार किया गया है। इस ठेके में दिनांक १-८-५९ से २९-२-६४ तक रु. ७८,३११.६३ नये पैसे काबिल वसूली रकम बनी है जिसमें से रु. ७६,६११.६४ नये पैसे वसूल हो चुके हैं, बकाया १,६९९.९९ न. पै. रहते हैं यह बकाया माह मार्च,६४ के अन्त तक जमा हो जावेगी ।

शीत लहर से फसलों को नुकसान

३३५. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान में शीत लहर आने से सन् ६३-६४ की रबी की पूरी की पूरी फसल बरबाद हो गई है या कुछ ही जिलों में ?

(२) किन किन जिलों की किन किन तहसीलों में किस किस प्रकार की कितनी कितनी फसल शीत लहर आने पर बरबाद हुई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) क्या शीत लहर से पीडित तहसीलों को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया

(श्री नत्थीसिंह)

गया है ? अगर हां, तो किन किन तहसीलों को ?

(४) अकाल पीडित किसानों को सरकार क्या क्या सुविधायें देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) शीत लहर के कारण रबी की फसल सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, पाली, गंगानगर, झुन्झुनू तथा सीकर जिले की कुछ तहसीलों में विशेषतौर से नष्ट हुई है ।

(२) वान्छित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) अभी तक रबी की फसल की गस्त गिरदावरी की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं मिली है। रिपोर्ट आने पर जिन गांवों में नुकसान आठ आने से अधिक होगा उन्हें अभाव ग्रस्त घोषित किये जाने की कार्यवाही की जायगी । अतः अभी तक किसी भी गांव को अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है ।

(४) भू-राजस्व अन्य राजकीय देय की वसूली को स्थगित करने तथा आवश्यकतानुसार राहत कार्य चालू करने की कार्यवाही करेंगी । इसके अलावा आवश्यकतानुसार पेय जल की व्यवस्था, सस्ते चारे के डिपो तथा सस्ते अनाज की दुकानें खोले जाने की व्यवस्था की जावेगी ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डिफेंस ऑफ इन्डिया एक्ट के अधीन गिरफ्तारियां

३३६. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में डिफेन्स आॅफ इन्डिया एक्ट के अधीन किस किस चार्ज पर, किन किन, व्यक्तियों को, कब कब गिरफ्तार किया गया और किन किन व्यक्तियों को कब कब रिहा किया ?

उत्तर

(१) सूचना संलग्न विवरण पत्रों में देदी गई है । यह सूचना दिनांक १०-२-६४ की स्थिति की द्योतक है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

करौली महुआ सडक पर दुर्घटनाएं

३३७. श्री श्रवणलाल (हिंडौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९६२-६३ में करौली से महुवा तक जाने वाली सडक पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ?

(२) इन दुर्घटनाओं में कितने आदमी मरे तथा कितने आदमी घायल हुए हैं ?

(३) इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कितने आदमियों के खिलाफ केस चलाये गये हैं और उनमें से कितने आदमियों को सजा हुई है और कितने आदमियों को छोडा गया है ?

(४) उक्त मामलों में से कितने पैन्डिंग पड़े हुए हैं ?

(श्री श्रवणलाल)

(५) इन दुर्घटनाओं का कारण क्या है ?

उत्तर

(१) अप्रेल सन् १९६२ से मार्च सन् १९६३ तक करौली-महुवा सडक पर कुल १० दुर्घटनाएं हुई ।

(२) इन दुर्घटनाओं में दो व्यक्ति मारे गये तथा ६ जख्मी हुए ।

(३) इन दुर्घटनाओं में ७ व्यक्तियों का चालान किया गया । जिनमें से एक को सजा हो गई, और ६ व्यक्तियों के खिलाफ मुकद्में अदालत में विचाराधीन है । एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जेर तफतीश हैं, दो दुर्घटनाओं में किसी की भी गलती नहीं पाई गई ।

(४) एक मुकदमा जेर तफ्तीश है और ६ मुकदमें अदालत में विचाराधीन हैं ।

(५) मुख्य कारण ड्राईवरों की ला-परवाही पाई गई ।

गांवों से सुरक्षा कोष में इकट्ठा किया गया रुपया पंचायत समिति, तिजारा

३३८. **श्री हरीराम चौहान** (तिजारा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :–

(१) पंचायत समिति, तिजारा के गांवों से सुरक्षा कोष में कितना कितना रुपया किस किस गांव से इकट्ठा किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी ने कुछ गांवों को कच्ची रसीदें भी हाथ से लिख कर दी हैं ? यदि हां, तो कितने गांवों को और कितने रुपये की ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति, तिजारा के गांवों से सुरक्षा कोष में जो रुपया एकत्रित हुआ है उसकी सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं । राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य मंत्री के सुरक्षा सेवा कल्याण कोष की छपी हुई रसीदें जिलाधी, अलवर के पास पहुंचने के पहिले ही विकास अधिकारी, तिजारा ने Cyclostyled. रसीद बुक ग्राम सेवकों पंचों और युवक मण्डलों को सुरक्षा कोष हेतु चन्दा एकत्रित करने को वितरित कर दी थी । जब राजस्थान सरकार द्वारा छपी हुई रसीदें उसके पास पहुंची तो जिन Cyclostyled रसीदों से चन्दा एकत्रित किया था उन रसीदों से चन्दा एकत्रित करने वालों से वापस लेकर छपी हुई रसीदें उन्हें दीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चम्बल कमान्डेन्ड क्षेत्र में सीलिंग व्यवस्था

३३९. श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) कोटा जिले में सीलिंग के लिये २२ एकड़ भूमि (पीवत) किस आधार पर निर्धारित की गई है ?

(२) उत्पादन क्षमता भूमि की किस विभाग द्वारा आंकी गई है ?

(३) चम्बल कमान्डेन्ड क्षेत्र में उस भूमि के लिये जो सीपेज अथवा लोगिंग से हल्की अथवा बेकार हो गई है या वह भूमि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जिस पर पानी ऊंची सतह से नहीं पहुंच सकता, सीलिंग की क्या व्यवस्था रखी है ?

उत्तर

(१) कोटा जिले में सीलिंग ग्रुप प्रथम में चम्बल नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र के लिये २२ एकड़ भूमि कोटा जिले की बारानी प्रथम की पैदावार के मुकाबले में नहरी की पैदावार के अनुपात से रखा गया है।

(अ) बारानी प्रथम किस्म जमीन में ३ वर्ष में बोये गये अनाज का औसत व प्रतिशत तहसील के जिन्सवार से लिया गया है।

उपज प्रति एकड़ बारानी प्रथम की संबंधित तहसील की रेन्ट रेट रिपोर्ट क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेन्ट आदि से लिया जाकर माना गया हैं।

जिले की प्रमुख मंडियों तथा तहसीलों के रेकॉर्ड से गत २० वर्षों के भाव के औसत लिए गये हैं।

मुख्यतः उपरोक्त आधारों पर सीलिंग क्षेत्र की सीमा निर्धारित की है।

(२) उत्पादन क्षमता के अंक माल विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौके पर से जो वास्तविक उपज के आंकडे तैयार होकर आये हैं, तथा रेन्ट रेट रिपोर्ट में जो अंक माने गए हैं, उन्हीं के आधार पर उपज आंकी गई है।

(३) प्रत्येक किस्म जमीन जैसे बंजर बीड, बारानी, चाही, खेडा, तालाबी माल, नहरी, जैसा नहरी क्षेत्र जिसमें नहरी पानी केवल एक बार दिया आकेततौर लातली आदि के लिये सीलिंग सीमा भूमि की उत्पादन क्षमता के आधार पर कम या बेशी निर्धारित की गई है।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले

३४०. श्री दुर्गालाल वाड़ड़ा : (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्व विभाग के कितने कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले अभी विचाराधीन हैं और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें इसके कारण वेतन नही मिला ?

(२) कन्सोलीडेशन विभाग के इन्सपेक्टर और सर्वेयर के एब्जोर्पशन के समय नये स्थान पर नियुक्ति के समय उनकी सीनियोरिटी का ध्यान रखा गया है या नहीं ?

उत्तर

(१) ४०८७ कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले विचाराधीन हैं। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको फिक्सेशन न होने के कारण वेतन नहीं मिला हो।

(२) जी नहीं। उनकी योग्यता, वेतन श्रृंखला तथा पिछले अनुभवों और नई जगहों की न्यूनतम योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुये कन्सोलीडेशन के इन्सपेक्टरों तथा सर्वेयरों का नई जगहों पर समावेश किया गया है।

धौलपुर सब-डिवीजन के थानों में दर्ज मामले

३४१. **श्री श्रवणलाल**, (हिन्डौन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) धौलपुर सब-डिवीजन के किस किस थाने में सन् ६०, ६१ व ६२ में किस किस वर्ष में ४५८ आई. पी. सी. तथा ३८२ आई. पी. सी. के जुर्म रजिस्टर हुए ?

(ख) किस किस थाने के किन किन मामलों में तफतीश में जुर्म बदला गया और क्या ?

(ग) अदालतों में कितने मामलात का चालान किया गया और किन किन मामलों में, पुलिस द्वारा रखा गया जुर्म बदला गया ?

(घ) किन किन मामलों में कितने कितने मुलजिमान का चालान किया गया ?

उत्तर

(क) सन् १९६० में धारा ४५८ आई. पी. सी. में थाना बसेडी, सरमथुरा, मनिया, धौलपुर, बाडी, कोलारी तथा राजा खेडा में दर्ज हुये। सन् १९६१ में थाना बसेडी, मनिया, धौलपुर, बाडी, कोलारी तथा राजा खेडा में और १९६२ में थाना मनिया, धौलपुर, बाडी, कोलारी तथा राजाखेडा में दर्ज हुये। धारा ३८२ आई. पी. सी. में १९६० में थाना बसेडी, मनिया, धौलपुर, बाडी, कोलारी तथा राजाखेडा में, सन् १९६१ में थाना बसेडी, मनिया, धौलपुर, बाडी कोलारी तथा राजाखेडा और सन् १९६२ में बसेडी, मनिया, धौलपुर, बाडी तथा राजाखेडा में मुकदमें दर्ज हुये।

(ख) केवल दो मुकदमों में तफतीश से जुर्म बदले गये। थाना कोलारी में एफ आई आर. नं० ४७।६० के केस में धारा ४५८ से ३९५।३९७ आई. पी. सी. में तथा थाना बाडी के एफ. आई. आर. नं. ७५।६२ में धारा ३८२ आई. पी. सी. से ३९५।३९७ आई. पी. सी. थे।

(ग) कुल ३६ मुकदमों का चालान अदालत में पेश किया गया जिनमें से अदालत ने निम्न मुकदमों में जुर्म की धारायें बदली :—

१.	एफ. आई. आर.	८।१९६१ धारा ३८२ आई. पी. सी.	थाना	कोतवाली	धौलपुर
२.	,,	६२।१९६० धारा ४५८।३८०	,,	बाडी	,,
३.	,,	६३।१९६० धारा ४५८।३८०	,,	,,	,,
४.	,,	१६।१९६१ धारा ३८२	,,	,,	,,
५.	,,	१८।१९६१ धारा ३८२	,,	,,	,,
६.	,,	२४।१९६१ धारा ३८२	,,	,,	,,
७.	,,	२५।१९६१ धारा ३८२	,,	,,	,,
८.	,,	१६।१९६० धारा ४५८।३८०	,,	कोलारी	,,

Page No. 48

(श्री गृह मंत्री)

	एफ. आई. आर.				
९.	,,	१७।१९६० धारा ४५८/३८०	आई. पी. सी.	थाना	कोलारी
१०.	,,	२२।१९६० धारा ४५८	,,	,,	,,
११.	,,	६८।१९६० धारा ४५८।३८०	,,	,,	,,
१२.	,,	२८।१९६१ धारा ३८२	,,	,,	,,
१३.	,,	६।१९६० धारा ३८२	,,	,,	राजाखेड़ा
१४.	,,	१४।१९६० धारा ४५८।३८०	,,	,,	,,
१५.	,,	२४।१९६० धारा ३८२	,,	,,	,,
१६.	,,	३३।१९६० धारा ४५८।३८२	,,	,,	,,

(२)

(घ) सूचना इस प्रकार है :—

	मुकद्दमा नं०				थाना	तादाद मुलजिमान
	१				२	३
१.	एफ. आई. आर. नं. ८।१९६०	धारा	४५८	आई. पी. सी.	थाना वसेडी	१
२.	,, ११।९६६१	,,		,,	,,	१
३.	,, २०।१९६१	,,	४५८।३८०	,,	,,	७
४.	,, १८।१९६१	,,	३८२	,,	मनिया	८
५.	,, २५।१९६१	,,	,,	,,	,,	१
६.	,, २८।१९६१	,,	,,	,,	,,	२
७.	,, ४५।१९६१	,,	,,	,,	,,	६
८.	,, ४६।१९६०	,,	४५८।३८०	,,	धौलपुर	४
९.	,, ८।१९६१	,,	३८२	,,	,,	४
१०.	,, २५।६१	,,	,,	,,	,,	२
११.	,, ५६।६१	,,	,,	,,	,,	३
१२.	,, ११६।६१	,,	४५८	,,	,,	२
१३.	,, ३९।६०	,,	३८२	,,	बाडी	१
१४.	,, ६२।६०	,,	४५८।३८०	,,	,,	४
१५.	,, ६३।६०	,,	४५८	,,	,,	४
१६.	,, ६।६१	,,	,,	,,	,,	७
१७.	,, १६।६१	,,	३८२	,,	,,	५
१८.	,, १९।६१	,,	,,	,,	,,	३
१९.	,, २४।६१	,,	,,	,,	,,	१६
२०.	,, २५।६१	,,	,,	,,	,,	१२
२१.	,, ३९।६१	,,	,,	,,	,,	६
२२.	,, ८।६०	,,	,,	,,	कोलारी	१
२३.	,, १६।६०	,,	४५८।३८०	,,	,,	६
२४.	,, १७।६०	,,	,,	,,	,,	२
२५.	,, २२।६०	,,	४५८	,,	,,	५
२६.	,, ४५।६०	,,	३८२	,,	,,	२
२७.	,, ५०।६०	,,	४५८।३८०	,,	,,	२
२८.	,, ६८।६०	,,	,,	,,	,,	४
२९.	,, २८।६१	,,	३८२	,,	,,	१५

Page No. 49

(श्री गृह मंत्री)

३०.	एफ.आई. आर नं.	(३८) ३८।६१	धारा	३८२	आई.पी.सी. कोलारी	२
३१.	,,	२०।६२	,,	४५८।३८०	,, ,,	७
३२.	,,	६।६०	,,	३८२	,, राजाखेडा	१
३३.	,,	१४।६०	,,	४५८।३८०	,, ,,	४
३४.	,,	२४।६०	,,	३८२	,, ,,	२
३५.	,,	३३।६०	,,	४५८।३८०	,, ,,	२
३६.	,,	१२।६१	,,	३८२	,, ,,	१

कृषि फार्म, पंचायत समिति, मुण्डावर

३४२. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति मुण्डावर में कृषि फार्म बनाया हुआ है ? यदि हां, तो इस फार्म में कुल कितने बीघा जमीन है ?

(२) क्या यह सही है कि यह फार्म नुकसान में चल रहा है ? यदि हां, तो आज तक इस पर कितना खर्च हुआ और कितनी आमदनी हुई ? हर साल का हिसाब देने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) जी हां । फार्म की कुल जमीन १०० एकड है ।

(२) जी हां फार्म पर ६२-६३ तक के खर्च व आमदनी के आंकडे निम्न हैं :—

साल	खर्चा	आमदनी
१९५९-६०	१४२२१.६०	३५६१.९८
१९६०-६१	२२११८.६६	५६३६.७१
१९६१-६२	१८४०५.२१	१६८८५.६५
१९६२-६३	१८३३७.७७	४२६४०.१८

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पकडने के मामले

३४३. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में सन् १९६० से अब तक किस किस जिले में कितने कितने सरकारी कर्मचारियों को व अन्य व्यक्तियों को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मचारियों ने किसने किस केस में रंगे हाथों व अन्य प्रकार से पकडे और उनके केस न्यायालय में दिये ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) उपरोक्त मामलों में किन किन को क्या क्या सजा मिली और कौन कौन मुक्त हुए एवं किन किन के केस अब भी कोर्ट में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) उपरोक्त मुलजिमों में कौन कौन किस किस विभाग में गजटेड अफसर हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान में सन् १९६० से अब तक (२८-२-६४) विभिन्न जिलों में कुल ५२९ सरकारी कर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ४४९ मुकदमे पंजीबद्ध किये गये व उनमें से १४३ मुकदमे विभिन्न

(श्री गृह मंत्री)

न्यायालयों में भेजे गये। पूर्ण विवरण के लिये परिशिष्ट (ए), (बी) व (सी) देखें।

(२) उपरोक्त मामलों में ४३ मुकदमों के अभियुक्तों को विभिन्न सजायें मिलीं, ३७ मुकदमे बरी व डिस्चार्ज हुए, बाकी ६३ मुकदमे अब भी कोर्ट में चल रहे हैं। इसके लिये परिशिष्ट बी, सी व डी देखें।

(३) परिशिष्ट (इ) देखें।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नहरों में आई भूमि का लगान

३४४. श्री **उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

उदयपुर जिले में जयसमन्द की नहरें खुदने में कितने काश्तकारों की जमीनें नष्ट होकर उनके अधिकार से निकल चुकी हैं और नहरों का निर्माण कितने वर्षों पहले हुआ है? क्या यह सही है कि कितने ही खातेदार ऐसे हैं जिनसे अब तक लगान वसूल हो रहा है? यदि हां, तो कितने?

उत्तर

जयसमन्द की नहरें खुदने में तहसील सराडा व सलूम्बर के काश्तकारान की जमीनें निर्माण कार्य में ली गई हैं। नहरों का निर्माण करीब ७ से १० वर्ष पूर्व हुआ है।

सिर्फ तहसील सराडा में ऐसे काश्तकारान से लगान वसूल हो रहा है। इस वसूली को रोकने के लिये तहसील को जिलाधीश उदयपुर द्वारा आदेश दिये जा रहे हैं।

सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर

३४५. श्री **रामकिशन** (वैर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नगरपालिका, भरतपुर ने सिमको वैगन फैक्ट्री को नगरपालिका की सीमा में लिये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है।

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और ऐसा करने से नगरपालिका की आय में कितनी वृद्धि हो सकेगी?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) मामला विचाराधीन है।

जनलेखा व प्राक्कलन समितियों के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जनलेखा तथा प्राक्कलन समिति १९६४-६५ के चुनाव में जो दिनांक ९ अप्रेल, १९६४ को हुए निम्नलिखित उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

जनलेखा समिति (१९६४-६५)

१. कुमारी उमा माथुर (१९९)
२. श्री कृष्णकुमार गोयल (९१)
३. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (५१)
४. श्री गोविन्दसिंह (५५)
५. श्री चौथमल (२९)
६. श्री बालूराम (१०)
७. श्री मान्धातासिंह (१६१)

(श्री अध्यक्ष)

८. श्री मुरलीधर व्यास (११६)
९. श्री मोहनराज (११३)
१०. श्री हरिदेव जोशी (६०)

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत मैं श्री हरिदेव जोशी को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

प्राक्कलन समिति १९६४-६५

१. श्री अभयसिंह (२)
२. श्री उमरावसिंह (१७१)
३. श्री किशनसिंह बाटड़ (६०)
४. श्री गंगासिंह (४४)
५. श्रीमती गौरी पूनिया (४७)
६. श्री जोधसिंह (८१)
७. श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (८४)
८. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (१८)
९. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (१०६)
१०. श्री मोतीलाल चौधरी (११६)
११. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (१७६)
१२. श्री रघुनाथ बिश्नोई (१४०)
१३. श्री रविशंकर याज्ञनिक (१४६)
१४. श्री श्रवणलाल (१५४)
१५. श्री सांवलियाराम (१५७)

प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम १८३ (१) के अन्तर्गत मैं, श्री मोतीलाल चौधरी को इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में किये गये कार्य का विवरण

(सदन की मेज पर रखना)

श्री हरिश्चन्द्र (विद्युत् मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ४८ की धारा ६१ (३) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इलक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक १९६४-६५ एवं उक्त अधिनियम की धारा ७५ (१) (ए) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर यह विवरण रखा गया।

आधे घंटे की चर्चा इत्यादि विषयक

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाफ एन अवर के डिस्कशन के लिए एक प्रश्न रखा था।

श्री अध्यक्ष : कल रखे जायेंगे, जो भी इस प्रकार के स्वीकार किये गये हैं और जो स्टेटमेन्ट वगैरह देने हैं वे भी कल ही होंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारी संघ की मांगों के संबंध में.......

श्री अध्यक्ष : जो स्वीकार कर लिये गये हैं उनकी सूचना मिल जायेगी और वे कल रखे जायेंगे।

विभिन्न समितियों की नियुक्ति विषयक

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक विजिलेन्स कमेटी अपोइन्ट करने के बारे में घोषणा की थी, वह कमेटी अभी तक अपोइन्ट नहीं की है। सरकार उसका अपोइन्टमेंट कब करेगी और साथ ही मुख्य मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय ने समाज कल्याण विभाग, भारत सेवक समाज और खादी बोर्ड के घोटालों की जांच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने की इसी सदन में घोषणा की थी उसका भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि ये कमेटियां कब तक नियुक्त की जायेंगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक इसी प्रकार का निवेदन है उसका भी मुख्य मंत्रीजी साथ ही उत्तर दे दें। यह मुख्य मंत्री महोदय से ही संबंध रखता है। नहरों के संबंध में एक कमेटी के निर्माण करने की घोषणा भी की गयी थी उसका भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक खादी के संबंध में जांच के बारे में जो मैंने यहां कहा था उसके बारे में मैं अगर माननीय सदस्य चाहें तो आज ही करीब १२ बजे यहां नामों की घोषणा कर दूंगा और विजिलेन्स के लिए कोई कमेटी मुकर्रर करने की बात नहीं है। उसके लिए तो एक विजिलेन्स कमीशन अपोइन्ट होगा जिसमें एक ही व्यक्ति नियुक्त होगा। उसके बारे में कौन व्यक्ति हो, इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि १०-१५ रोज और लग सकते हैं। जहां तक ईरिगेशन की कन्सल्टेटिव कमेटी का सवाल है कल तक इसके बारे में भी नामों की जानकारी इस सदन को दे दी जायेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, गत अधिवेशन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने माइन्स के संबंध में एक कन्सल्टेटिव कमेटी बनाने की घोषणा की थी। मैं समझता हूं कि आज तक उस इनफॉर्मल कन्सल्टेटिव कमेटी के नामों की घोषणा नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को जो वादा उन्होंने पिछले अधिवेशन में किया है उसको वापिस लेने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही होगी। इसलिये इस संबंध में वह बतायें कि उसकी भी घोषणा कब तक कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : माननीय अध्यक्षजी, वैसे हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेंट्स के बारे में, कोई अकेले माईनिंग डिपार्टमेन्ट के लिए ही नहीं, बल्कि और भी विभागों के लिए कन्सल्टेटिव कमेटी बना देने के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जो पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट्स हैं उनके बारे में भी कोई कमेटी नियुक्त की जा रही है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, राजस्थान सोइल एन्ड वाटर कन्जर्वेशन बिल; कृषि मंत्री।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या राज्य सरकार के यह बात ध्यान में है कि भारत सरकार ने विजिलेन्स कमीशन के निर्माण में इस बात के लिये उचित समझा है कि इसमें जुडीशियरी के आदमी को रखा जाये और एग्जीक्यूटिव के आदमी को न रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस उचित नहीं। मुख्य मंत्री कह चुके हैं कि जो निर्णय होगा उसके अनुसार बता दिया जायेगा।

राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति को)

श्री **नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री जोरसिंह चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री मोहन राज।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सोइल एण्ड वाटर कन्जर्वेशन बिल, १९६४ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जिसकी कि सूची बाद में बता दी जायेगी।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श)

श्री **मथुरादास माथुर** (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गिफ्ट गुड्स (ट्रेड एण्ड अनलॉफुल पजेशन) बिल १९६४ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री **अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री मथुरेश बिहारी माथुर, श्री रामकिशन, श्री हीराभाई, श्री बालूराम चौधरी, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल श्री सम्पतिलाल बोहरा सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, श्री हरिप्रसाद शर्मा, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री केशरनाथ, श्री दुर्गालाल बाढदार....... ।

(विराम)

पहले मंत्री महोदय संक्षेप में इसके बारे में बता दें।

श्री **मथुरादास माथुर** (योजना मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस बिल को सदन के सामने उपस्थित करने की इसलिये जरूरत महसूस की गयी कि हमारे यहां इस देश में विदेशों की कई ऐसी संस्थायें हैं जिनका कि शिड्यूल २ में मैंने जिक्र किया है; युनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रन्स एमर्जेन्सी फण्ड, कोऑपरेटिव फोर अमेरिकन रिलीफ एव्रीवेयर, चर्च वर्ल्ड सर्विस, ल्यूथरन वर्ल्ड रिलीफ और कैथोलिक रिलीफ सर्विस इस तरह को संस्थायें हैं जो कि वक्तन-फ-वक्तन हमारे यहां पर इस देश में और खास तौर से राजस्थान के हम लोगों को मिल्क पाउडर या और कई मेडीकल टेब्लेट्स और दूसरी चीजें हैं बच्चों के लिए और जनता के लोगों के लिये हमको डोनेट करते हैं और कई दफा ऐसे केसेज हमारी निगाह में आये हैं कि जिनमें कि जो गिफ्ट गुड्स होते हैं लोग उनको

Page No. 54

(श्री मथुरादास माथुर)

अनलाफुल पर्जेस करके बेच देते हैं और उससे मुनाफा उठाते हैं और इस तरह के मामले हमारे सामने पेश हुए हैं। जो संस्थायें विदेशों में हैं और जिनके रिप्रेजेन्टेटिव हमारे यहां हिन्दुस्तान में हैं उन्होंने यह शिकायत पेश की कि इस तरह से जो विदेशी भेंट यहां मिलती है जरूरतमन्द लोगों के लिये, उसको लोग अनलॉफुल पर्जेस करके ट्रेड करें या बिजनेस करें, यह देश की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। इसलिये मैसूर में और पंजाब में उन लोगों के लिखने की वजह से हमारे राजस्थान में कैयर नाम की संस्था है जो कि बच्चों को दूध पिलाती है। हमारे यहां कोटा जिले में इस तरह का बिजनेस पाया गया और इस तरह के केसेज सामने आये। हमने इस पर विचार किया और लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछा और इसका फैसला किया गया कि जैसे मैसूर और पंजाब का कानून है उसी लाइन पर जो संस्थायें हैं उन्होंने भी चिट्ठियां लिखी हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिये, इसलिये यह छोटा सा कानून आपके सामने पेश किया गया है।

इसमें भी उन लोगों को जो इसमें ट्रेड करते हैं उसका अनलॉफुल्ली पर्जेशन करके उन लोगों को प्रोसीक्यूट किया जायगा और सजा दी जायगी। उसके प्रोवीजन इसमें बताये गये हैं। यह ऑफेन्स कॉगनीजेबल है और पनिशेबल है। उसकी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रायल होगी और अब हमारे यहां एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी का सेपेरेशन हो गया है तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां वह ट्राई होगा। यह देश की प्रतिष्ठा के लिए और जनहित के लिए कानून सदन में पेश किया गया है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि देश की प्रतिष्ठा तो वहीं खत्म हो गई जब कि यह बिल हमारे यहां आया है। मंत्री महोदय बतायें कि कितने केसेज ऐसे हुए हैं जिनमें कि दान मिला है तो दान मिलने के बाद में बेचा हो। दूध गवर्नमेन्ट को मिलता है कई संस्थाओं को नहीं मिलता है। वह मेरे खयाल से पर्सेन्टेज बहुत कम होगी। देश की प्रतिष्ठा तो बिल से ही खो गई कि हम चोर हैं। तो कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं वे बताएं; नहीं तो घटनाएं तो घटी ही नहीं और अन्दाजे से बिल आ रहा है। माननीय मंत्रीजी बताएं कि एक्च्युअली कितनी घटनाएं घटी हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि घटनाए घटी हैं। बहुत ज्यादा घटनाएं घटें, तभी कानून लायें यानि बीमारी के बढ जाने पर और तीसरी स्टेज की टी० बी० होने पर ही कानून लायें तो यह चीज मुनासिब नहीं है। इस तरह की एक-दो घटनाएं भी देश को प्रतिष्ठा को भंग करने के लिए काफी हैं। और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राजस्थान प्रान्त है इसके अन्दर कई संस्थाओं के द्वारा कई चीजें भेंट की गई हैं। सरकारी ऑफिसर को ही मानलें कि हमारे पास मिल्क पाउडर है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दिया जाता है और अगर वह उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बजाय सैल कर दे। कल ही हमारे यहां कानून आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसका ६० पर्सेन्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके और बेच करके ज्यादा मुनाफा उठाने की कोई कोशिश करता है, तो उन लोगों के द्वारा यह मांग की गई है लिख कर कि इस तरह का कानून होना चाहिए। मैसूर ने इसमें सबसे पहले पहल की है और

(श्री मथुरादास माथुर)

अब राजस्थान कर रहा है। और देश के दूसरे प्रान्त भी इस तरह का कानून ला रहे हैं इस पैटर्न पर। इस चीज को रोकने की बात है। हमारा देश इतना बड़ा है। इससे देश की प्रतिष्ठा कम होती है।

श्री मोतीलाल चौधरी : आज भी हमारे यहां कानून मौजूद हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल गिफ्ट्स ट्रेड एण्ड अनलॉफुल पजेशन का जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है इसके सम्बन्ध में मुझे कुछ अर्ज करना है।

खादी बोर्ड की अनियमितताओं की जांच हेतु एक समिति की नियुक्ति

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि इस पर बहस जारी हो अगर आपकी इजाजत हो तो एक मिनिट में खादी बोर्ड के सम्बन्ध में जो एक कमेटी की बात थी उसके सम्बन्ध में एक स्टेटमेंट दे दूं। कुछ दिन पूर्व श्री भैरोंसिंह ने विधान सभा में राजस्थान खादी बोर्ड के धन के दुरुपयोग के बारे में आरोप लगाते हुए यह कहा था कि अवसर मिलने पर उन आरोपों को वे साबित कर सकते हैं। उस वक्त मैंने यह आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार इस बारे में जांच कराने के लिए एक समिति नियुक्त करने के लिए तैयार है जिसमें स्वयं श्री भैरोंसिहजी भी एक सदस्य होंगे। सरकार ने तदनुसार निम्न सदस्यों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है :--

(१) श्री भैरोंसिह

(२) श्री प्रभुदयाल लोईवाल, भूतपूर्व विधि-सचिव, राजस्थान सरकार,

(३) श्री के० वी० वैंकटरम्मैया, संचालक, खादी समन्वय, खादी और ग्रामोद्योग कमीशन,

(४) श्री बृजसुन्दर शर्मा, व

(५) सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार।

उक्त समिति उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये खादी बोर्ड में धन के दुरुपयोग के निश्चित आरोपों को जांच कर सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। यह जांच निश्चित आरोपों की सूची प्राप्त होते ही शुरू कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : कन्वीनर सचिव होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सेक्रेटरी इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार के प्रसंग में समिति नियुक्त करने की बात कही गई थी मेरे द्वारा उसमें आरोप-पत्र पेश किये जायं, इस प्रकार की कोई बात नहीं। खादी बोर्ड की संस्थाओं में जिस प्रकार से धन का दुरुपयोग होता है उस प्रसंग में मैंने प्रत्येक मामले को लेकर सदन में उल्लेख नहीं किया है, बल्कि खादी बोर्ड के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है, खर्च किया जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। उस दुरुपयोग के सम्बन्ध में आप एक एक संस्था की चार्जशीट चाहेंगे तो वह सम्भव नहीं है। सरकार को यह मालूम है कि खादी बोर्ड के द्वारा दिये जाने वाले धन का किस सीमा तक दुरुपयोग किया गया है, उसकी जांच करें।

(श्री भैरोंसिंह)
उसमें आरोप पत्र पेश करने का सवाल नहीं है। आरोप-पत्र की अब जो बात कह रहे है वह इस प्रकार की चीज है कि वह कमेटी के महत्व को ही समाप्त कर देगी। खादी बोर्ड के सम्बन्ध में एक बार नहीं हजारों बार, मैंने अकेले ने ही नहीं कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। उस चर्चा के आधार पर इसके द्वारा जो खर्च किया जाता है, उस खर्चे की जांच कराई जानी चाहिए। इसके बाद आरोप-पत्र देने का सवाल नहीं आता है।

दूसरा मेरा प्रश्न उसमें केवल खादी बोर्ड अकेले का ही नहीं था। भारत सेवक समाज और समाज कल्याण विभाग के अन्दर चल रही जो सामाजिक संस्था थी उनके बारे में भी था और उनके बारे में भी घोषणा की गई थी। अब केवल खादी बोर्ड का रख कर उसमें हेरफेर किया गया है। उससे पर्पज़ सर्व नहीं होता है।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इस सदन में जब आप अपना भाषण दे रहे थे तब कहा था कि करोड़ों रुपयों का घोटाला है इसके अन्दर और मैं उसको साबित कर सकता हूं ....

श्री **भैरोंसिंह** : मैं अब भी वह कहता हूं।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो करोड़ों रुपयों के घोटाले को साबित करने का आपने कहा इसकी स्वीपिंग एन्क्वायरी सारे इन्स्टीट्यूशन के ऊपर करने के बारे में मैं समझता हूं कि कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। उसके लिए ऑडिट और दूसरे खादी बोर्ड के ऊपर खादी कमीशन और सारी चीजें हैं लेकिन करोड़ों रुपयों का घोटाला खादी के अन्दर हुआ है यह आपने कहा है। अब सवाल रहा भारत सेवक समाज का, उसके लिए मैंने अपनी तरफ से एन्क्वायरी करने की बात नहीं कही है। भारत सेवक समाज को गवर्नमेन्ट से ग्रान्ट नाम-मात्र को मिलती है, इसमें गवर्नमेंट के फंड के दुरुपयोग होने की अपोर्चुनिटी नहीं है। खादी बोर्ड में खादी कमीशन के द्वारा काफी खर्च होता है। कुछ समय मैंने एन्क्वायरी करने में इसीलिए लगाया है कि खादी कमीशन के चैयरमैन से मैं चाहता था कि खादी कमीशन का जो कि ऑल इंडिया बोडी है उसके रिप्रेजेन्टेटिव को भी इस कमेटी में रखें और नाम प्राप्त होते ही मैंने यहां पर सूचना दी। तो कोई भी एन्क्वायरी डेफिनिट एलीगेशन के बिना सारी स्वीपिग एन्क्वायरी के द्वारा दुरुपयोग को देखा जायगा तो वह नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा है कि एक कमेटी हो और डेफिनिट एलीगेशन्स उनके सामने आ जाय, then they proceed.

श्री **भैरोंसिंह** : डेफिनिट एलीगेशन है कि करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। उस डेफिनिट एलीगेशन को आप कन्फाइन कर रहे हैं कि किस किस संस्था में है। सरकार का करोड़ों रुपयों का अनुदान है उसका दुरुपयोग हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट ने जिसके लिए कहा है, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट ने जिसके लिए कहा है तो डेफिनिट एलीगेशन क्या इस बात के लिए नहीं है? सारे दुरुपयोग की जांच करवाई जाय, अनुदानों की जांच करवाई जाय। मैं समझता हूं कि यह राज्य के हित में होगा। माननोय हरिभाऊजी के कहने पर जैसा कि उन्होंने कहा कि जब तक डेफिनिट चार्ज नहीं हो तब तक एन्क्वायरी

Page No. 57

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं की जायगी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो वे त्याग-पत्र देंगे । उनको बचाने के लिए कमेटी के पर्पज को बिल्कुल-वायलेवल करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा की बात है, वर्ना इस सदन में जो एश्योरेन्स दिया था उसमें मेरे आरोप-पत्र का कोई उल्लेख नहीं था । उस समय में सदन में जो भावना प्रकट की गई थी उस सबका यह मतलब था कि खादी बोर्ड, भारत सेवक समाज और समाज कल्याण विभाग द्वारा जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है उनके बारे में जांच कराई जायगी और जांच समिति नियुक्त की जायगी । उस समय आरोप-पत्र देने का सवाल पैदा नहीं हुआ था और न उसका आधार था; लेकिन अब जब आप आरोप-पत्र की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जब तक सारी संस्थाओं को व्यक्तिगत डिटेल्स की मैं जानकारी करके में चार्जशीट नहीं करूं तो मैं दो वर्ष में भी इसको नहीं कर सकता; तो एन्क्वायरी से कोई पर्पज हल होने वाला नहीं है । आपको चाहिए कि खादी बोर्ड की जांच करायें, तो उन्होंने कितना अनुदान दिया, कितनी सीमा तक उसका दुरुपयोग हुआ, इस बात की जांच होगी, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग इसमें मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने उस दिन बहस के दौरान में यह कहा था कि करोड़ों रुपयों का घोटाला है, तो जब तक कि समिति के सामने कुछ निश्चित तथ्य नहीं हों, वह तथ्य ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर हो सकते हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर हो सकते हैं और आप कमेटी में बैठ कर निर्णय कर लें। पहले दो-चार छोटी-मोटी बातों को लेकर, ऑडिट रिपोर्ट को लेकर, जैसा कि आपने स्वयं ने कहा है तो जांच करने का मौका मिल सकता है । कुछ निश्चित चीज तो उसके सामने होनी चाहिए । इस प्रकार के आरोपों की इन्क्वायरी में हर चीज को हरदम करने की सम्भावना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : जो धनराशि इस खादी बोर्ड को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा दी गई है उसका किस सीमा तक दुरुपयोग हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : उसकी लिस्ट समिति के सामने आ सकती है कि कितने केसेज में अनुदान दी गई है ।

श्री भैरोंसिंह : उसको डेफिनिट एलिगेशन मान कर चल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : वह कमेटी के सामने जांच करने का प्रश्न है । कमेटी इस पर से शुरू कर सकते हैं । आपने ऑडिट का कहा है, कमेटी के सामने लिस्ट अनुदानों की आ सकती है, और मैं समझता हूं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या एतराजात हैं, पहले उसी से जांच शुरू की जाय । वे तथ्य काफी हैं जांच के लिए । आप इससे जांच शुरू कीजिये, ये तथ्य काफी हैं जांच के लिये ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है उसमें कन्डीशन है । मैं पहले चार्ज शीट दूंगा, उसके अनुसार फिर कमेटी जांच करेगी । मैं फिर उस कमेटी का मेम्बर क्यों हुआ । मैं तो पार्टी हुआ और पार्टी बन कर इन्क्वायरी कराऊं, मैं कम्प्लेनेन्ट होऊं और वे इन्क्वायरी करें तब तो मैं कोर्ट में भी जा

(श्री भैरोंसिंह)

सकता हूं । मुख्य मंत्रीजी समिति नियुक्त करते हैं, अच्छा यह हो कि आज भी आप इन्क्वायरी कराना चाहते हे तो जितने रुपये दिये हैं उसकी जांच करवालें । आपको पता लग जायगा कितना उपयोग हुआ है और कितना दुरुपयोग हुआ ह, इस कंटेन्शन को लेकर चलें, दर्ख्वास्त दी जायगी शिकायतों का नक्शा बनाया जायगा और फिर कमेटी जांच करेगी · · · ·

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं ऐसा समझता हूं पहले बात मैं स्पष्ट करदूं । जो खादी विभाग से संबधित मंत्रीजी हैं उनके इस्तीफे की बात कही गई, उस बारे में मैं आपको और सब को सूचित करना चाहता हूं कि इस्तीफे का संबंध कोई इन्क्वायरी से है, यह कत्तई मान कर नहीं चलना चाहिये । जो उन्होंने मुझे लिख कर भेजा वह इस बहस के पहले भेज चुके थे और उन्होंने मुझ से कहा भी नहीं कि यदि इन्क्वायरी होती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा । वह बात इससे जोड़ी नहीं जानी चाहिये ।

आम तौर से एलीगेशन के बारे में आपने कहा कि एलीगेशन लगाने वाला मैं बनूं, दरअसल में एलीगेशन्स सदन में आपने ही लगाये थे इसलिये आप उस कमेटी से अलग हों. यह बात नहीं है, आम तौर से यह होता भी नहीं है कि एलिगेशन लगाने वाला ही जांच करने वाला बने, लेकिन हमने इस पोजीशन को भी स्वीकार किया है कि आप जांच करने वाली कमेटी में बैठे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है · · · · ·

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी शुरू करने में आपको आपत्ति क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जो इन्क्वायरी की जाय वह डेफिनिट एलिगेशन्स की बिना पर ही होगी ।

श्री भैरोंसिंह : डेफिनिट एलीगेशन्स यह हैं कि धन का दुरुपयोग हुआ है, मैंने फिगर्स देकर कहा है । आप कन्फाइन करना चाहते हैं पर्टिकुलर इन्सटीट्यूशन्स को लेकर ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैंने इन्सटिट्यूशन्स का नाम नहीं लिया है । यह जरूर है कि डेफिनिट एलीगेशन्स हों तो करें, यह नहीं कि सारी जगहों पर हो रहा है । डेफिनिट चीज सामने हो तो आगे प्रोसीड होना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : यह सहूलियत मुझे दे दीजिये कि डेफिनिट रिपोर्ट करने के लिये मुझे खादी संबंधित सारा रेकॉर्ड देखने को मिले ।

श्री अध्यक्ष : सारी बातों का स्पष्टीकरण यहां करने के बजाय समिति में बैठ कर तय करें कि प्रक्रिया समिति की किस तरह रहेगी । जांच समिति का स्वरूप है, वह जांच किस तरह करे, उसकी प्रक्रिया स्वयं निश्चित करे । खुली जांच के आधार पर की जायगी या दो चार खास मुद्दों पर की जायगी, यह वह स्वयं तय कर ।

श्री **ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद) : इसके बारे में मैं क्लेरिफिकेशन में कुछ जानकारी चाहता हूं । यहां डेफिनिट एलीगेशन की बात है, यदि यह बात मालम पड़ती है कि जनता से एलिगेशन्स इन्वाइट किये जायेंगे, लोग अपने अपने एलिगेशन्स कमेटी के सामने रखें, डेफिनिट एलिगेशन्स हैं उनको भी यह कमेटी सुनेगी, क्यों कि यह कहा गया कि यह कमेटी तब कार्य गुरू करेगी जब कि डेफिनिट

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

एलिगेशन्स इसके सामने आयेंगे तो क्या कन्वीनर इन्वाइट करता है जनता को एलिगेशन्स देने हेतु ? तब तो यह काम तुरन्त शुरू हो जाना चाहिये और सबको यह सूचना होनी चाहिये कि जिनको एलिगेशन्स लगाने हैं वे कमेटी के कन्वीनर के पास भिजवादें क्योंकि एलिगेशन्स लगाने वाले जो लोग कुछ बातें सामने लाते हैं तो उनका प्रूफ उस कमेटी के सामने देना होगा और उसके लिये सारी जनता अलाउड है और समिति जिन मुद्दों को इन्क्वायरी काबिल समझे उनकी वह जांच कर सकती है, यह सुविधा होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह सारा काम समिति पर छोड़ना चाहिये। यहां करने के बजाय समिति को यह कार्य करना चाहिये, वही तय करे कि कार्य किस तरह करेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं, मैं यदि ठीक तरह से समझ सका हूं तो उनकी यह मांग है कि खादी बोर्ड के संबंध में जो खर्चा हुआ है वह सब्जेक्ट ऑफ इन्क्वायरी हो, एवरी आइटम खर्च के सम्बन्ध में है उस पर इन्क्वायरी हो। सरकार को इस सम्बन्ध में उत्तर देना एम्बेरेसिंग मालूम होता है, तो सरकार स्पष्टीकरण करे। मेरे ख्याल से मांग सीधी और साफ है। इस सम्बन्ध में सरकार उत्तर दे सकती है कि क्या करना चाहती है। माननीय सदस्य की मांग है वह एन्टायरली रीजनेबल है। मेरे ख्याल से यह अस्वाभाविक या अनुचित कुछ भी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खादी कमीशन ऑल इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण और रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सारी चीजें इसमें होती हैं, वक्त वक्त पर चैक करना ऑडिट करना, देखना सारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ये फंड्स खादी कमीशन के हैं और उनके पास जांच और ऑडिट का सारा सिलसिला है। उसके बाद भी हम जांच करवाने के लिये एक्सट्रीम पर जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उनसे ऊपर होकर सारी चीज की जा रही है। यदि डेफिनिट एलिगेशन्स हो तो उसकी जांच यह कमेटी करे वर्ना ऑल इंडिया इन्सटिट्यूशन के अन्डर में जो चीज चल रही है उसके सारे खर्चे की जांच स्वीपिंग तरीके से करें, यह उचित नहीं प्रतीत होता।

श्री भैरोंसिंह : खादी बोर्ड की मार्फत जो सहायता दी जाती है खादी संस्थाओं को वह स्टेट गवर्नमेन्ट को गारंटी पर दी जाती है और वह स्टेट गवर्नमेन्ट पर लाएबिलिटी हो जाती है, अगर खादी संस्थाएं वापिस भुगतान न करें। यह लाएबिलिटी स्टेट गवर्नमेन्ट पर आती है और गवर्नमेन्ट मुकर नहीं सकती। इस लाएबिलिटी से कैसे बचे, इसके लिये जरूरी है कि जांच की जाय। जांच करना खादी कमीशन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होगा। कमीशन भी नहीं चाहता कि पैसे का दुरुपयोग हो। खादी कमीशन के बारे में भी सेन्ट्रल पी. ए. सी. ने ३५ करोड़ के घोटाले का चार्ज लगाया है, पार्लियामेन्ट में रिपोर्ट पेश की है, वह भी मांग करती है कि सारी जांच की जाय। इसकी जांच करने में आपको आपत्ति क्या है और खादी बोर्ड और खादी संस्थाओं के कार्य में किस प्रकार का हस्तक्षेप होगा मैं नहीं समझ सका ? या तो सरकार यह कह दे कि खादी संस्थाओं को जो सहायता दी जाती है उसकी वसूली की रेस्पोन्सिबिलिटी हमारी

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है, फिर तो यह हमारे पर्व्यू में नहीं आती, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है और हम जांच भी नहीं करें, यह नहीं हो सकता।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : खादी कमीशन से जो पैसा मिलता है उसकी जांच सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट की पी. ए. सी. करती है और खादी बोर्ड की हमारी पी. ए. सी. करती है।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : विवाद इस बात का है कि डेफिनिट एलिगेशन कौन से होंगे, कौन से आधार पर होंगे···

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : एक बात का क्लेरिफिकेशन हो जाय कि यह कमेटी बैठकर उसके बाद निर्णय करे कि इस काम को वह किस प्रकार करे, लेकिन जैसा कि मैं समझ पाया हूं, मुख्य मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया उसमें यह कहा है कि यह कमेटी आपकी तरफ से डेफिनिट चार्जेज आ जायेंगे तो फंक्शन करेगी·········

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : मैंने यह कहा है कि यह जांच निश्चित आरोपों की सूची प्राप्त होते ही प्रारम्भ करदी जायगी।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : What is the subject matter of enquiry of this committee for which this committee is being appointed.

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : सब्जेक्ट मैटर तो माननीय सदस्य ने सदन में कहा था कि करोड़ों का घोटाला है, मैं साबित कर सकता हूं इसलिये हमने कमेटी सेट-हू उप; कि ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो आरोप लगाये हैं, करोड़ों का घोटाला है वह जनरल बात है; उसको बिना डेफिनिट लिये आपने स्वीकार किया कमेटी अपोइन्ट कर के अब वह कमेटी अपनी पहली मीटिंग में प्रोसीजर तय करे और डेफीनिट एलिगेशन्स इनवाइट करे और डेफीनिट एलिगेशन्स आ जाते हैं निश्चित अवधि में तो काम को शुरू करे और एलिगेशन्स वेग आते हैं तो खत्म करके रिपोर्ट दे देगी ? Is that the position of the Government

श्री **मोहनलाल सुखडिया** : अगर नहीं आते हैं एलिगेशन्स तो कमेटी एलिगेशन्स के बिना स्वीपिंग इन्क्वायरी नहीं करेगी। अगर एलिगेशन्स हैं और कमेटी फील करती है कि इन्क्वायरी करनी है तो इन्क्वायरी करे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कमेटी इन्क्वायरी शुरू कर देगी। जब कमेटी का काम शुरू होगा तो वह एलिगेशन्स इनवाइट करेगी निश्चित अवधि के अन्दर। इस पोजीशन को गवर्नमेन्ट स्वीकार करती है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की मांग है वह इससे पूरी हो जाती है। वह ठीक है। जैसा मुख्य मंत्री ने वक्तव्य दिया है उससे सरकार कमिटेड हुई है। उस पोजीशन में कमेटी आपने अपोइन्ट करना स्वीकार कर लिया है। बिना कोई डेफीनिट एलिगेशन्स हुए कमेटी का अपोइन्टमेन्ट हो जायगा। वह कमेटी अपनी पहली बैठक में प्रोसीजर तय करेगी और निश्चित अवधि रखेगी जिसमें एलिगेशन्स इन्वाइट करेगी। यह पोजीशन है तो माननीय सदस्य को मंजूर कर लेना चाहिये····

श्री भैरोंसिंह: I agree, मैं मंजूर करता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर इसके विस्तार में जाने की बात, इस स्टेज पर कहने की बात नहीं होती । जो कहने का है वही कहेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जो घोषणा की है उसको रेकॉर्ड करा दिया है कि खादी बोर्ड की जांच हो, आपने जिस तरीके की कमेटी की नियुक्ति करने की घोषणा करने की बात स्वीकार की है, उस समय डेफिनिट एलीगेशन्स नहीं थे । यह था कि करोड़ों रुपयों का घोटाला है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बहुत स्पष्ट मैंने कहा है, समिति उनके समक्ष प्रस्तुत किये गये खादी बोर्ड में धन के दुरुपयोग के निश्चित आधारों की जांच करे और सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करे । जांच निश्चित आधारों के प्राप्त होते ही शुरू की जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह नहीं हो कि निश्चित आधारों के प्राप्त होते ही इन्क्वायरी शुरू की जायगी, इससे तो कमेटी को खत्म कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर एलीगेशन्स नहीं हैं तो इन्क्वायरी नहीं करेगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह तो एक चीज है जो कमेटी के फंक्शन करने में बाधा पैदा करेगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं समझा हूं, आपको दो शब्दों में निवेदन कर दूं । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आरोप लगाया था कि खादी बोर्ड के अन्दर करोड़ों रुपये का घोटाला मिलगा । यह जो मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया, इस संबंध में जांच की जायगी । मेरे ख्याल से, जो मैं समझा हूं माननीय मुख्य मंत्री के आश्वासन से, उसके अनुसार तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री उस समय तैयार थे कि यह होना चाहिए, समस्या जो खादी बोर्ड की है उसकी इस प्रकार इन्क्वायरी कराई जानी चाहिए··

श्री भैरोंसिंह : घोटाले की ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन मेरी समझ में अब फेरफार है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं वह बात सम्भवतः सही हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं समझा हूं मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने अब जो एश्योरेन्स दिया है और उन्होंने पहले जो दिया था उसमें थोड़ा अन्तर है, पहले से थोड़ा मुकर रहे हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास: अध्यक्ष महोदय, आपको·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय········

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमें कह लेने दीजिये ! मुरलीधर जी ! आपकी क्या मोनोपोली है । और सदस्यों को भी कुछ कहना है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपका बोलने का अड़डिया, इस बात का मुझे क्या पता था कि आप भी बोलने वाले हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आप दो दफा इस विषय पर बोल चुके हैं ।

श्री नाथू राम मिर्धा (कृषि मंत्री) : दोनों एक साथ बोलें।

एक माननीय सदस्य : बहुत बोल लिये हैं, साहब।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से संकेत हुआ कि वह कमेटी है वह सारे प्रोसीजर का, क्या करना है, क्या नहीं करना है, निर्णय करेगी। मैं थोडा इस संबंध में क्लेरीफाई कराना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने चार्जेज लगाये थे और अपने भाषण के अन्तर्गत जो भी बातें कही थीं उन बातों को मान्य करते हुए मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार की कमेटी अपोइन्ट करते हैं, उसमें सदस्य आप भी रह सकते हैं। जहां तक टर्म्स आफ रेफरेन्स या बाकी का सवाल है, विधान सभा में जो आपने बातें कही हैं वे ही बातें कमेटी के सामने पहले आयेंगी। उसके बाद उन......

श्री अध्यक्ष : बहस लम्बी न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके सामने जो डेफिनिट चार्जेज आयेंगे उनके आधार पर काम करेगी। मैं समझता हूं कि आपने निर्णय दिया है वह कमेटी बन जाय तो उसमें किसी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री ने घोषणा की वह स्पष्ट है। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूरी नहीं है।

राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४

(पूर्व क्रम से विचार एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : विधेयक पर बहस।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, इसको क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव करना है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसमें मेरा एक सुझाव है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : संशोधन तो कोई आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पारित किया जाय।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गिफ्ट गुड्स (ट्रेड एण्ड अनलॉफुल पजेशन) बिल, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री विजयसिंह झाला : इसमें मेरा सुझाव है कि बहुत से बोलने वाले हैं। पार्टी वाइज टाइम दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हांडा कुछ कहने वाले हैं?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) अध्यक्ष महोदय, गिफ्ट गुड्स वहां प्राप्त होते हैं उनके अनलॉफुल पजेशन के बारे में यह बिल प्रस्तुत किया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें, युनिसेफ,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

डब्ल्यू. एच. ओ. वगैरह हैं, उनसे बच्चों की बहतरी के लिये या बच्चों में बढ़ती हुई बीमारियों के लिये जो गुड्स हमें प्राप्त होते हैं-उन गुड्स के सही वितरण का जहां तक प्रश्न है, उन गुड्स के वितरण के अन्दर अगर कुछ गडबडी होती है, घोटाला होता है तो यह अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रश्न है, प्रतिष्ठा का प्रश्न उसके साथ जुड जाता है। आज यूनीसेफ से हमें मिल्क प्राप्त होता है, उसका बटवारा सही रूप से न कर पायें और बाजार के अन्दर उसकी बिक्री हो तो उससे प्रतिष्ठा पर प्रभाव पडता है। आज दुनियां के अन्दर चार पांच संस्थायें हैं, जिनका इसमें कैटेगरीकली रेफरेन्स किया गया है, उनसे विभिन्न वस्तुयें-जो स्वास्थ्य से संबंध रखती हैं, सुधार से संबंध रखती हैं, बीमारी से संबंध रखती हैं-प्राप्त होती हैं उनमें एक यूनीसेफ, दूसरी कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेअर, (३) चर्च वर्ल्ड सर्विस, चौथी लुथेरान वर्ड रिलीफ और पांचवी कैथोलिक रिलीफ सर्विस-इन संस्थाओं से गुड्स प्राप्त होते हैं। इनके साथ ही अगर डब्ल्यू. एच. ओ. का भी इन्वलूजन हो जाता, तो मैं समझता हूं बहुत उचित होता।

श्री मथुरादास माथुर: 'The State Government may, by notification, add any organisation to, or omit any organisation from, the schedule; and on the publication of such notification, such organisation shall be deemed to be include in or as the case may be, omitted from the Schedule.'

And that notification will bze placed before the Legislative Assembly

मैं यह कहता हूं कि अगर कॉम्युनिस्ट कन्ट्री से चीजें आनी शुरू हों तो हम उनका नाम भी दे देंगे, उसमें हमें खुशी होगी। किन किन संस्थाओं से गुड्स आ रहे हैं उनका नाम लिख दिया है, शिड्यूल इसका देखने के बाद आपको मालूम होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: माननीय मंत्री की भावना मैं समझता हूं। डब्ल्यू. एच. ओ. का कन्ट्रीब्यूशन है। जो यूनीसेफ का कन्ट्रीब्यूशन है उसके शिड्यूल के अन्दर लिखा है, और जो चीजें आती हैं वे आती हैं: कार्न मील, मिल्कपाउडर, वेजीटेबिल आइल, बटर, घी, Hard red Winter and western white types of wheat; Rolled wheat and Barley and grain sorghum; इसके साथ साथ, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊं, एक माननीय सदस्य ने एतराज उपस्थित किया था कि अभी कोई विशेष घटनायें इन चीजों की चोरी की नहीं हैं, इसलिये क्या आवश्यकता है बिल को बनाने की। तो एक कोटा की घटना माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है, कुछ घटनायें मेरी जानकारी में भी हैं। जो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं, जो लोकल आर्गनाइजेशन्स हैं और पंचायत समितियां हैं उनके जरिये दूध वगैरह का वितरण या कार्न मिल्क का वितरण गांवों के बच्चों में और प्राइमरी इन्स्टीट्यूशन्स के बच्चों में करते हैं। और आम तौर पर पंचायत समिति लेवल पर, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर लेवल पर थोडा बहुत घोटाला किया जा रहा है। मेरी जानकारी में यह आती रहती है। चूंकि यह चीजें गिफ्ट के अन्दर आती नहीं हैं, इसलिये उनका सेल आम तौर पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बाजारों में होता रहता है । मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि डब्ल्यू. एच. ओ. से जो गिफ्ट्स प्राप्त होती हैं उनके अन्दर लीकेजेज होते हैं, उनके अन्दर घोटाले हैं । मैंने पिछले सत्र के अन्दर एक गेमाक्सिन का केस रखा था । मलेरिया इरेडिकेशन के संबंध में गेमाक्सिन गंगानगर जिले में प्राप्त हुई, सैंकडों टन गेमाक्सिन लेकिन वहां किसी को उपलब्ध नहीं हो सकी । उसका आडिट आब्जेक्शन हुआ । उसमें कह दिया गया कि वर्षा हुई और सैंकडों टन गेमाक्सिन वर्षा में बह गई...

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो गंगानगर में एवरेज रेन फाल ७ इन्च हुआ करती है और ७ इन्च वर्षा से कोई छत गिर जाए या दीवार टूट जाय और गेमाक्सिन बह जावे, यह तो संभव नहीं हो सकता । इसके संबंध में ऑडिट ने भी किया और इस रीजन को कि यह बह गई नहीं माना । इसके अलावा सल्फा ड्रग्ज या एनेसीन आदि जो आम यूज में आनेवाली चीजें हैं और जो डब्ल्यू. एच. ओ. से हमारे यहां पर या दूसरे प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों से प्राप्त होती हैं उसका प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और आम तौर से सल्फा ड्रग्ज प्राइवेट शोप्स में सेल होती हैं और इसकी जानकारी सब को है कि जो सल्फा ड्रग्ज आती हैं वे प्रोपरली यूटीलाइज नहीं होती । अगर आपकी यही मंशा हो कि ये ड्रग्ज बाजार में बिकती रहें और जिस काम के लिये आए उसके लिये उनका प्रोपर यूज न हो तो...

श्री मथुरादास माथुर : Excuse me, to be very brief, I may say that I have said in the definition; 'gift goods' means any of the following goods and such other goods as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify ....

डब्ल्यू. एच. ओ. की तरफ आपने ध्यान दिलाया है । हम उसका नाम भी इसमें डाल देते हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने भी निश्चित तौर से कहा है कि इसके लागू होने से हमें बहुत प्रसन्नता है और मैंने इसके लिये अपनी प्रसन्नता जाहिर की है ।

दूसरी बात आपने फाइन की ओर पनिशमेंट की रखी है, यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह हमारे नेशनल कैरेक्टर पर रिफलेक्शन डालती है । जो लोग इस प्रकार से इन दवाइयों और दूसरी चीजों को सेल करते हैं, उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिये और मैं आपकी इस भावना की कद्र करता हूं क्योंकि वे लोग इस प्रकार का कार्य करके हमारे नेशनल कैरेक्टर को निम्न स्तर का घोषित करते हैं और मैंने तो इस ओर संकेत किया कि जो मेडिकल गुड्स का क्षेत्र है उसमें इसको डाल दें और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, इसलिये मैं अंत में यह निवेदन करूंगा कि जो वे शिड्यूल निकालें उसमें इसको भी मेडिकल गुड्स में डाल दें । लोकल मेन्युफैक्चर्ड मेडिसिन्स के संबंध में जो स्थिति है उसको तो आपने देखा है । और जो सल्फा ड्रग्ज स्पेशली प्राप्त होता है उसकी आम रेट है उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि वे किस तरह से बाजार में बिकती हैं । आप इसकी इम्पोर्टेन्स को फील करेंगे । आप फर्स्ट लिस्ट में डब्ल्यू. एच. ओ. को इस लिस्ट

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में डाल देंगे । अतः में इसको वापिस लेता हूं ।

श्री **अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेडा) : अध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां तक आपने दो साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा है उसके साथ साथ इतना और जोड दिया जावे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा जुर्म करता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार का प्रश्न भी होना चाहिये । इसके अलावा यह भी होना चाहिये कि उसको लोकल चुनावों में खडे होने से भी बान कर दिया जाना चाहिये, उसको उचित सजा मिलनी चाहिये और साथ साथ यह भी होना चाहिये कि वह लोकल चुनावों में खडा नहीं हो सके । क्योंकि यह देश विरोधी बात होती है । दूसरे हमको सहायता देते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं और बेचते हैं तो यह हमारे नेशनल केरेक्टर पर कलंक है । हमें राष्ट्रीय भावना की कद्र करनी चाहिये । पहले जमाने में इस प्रकार का कार्य करने वालों को (राष्ट्र विरोधी कार्य करने वालों को) ओपन केनिंग हुआ करती थी ।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने आया है इसमें यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई ऐसी उपहार वस्तु पाई जाती है या कब्जे में रही सिद्ध हो जाती है या जिसके संबन्ध में सन्देह हो कि वह चुराई गई है तो उसको जुर्माने या दो साल की सजा या दोनों सजायें दी जा सकती हैं । अगर बहुत से ऐसे केसेज हो जाते हैं कि वे लोग उसका दूसरी तरह उपयोग करते हैं । बच्चों के लिये उसका उपयोग किया जाना चाहिये, उसका वे उपयोग नहीं करके खुद उपयोग करते हैं । उनके संबंध में आपने क्या किया है ? इसके लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं है । ऐसे लोग जो दुरुपयोग करें और खुद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं और उसको काम में लेवें तो ऐसे लोगों को सजा देने के संबंध में कोई प्रावधान होना चाहिये ।

श्री **मथुरादास माथुर** : अध्यक्ष महोदय जैसा रायसिहनगर से आनेवाले माननीय सदस्य का सुझाव है, मैं उसको उचित समझता हूं । और उसको नोटिफिकेशन से पूरा कर दूंगा सोशियल बाईकॉट का रखा है और इलेक्शन में उनको खडा नहीं होने की बात रखी है उसके लिये में यह कहूंगा कि नोर्मल कोर्स में जो कानून है उसके अनुसार कार्य हो सकता है । इसके अलावा आसींद से आनेवाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया वह इससे कवर हो जावेगा । कोई भी आदमी सरकारी नौकर है;

although he may be in lawful possession, but if he trades in these goods then the offence is made out "If any person—

> (a) trades or is found to have traded in gift goods;"

तो वे तो कोई आदमी सरकारी नौकर बाजार में बेचता है या ट्रेड करता है उसके लिये तो प्रावधान है ही और अगर कोई पाव भर दूध पी जावे तो उसके लिये तो कोई कुछ नहीं हो सकता । लॉफुल्ली पजेशन में दिया हो और पी जावे तो पी सकता हैं ।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : सजा का सवाल है कि यदि वह दुरुपयोग करता है तो उसको सजा हो सकती है । यह तो दुरुपयोग ही हुआ, अगर वह पी जाता है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of Order, Sir,....

अध्यक्ष महोदय, हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम ८० के अनुसार इस बिल पर पहले क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन होना चाहिये था। लेकिन अभी तक इसका क्लॉज बाई क्लॉज कन्सीडरेशन इसका नहीं हुआ है।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जब संशोधन होते हैं तो होता है, अन्यथा नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : संशोधन नहीं होता तब भी इसमें होता है इसमें साफ लिखा है—

"Notwithstanding anything contained in these rules, the speaker may, when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill, or any part of the Bill, to the House clause by clause. The Speaker may call each clause separately and, when the amendments relating to it have been dealt with, shall put the question. That this Clause or, this (Clause as amended, as the case may be) stand part of the Bill,"

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्लॉज ८५ देखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Rule 85 says: "When a motion that Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member-in-charge may at once move that the Bill be passed."

इससे आगे आप सब क्लॉज (२) पढ़ें तो दिन जिस दिन क्लॉज बाई क्लॉज का कन्सीडरेशन हो चुका हो, अगर कोई एमेन्डमेंट नहीं आये हों तो बिल थर्ड रीडिंग में पास किया जा सकता है। लेकिन क्लॉज बाई क्लॉज पास होने की आवश्यकता है। अमेंडमेंट नहीं आयें तो भी कन्सीडरेशन के लिये हाउस के सामने पेश किया जाना चाहिये। यह हो सकता है कि अध्यक्ष महोदय सेट ऑफ क्लॉजेज को हाउस के सामने रख सकते हैं पर क्लॉजेज के बारे में ८१, ८२, ८३, ८४ में दिये हुए प्रोसीजर को माना जाना चाहिये, चाहे कोई अमेंडमेंट आये या नहीं आये, यह आवश्यक है। इससे पहले पारित करने का प्रस्ताव रखा गया है, उस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष : जो सदन के नियम हैं और जो प्रक्रिया आज तक इस सदन में रही है वह यह है कि माननीय सदस्य अगर संशोधन प्रस्तुत करते हैं तभी उस क्लॉज पर बहस की जाती है। माननीय सदस्यों को यह भी अधिकार है कि वे यह संशोधन दे सकते हैं कि डिलीट दी क्लॉज सो एण्ड सो, यह भी माननीय सदस्यों को अधिकार है। अगर वे बहस करना चाहते हैं कि अमुक क्लॉज पर बहस करेंगे, अमुक क्लॉज को हटाया जाय या उसमें अमुक संशोधन किया जाय तो वे ऐसा कर सकते हैं। यह मंशा जब तक माननीय सदस्यों की तरफ से नहीं रखी जाय तब तक अमेंडमेंट नहीं हो तो हर एक क्लॉज को लेना उचित नहीं होता। संशोधन लाने की मंशा यही है कि उस पर बहस करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो प्रक्रिया आज तक रही है वह यही रही है, जो मैं समझता हूं उचित भी

Page No. 67

(श्री अध्यक्ष)

है कि किसी क्लॉज पर माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट नहीं भेजा है तो यह आवश्यक नहीं है कि एक एक क्लॉज को लिया जाय ग्रुप ऑफ क्लॉजेज को ले कर बहस की जाय। माननीय सदस्य अमेंडमेंट के द्वारा या अन्य तरीकों से संकेत कर सकते थे यदि बहस करना चाहते थे तो, पर ऐसा नहीं किया। इसलिये में समझता हूं कि यह अनावश्यक है। अमेंडमेंट बगैर भी माननीय सदस्य फर्स्ट और थर्ड स्टेज पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसलिये थर्ड स्टेज पर भी बहस का प्रावधान रखा है कि कोई अमेंडमेंट नहीं दिया है तो भी बहस कर सकते हैं। इसलिये आवश्यक नहीं है कि इसे क्लॉज बाई क्लॉज या ग्रुप आफ क्लॉजेज में लिया जाय। अत: जो प्रस्ताव रखा था कि विधेयक को पारित किया जाय वह लिया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of clarification, Sir,

अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था से यह दिक्कत होती है कि किसी क्लॉज को कम्प्लीटली डिलीट करने का अमेंडमेंट किया जाय तो वह अमेंडमेंट एड्मिट नहीं होता, क्योंकि कम्प्लीट क्लॉज से ही विरोध होता है, तो वह अमेंडमेंट एड्मिसिबल नहीं होता। जैसे किसी एक क्लॉज से विरोध है, उसका अमेंडमेंट तो एड्मिट होगा नहीं और किसी क्लॉज से, उस क्लॉज के अलावा विरोध है नहीं तो उसका नतीजा यह होगा कि एक पर्टीक्यूलर क्लॉज पर डिविजन क्लेम करना चाहे तो ऐसी स्थिति में डिविजन क्लेम नहीं कर सकेगा। उस समय बडी एनोमोलस पोजीशन हो जाती है, माननीय सदस्यों के अधिकार ही वहां खत्म हो जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इस संबंध में मैं समझता हूं, कोई क्लॉज के बारे में विरोध हो तो वे कर सकते हैं, कोई पर्टीक्यूलर क्लॉज पर वोटिंग चाहें तो आसन से मांग की जा सकती है। खास तौर से कोई प्रिन्सिपल का मामला हो, डिविजन कराना चाहते हों तो ऐसा किया जा सकता है। पर ऐसा मौका नहीं है तो सारे बिल को ही वोट पर रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : सो व्यवस्था यह है कि अगर माननीय सदस्यों का इस तरह का संकेत नहीं हो तो हर क्लॉज को लाने की आवश्यकता नहीं। माननीय सदस्य चाहें तो लिखित रूप में या अन्य तरीकों से संकेत कर सकते हैं कि इस क्लॉज पर बहस करना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४

(प्रवर समिति को)

राजस्थान सैकंडरी एजुकेशन अमेन्डमेंट बिल १९६४ मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है प्रवर समिति को भेजने का इसलिये संक्षेप में कहें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि··

Page No. 68

श्री रामानन्द अग्रवाल : On a point of order, Sir, when the member in charge......

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सैकन्डरी एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप शिक्षा मंत्रीजी को मौका क्यों नहीं देते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : The objection is dropped, Sir. I am here.

श्री मथुरादास माथुर : The Deputy can do it. The Minister is meant for higher work.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We cannot permit you to over-ride 'Da-Sahib'.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Don't be so anxious about 'Da Sahib',

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह झाला।

(अनुपस्थित)

श्री जयलाल।

(अनुपस्थित)

श्रीरामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री दुर्गालाल बाढदार।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सैकन्डरी एज्यूकेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष :–प्रश्न यह है कि राजस्थान सैकन्डरी एजुकेशन (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जिसके सदस्यों की सूची बाद में बता दी जावेगी।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६४

(विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४।

Page No. 69

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेंट्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री मुरलीधर व्यास ।

(इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए)

१. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय)" ।

२. **श्री रामकिशन** (वैर): "राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को ३ अगस्त, १९६४ तक के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"

३. श्री **कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा):
,, सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर):
,, गिरधारीलाल व्यास (आसींद):
,, केदारनाथ (गंगानगर):
,, विजयसिंह झाला (नाथद्वारा):

["राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो (क्रमश:) एक सप्ताह में/तीन माह की समाप्ति होने से पहले/एक सप्ताह में/एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी) ।"]

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, यह खास कर के विधायकों से ही संबंधित है और इस संबंध में जो भी संशोधन किये गये हैं उनमें तीन संशोधन हैं, एक तो यह है कि मेडिकल फेसिलिटीज विधायकों को मिलती हैं उनमें आयुर्वेदिक और दूसरी फैसिलिटीज विधायकों को मिलती हैं, इस संशोधन में उनको बढ़ा दिया गया है । पहले यह था कि ये फैसिलिटीज मेम्बर्स तक ही सीमित थीं, अब उनके परिवार तक को वे फैसिलिटीज मिलेंगी, यह बढ़ा दिया गया है ।

दूसरा यह है कि विधायकों को २५०) रु० सैलेरी मिलती है वह ३००) रुपया करने का इसमें संशोधन है । मैं इस संबंध में यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस संबंध में विधायकों के बीच भी कई दफा चर्चा हुई, हाउस कमेटी में भी हुई, उसमें बहुत सी बातें आई, उनमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज का सवाल था जिनके बारे में सरकार को सोचना था उसमें एक इस फेसिलिटी पर विचार किया गया था कि जो हमारे यहां स्टेट रोडवेज की बसेज हैं, उन रोड्स पर · · ·

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : अमेंडमेंट आ गया है ।

श्री मुरलीधर व्यास : हां, तो वह भी इसमें विचार रखा गया था । उसके साथ ही साथ यह बात भी थी कि जो कॉन्स्टीट्यूएन्सीज में डिस्ट्रिक्ट पूल्स हैं, जीप्स हैं उनको वे अपनी कांस्टीट्यूएन्सीज में कुछ समय के लिये दौरा करने ले जा सकते हैं, ताकि

(श्री मुरलीधर व्यास)
वे वहा की स्थिति को देख सकें, पर इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है ।

जहां तक कि सैलेरीज, भत्ते आदि बढाने का सवाल है मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हर प्रान्त में इस प्रकार का फैसला हुआ है, यू. पी. में फैसला हुआ है, २००) रु० सैलेरी थी, अब ३००) हुई है । हमारे यहां कुछ समय पहले २००) से २५०) हुई और अब ३००) करने का सवाल आया है । क्योंकि यह विधायकों तक ही सीमित है, पर आज के समय में हमें बहुत ही गम्भीरता के साथ इस पर सोचना चाहिये, क्योंकि हमने यहां लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था की है । जो भी एक साधारण सदस्य हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे वह पंचायत समितियों का हो, चाहे जिला परिषद का हो । आज अगर विधायक इस तरह से अपने वेतन स्तर को एक साल, दो साल, तीन साल के बाद बढ़ाते जाएंगे तो उसका नतीजा दूर दूर तक जायगा । जैसे हम यहां हर बात में पार्लियामेंट का हवाला देते हैं, उस प्रकार की चर्चा नीचे की संस्थाओं में चलेगी कि विधान सभा के सदस्य इतनी सैलेरी लेते हैं तो पंचायत समिति के सदस्यों का भी कुछ वेतन बढ़ना चाहिये । भत्तों का सवाल भी इसमें पैदा हो सकता है । राजस्थान के अंदर पंचायतों के सदस्य हजारों की संख्या में हैं ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : Should I take it that the hon. Member is opposing the Bill. What does he want to suggest I have not been able to follow. He is discussing clause-by-clause. So I want to know....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : It is a motion for sending the Bill for eliciting public opinion.

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब है कि हमारी जो आज इस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं जिनके अंतर्गत विकेन्द्रीकरण हुआ है और विकेन्द्रीकरण की इकाइयां हमारी कितनी हैं, किन परिस्थितियों में हैं । इन सब बातों को हमें गंभीरता से देखना है । कुछ समय के बाद में यह जो ट्रेंड नीचे तक चलेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, यह सब विधायकों को सोचना है क्योंकि केवल हमें अपनी बात नहीं सोचनी है । हम जो भी परिवर्तन करते हैं और जहां तक फैसिलिटीज का सवाल है....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : आप दूसरे मेम्बरों पर रिफ्लेक्शन मत डालिये । आप अपनी बात कहिये, आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक सैलेरीज का सवाल है, मैं इसका स्पष्ट विरोध करता हूं, उसके साथ दलील भी दे रहा हूं । आज हमारे देश के अंदर हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया है, जिसके अंदर ३०-३० हजार पंच आते हैं, पंचायत समितियों के सदस्य आते हैं, उनको भत्ता मिलता है; तो ये परम्परायें अगर पार्लियामेंट से लेकर नीचे तक चलें तो उसका नतीजा हमारे राज्य को आगे जाकर भुगतना पडेगा और उसका परिणाम यह होगा, हर चीज सैलेरी के आधार पर तोली जायगी, आत्म-प्रेरणा मिट जायगी । कुछ साथियों ने संशोधन भी रखे हैं और यह बात भी कही है कि जो लेना चाहें ले और जो

(श्री मुरलीधर व्यास)

न लेना चाहें न लें, इस प्रकार की बातें आई हैं। मैं इस संबंध में नहीं कहना चाहता हूं। आज इस देश के अंदर जो हमने सारे हिन्दुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण किया है उसके नतीजे किस प्रकार से कहां पर होंगे, उनका ध्यान अगर हमने नहीं रखा और यहां विधायकों ने इस प्रकार से निर्णय करके अपनी सैलेरीज को बढाना प्रारंभ किया तो असर नीचे तक होगा। इसलिये जो हमारे देश के अंदर यह ट्रेन्ड चला है वह ट्रेन्ड आज जो यहां परिस्थितियां मौजूद हैं उनको मद्दे-नजर रखते हुए नीचे तक कहां तक फैल जायगा और जो हम कहते हैं कि लोगों के अंदर आत्म-प्रेरणा पैदा हो तो वह प्रेरणा आपके इस रवैये से, मैं समझता हूं, बिल्कुल बदल जायगी। जहां तक किसी प्रकार की सेलेरीज का सवाल है ५० रुपये बढाने से इसको कोई इतना महत्व नहीं है.....

एक माननीय सदस्य: आपकी क्या यह राय है कि १०० रुपये बढाये जायें?

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): विधान सभा के सदस्यों को सबको बराबर त्याग करना चाहिये।

श्री फूल चन्द जैन (सुजानगढ): क्या चाहते हो; 'हां' या 'ना'?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): हम कहते हैं कि हमारी तनख्वाह कम करो, चपरासियों की बढ़ाओ।

श्री मथुरादास माथुर: जहां तक इस बिल को विचारार्थ लिये जाने पर बहस का सवाल है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सिलेक्ट कमेटी में भेजें, चाहे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजें, चाहे ड्राप करें, मेरी पार्टी का कोई भी सदस्य इस सिलसिले में कोई वोट नहीं करेगा। आप विरोधी दल वाले बैठकर फैसला कीजिये क्योंकि हाउस कमेटी में सब पार्टीज की तरफ से यह मामला तय होकर आया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: यह गलत है, हमने नोट आफ डिसेंट दिया है। Don't give a wrong statement. I have given a note of dissent.

श्री मथुरादास माथुर: You have given a note of dissent, but you also said that you will not oppose in the House. That has been given to the Chairman of the House Committee also.

श्री रामानन्द अग्रवाल: This is absurd.

श्री मथुरादास माथुर: The Congress Party refuses to vote on this Bill. Therefore, you must not blame me or the Government.

श्री मुरलीधर व्यास: आपका कहना बहुत अच्छा है। मुझे प्रसन्नता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आज इसके पीछे...

श्री मथुरादास माथुर: I only said why waste the time of the House. इसके पीछे क्या भावना थी या न थी, आप जो भी मन्जूर कर लेंगे वही होगा। Why do you want to waste the time of the House.

श्री मुरलीधर व्यास: क्या बातचीत हाउस कमेटी में हुई, इसका हवाला मेरे पास नहीं है। आपने मजदूरों के पांच रुपये बढाये?

Page No. 72

श्री मथुरादास माथुर : Please don't try to bring politics in this Bill at least, for God's sake.

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पोलिटिक्स नहीं है, इसमें कौन सा . . .

श्री मथुरादास माथुर : I would not have introduced this Bill. मैं इस बिल को सदन के सामने प्रस्तुत नहीं करता। जब इसका समर्थन ऑपोजीशन के लीडर्स की तरफ से हुआ तब . . .

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने मजदूरों का . .

श्री मथुरादास माथुर : Please let me say. मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी वाले एंक्शस नहीं हैं। We refuse to participate in voting. You decide among yourselves and don't put the blame on me. If you want me to withdraw the Bill, I am prepared to withdraw it.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : नोट ऑफ डिसेंट जिसकी बात यहां की गई है . . .

श्री मथुरादास माथुर : You are putting motive against my party.

श्री मुरलीधर व्यास : खास कर मैंने जो हवाला दिया है . . .

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में ही हवाला दें।

श्री मुरलीधर व्यास : आप कह रहे हैं कि मानिकचन्दजी सुराणा नोट ऑफ डिसेन्ट दे चुके हैं, फिर ऐसी बात क्यों की ? माननीय मंत्री महोदय ने इस प्रकार की बात कही है, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम लोग न हाथ उठायेंगे और न निर्णय करेंगे, आपको जो कुछ करना है वह करे। आज ये जो परम्परायें आप चला रहे हैं, चाहे आप माने या न मानें, आपने देश में डेमोक्रेसी को अपनाया है, लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण का रास्ता अख्तियार किया है, उनके लिए इसके नतीजे बड़े गम्भीर होंगे। पंचायत और पंचायत समितियों के अन्तर्गत एक समान दृष्टिकोण रखना चाहते हैं तो जहां अपनी फेसिलिटीज का सवाल हो तो आप अपने मन माने ढंग से उनको बढा लें, और जहां दूसरों को फेसिलिटीज देने का सवाल आता है . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बिल पर ही बोलें, दूसरे पर न बोलें। क्यों इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित्त करना चाहते हैं, इस पर बोलते हुए अपने भाषण को समाप्त करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय ने कहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जहां तक विधायकों को अपने क्षेत्रों में पहुंच कर यहां विधान सभा में उनकी कठिनाइयों को पेश करने का सवाल है वहां उनको सरकार की ओर से सुविधायें मिलनी चाहियें, और सरकार को उनको देनी चाहिये। लेकिन जहां तक विधायकों की सेलेरीज़ को बढाने का प्रश्न है इस प्रकार से यह परम्परा कायम की गई तो इसके आगे जाकर बड़े बुरे नतीजे निकलेंगे; खास कर जब कि हम डेमोक्रेसी और लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण चाहते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि हमारे यहां पांच रुपया हम देने की बात करते हैं . . . . .

श्री अध्यक्ष : फिर वही ५) रु० की बातें ले आये। आप इसी विधेयक पर बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is linked with this.

श्री मुरलीधर व्यास : एक दलील आप यह देते हैं कि मुल्क में एमर्जेन्सी है

(व्यवधान)

और साल भर नहीं हुआ है और साल भर पहले आपका १२ पर्सेन्ट कट होना चाहिये, लोग आज भी देते हैं, एमर्जेन्सी आज भी मुल्क में है, उसमें आप अपनी सेलेरीज को बढाने की बात करते हैं तो उससे दूसरों पर क्या असर होगा ?

(व्यवधान)

इसलिए इन परिस्थितियों में हमारे दल का जो निर्णय हुआ है वह यह है कि सेलेरीज और भत्तेबढाने का सवाल है, आपने इस प्रकार के प्रपोजल्स रखे हैं, वे आज के समय के अनुरूप नहीं है और आज जो मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए इनका बडा असर होगा। आप आज भी मुल्क में एमर्जेन्सी मानते हैं। दूसरे प्रोविन्सेज बढाते हों लेकिन कोई इस प्रकार से भत्ते और सेलेरीज बढाते हैं तो यह ठीक नहीं होता है। फिर भी आप चाहते हैं कि हमारी सरकार है, हमारा बहुमत है, हम बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगें, आपको निर्णय लेना है वह तो आप लेंगे ही·····

श्री मोतीलाल चौधरी : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, शुरू में ही निवेदन करा कि यह मेम्बर्स की सेलेरीज के सम्बन्ध में जिस तरह से बोल रहे हैं, किसी मेम्बर ने बिल पेश नहीं किया है, वे जिस प्रकार का इस ओर रिफ्लेक्शन दे रहे हैं वह हम पर भी पड रहा है इसलिये माननीय सदस्य जो कुछ भी कहे वे इस दृष्टि से कहें कि उसका रिफ्लेक्शन न पडे।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने जो विचार रखे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, वे मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गये हैं। मैंने जो अपने विचार हैं रखे ह। मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत के लिए प्रसारित किया है। आप इसको बहुत जायज मानते हैं तो जनमत के लिए जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री गिरधारिलाल व्यास (आसीन्द): जब हाउस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी··

श्री अध्यक्ष : No, no.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में तीन महीने के लिए जनमत जानने के लिए भेजा जाय, इस तरह का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर जब हमने जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के प्रस्ताव का निर्णय किया है उसके पीछे यह भावना है कि हम यह महसूस करते हैं कि जहां तक विधायकों को अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में या राजस्थान भर में जो जिम्मेदारी एक विधायक के नाते उस पर है वह जिम्मेदारी

(श्री रामा नन्द अग्रवाल)

पूरी करने के लिए जितनी मौजूदा सुविधायें हैं ट्रेवलिंग वगैरह की, वे सुविधाएं अपर्याप्त हैं, उन सुविधाओं में बढोतरी होनी चाहिये जिससे कि उनको कोई मोनीटरी गेन का लोभ तो न हो, केवल मोनीटरी गेन करके और अपनी पोकेट में कुछ पैसे आ जायें, यह दृष्टिकोण न हो, बल्कि वे उन सुविधाओं के जरिये ज्यादा से ज्यादा दौरा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जनता में जा सकें, ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के भागों में जा सकें और उसके जरिये इस सदन में आकर जनता की भावनाओं को रख सकें, उनके विचारों को रख सकें, उनकी इस प्रकार की फैसिलीटीज में जो आज विधायकों को मिल रही हैं उनकी फैसिलिटीज में कुछ बढोतरी होने की आवश्यकता है, जो इस बिल के मूल में इस प्रकार का प्रावधान नजर नहीं पड़ा। अलबत्ता सरकार की ओर से जो अमेन्डमेन्ट मूव किया गया है खासतौर पर रोडवेज की बसेज पर चलने के लिये गवर्नमेन्ट किसी तरीके के पासेज की व्यवस्था करना चाहती है इस कदम को मैं और मेरी पार्टी एक सही दिशा में कदम मानती है। इसके अतिरिक्त भी सरकार को चाहिये कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र से कोई भ विधायक आता है उस क्षेत्र में दौरा करने के लिए सरकार द्वारा उनको पूल की जीप का न्यूनतम दिनों के लिये बाकायदा प्रोग्राम के आधार पर फैसेलिटीज विधायकों को मिल जाय तो वे जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सकेंगे, एक लेजिस्लेटर के नाते अपनी रेस्पोंसिबिलिटीज को ज्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर सकेंगे, क्योंकि एक इन्डिविजुअल विधायक का क्षेत्र है वह कितना बडा क्षेत्र है; राजस्थान में आप ख्याल कीजिये जैसलमेर, जोधपुर डिवीजन और भी बडे बडे इलाके हैं जहां कितने ही गांव एक कॉन्स्टिट्यूएन्सी में होते हैं, तीन तीन सो, चार चार सो गांवों में कॉन्स्टिट्यूएन्सी फैली होती है, वे उन सारे गांवों में जा सकें यह मुमकिन नहीं हो सकता है इसलिए मैं समझता हू, यह बडी आवश्यकता है आज कि इस प्रकार की फैसिलिटीज़ में गवर्नमेन्ट बढोतरी दे। राजस्थान में और कहीं पर जायें, वहां पर कोई रेस्ट हाउस हैं, अभी कॉन्स्टिटू-एन्सी में रेस्ट हाउस हैं तो ठहरने की फैसिली-टीज है, लेकिन ऐसी जगह ज्यादा ठहरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता के पास ठहर सकते हैं, जानकारी होती है और जनता में जांय तो ऐसी फैसिलिटीज मिल जाती हैं; लेकिन जहां वाकफियत नहीं होती है, न पार्टी का क्षेत्र हो, नयी जगह हो तो इस प्रकार की फैसिलीटीज वहां पर सरकार को देनी चाहिये। लेकिन जहां तक तनख्वाह में बढोतरी का सवाल है, जहां तक सजेशन २५०) से ३००) रु० करने का है उस प्रोविजन के हमारी पार्टी और हम विरोध में हैं और अध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बडा कारण यह है कि शायद सरकार ने इस बात को प्रस्तुत करते समय इस बात का ख्याल रखा है कि इन्डेक्स नम्बर काफी बढे हैं, मंहगाई काफी बढी है और २५०) रु० की जो रियल वेल्यू है उसमें काफी घटोतरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इस दलील के आधार पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि २५०) रु की जो पहले वेल्यू थी उसकी रियल वेल्यू बहुत कम हो गई है। इस बुनियाद पर सरकार अगर यह कहे कि विधायकों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जो मिलता है उसकी रियल वेल्यू में किसी प्रकार कमी नहीं करना चाहते तो इसी बुनियाद पर सरकारी कर्मचारियों के साथ भी व्यवहार करती, इसी प्रकार उनके साथ भी डील करती तो हमारी पार्टी इसका समर्थन कर सकती थी। लेकिन सरकार ने आर्थिक संकट बता कर इस बात को मोरली स्वीकार करते हुए भी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ गई है, आर्थिक संकट के कारण हम राज्य कर्मचारियों को इतना महंगाई भत्ता नहीं दे सकते, केवल एक एडहॉक बेसिस पर ५ रुपये बढ़ाने का निर्णय किया। इस बुनियाद पर मैं और मेरी पार्टी इसको उचित नहीं समझते। अर्थ संकट की बुनियाद जब कर्मचारियों की मामूली तनख्वाह बढ़ाने में आती है, रिअल वेल्यूज जब उनको नहीं दे सकते तो हम विधायकों को, जिनको पे करने का अधिकार है, जिनके द्वारा सारा बजट पास होता है वह बुनियाद अपने लिये लागू न करें। मैं इसको मोरली जस्टिफाइड नहीं समझता। इसी बुनियाद पर २५०, से ३००, रुपये वेतन बढाने का जो प्रोवीजन है उसके हम विरोध में हैं। चूंकि हम इसके टोटली अगेन्स्ट में नहीं हैं, फेसिलिटीज; ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज बढाने के पक्ष में हैं, इस विल के अन्दर इस तरीके के और प्रोवीजन नहीं है हम फैसिलीटीज बढाने के पक्ष में हैं जैसी हालत में हम इस बिल का सम्पूर्णतया विरोध नहीं करते हैं;

सलिये हमने इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का मोशन रखा है। अगर हम हर रूप में लेजिस्लेटर्स को अमेनिटीज प्रोवाइड करने के विरोधी होते तो जनमत जानने की बात न कहकर कन्सीडरेशन की स्टेज पर ही विरोध कर सकते थे। इसलिये हमने इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है ताकि जनता के विचार लेजिस्लेटर्स को सुविधा देने के बारे में जाने जा सकें, उनके विचार भी सामने आ सकें कि वे किस प्रकार की सुविधा लेजिस्लेटर्स को देने के पक्ष में है।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो माननीय सदस्य अपना पूरा काम करते हैं उसमें जो आर्थिक कठिनाई होती है उसको भी महसूस करना होगा, आर्थिक कठिनाई इस रूप में होती है मेम्बरों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपनी जिम्मेवारी निभाने में ये २५०) रुपये काफी नहीं हैं जब कि उनको राज्य के दूसरे क्षेत्रों में जाना होता है तब अतिरिक्त खर्चा करना होता है। हम इस बात के समर्थक हैं कि उनकी एक्टीविटीज में किसी प्रकार की कमी न हो, लेकिन वे पैसे के अभाव में विधायक अपने क्षेत्र का दौरा करना छोड दें, यह भी उचित नहीं हैं वैसी हालत में जो उनका खर्चा होता है वह गवर्नमेन्ट इस रूप में मीट करे कि उनको फैसीलिटीज दें ताकि उनकी आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। वह एक पीक्युनियरी गेन नहीं हो सकता, जनता के अधिक से अधिक कर्तव्य निभाने में, पूरा करने में उनको सुविधाएं मिल सकें, यह ध्येय होना चाहिये। जिस प्रकार राज्य कर्मचारी अपनी ड्यूटीज को निभाने में जिस प्रकार की फैसीलिटीज का उपभोग करता है वह उनको भी दी जाय। तो दौरे वगैरह के समय जो उनको दिक्कतों का सामना करना पडता है वह पैदा नहीं होगी। इसी रूप में इसमें फर्क है, यह हमारे दल की मान्यता है। इसी बुनियाद पर हम इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करना चाहते हैं।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व बोलने वाले दो माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उनको सुनकर कुछ दुःख हुआ । मैं समझता हूं यह कोई बड़ी बात . . .

(ध्वनि-विस्तारक यन्त्र के गिर जाने पर)

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : दुःख का पहाड़ तो आप पर टूट पड़ा ।

श्री **मानसिंह महार** : मैं समझता हूं यह कोई उन्होंने बडी बात नहीं की । हमारे मंत्री महोदय को बडा फिक्र हो रहा है कि उन्होंने यह बिल लाकर बहुत बडी बात कर दी । जनता को जवाब देना है मैं नहीं समझता उन्होंने कुछ किया हो । आज क्या जमाना है उसको देखते हुए यह जो कुछ किया जा रहा है, वह नहीं के बराबर है । कुछ इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने केवल दिखाने के लिये विरोध किया । इनकी आत्मा से पूछा जाय इनको किसी मन्दिर में ले जाकर शपथ से कहलाया जाय, कम्युनिस्ट तो धर्म वगैरह नहीं मानते, इनके अलावा लोगों को, जिन्होंने विरोध किया है, उनको, मन्दिर में लेजाकर धर्म दिलाया जाय तो वे भी यही कहेंगे, उनकी आत्मा तो चाहती है, हम तो जो चाहते हैं साफ साफ कह देते हैं और वे चाहते हुए भी केवल दिखाने के लिये विरोध करते हैं, उनकी आत्मा तो चाहती है लेकिन वे कहते नहीं हैं, यही हममें और उनमें फर्क है । हमें जो कुछ भी लेना है वह ईमानदारी से लें और उसके अनुरूप कार्य करें । यहां से उठने पर वे हमें भी कहेंगे बडा भला किया, उनकी आत्मा भी आशीष देगी । लेकिन दिखावे के लिये विरोध जरूर करेंगे, जैसे विरोध करना उन्होंने अपना जन्म सिद्ध अधिकार मान लिया हो । उनके इस फोबिया के लिये हम उनको क्षमा करते हैं । फिर भी मैं अपने साम्यवादी मित्र को और पी० एस० पी० वालों को यह जरूर कहूंगा अध्यक्ष महोदय, इनसे तो आप भी परेशान हैं जो कुछ कहने लग जाते हैं तो उसमें गाडी बेलगाम हो जाती है और माननीय सदस्य रोकने पर भी बोलते चले जाते हैं । इसमें सवाल इतना ही है कि जहां वे आत्मा से चाहते हुए भी प्रगट में कहना नहीं चाहते और हम जो चाहते हैं उसको कहने में शर्म अनुभव नहीं करते । आज जिस प्रकार की मंहगाई है उसमें जो विधायक ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उनको २५०) से ३००) रुपया कर देते हैं तो यह बहुत थोड़ा है । मैं तो यह मानता हूं कि अगर ४०० रुपया भी दिया जाय तो बहुत थोडा है । जो लोग यह कहते हैं कि हम २५०) रुपयों में ही काम करेंगे वे लोग ईमानदारी से काम नहीं कर सकते . . . .

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : तो २५० रुपये से कम में जो काम करते हैं क्या वे बेईमान होते हैं ।

श्री **मानसिंह महार** : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं, जो विधेयक यह समझते हैं, जिन लोगों को ईमानदारी से काम करना है उनके लिये ढाई सौ रुपया बहुत नाकाफी है, वह तनख्वाह जरूर बढनी चाहिये । हम इस तरह की लीपापोती नहीं रखते । मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ३००) रुपये होने के बाद ३००) रुपये ही ड्रॉ कर लेंगे । त्याग-मूर्ति वे बन सकते हैं ।

मैं मेरे साम्यवादी मित्रों से पी. एस. पी के मित्रों से हाथ जोडकर प्रार्थना करूंगा कि आप यह परम्परा डालें कि जिससे हमें भी शर्म

(श्री मानसिंह महार)

आवेगी कि एक साल तक, आइन्दा बजट सैशन तक, बढे हुए इमोल्यूमेन्ट्स न लें ।

और एक साल बाद हमें कहिये कि हमने तो एक साल तक बढे हुए इमोल्यूमेन्ट्स लिये नहीं और देख लो फिर भी इसी ईमानदारी से काम कर रहे हैं । तब फिर हम भी आपका अनुकरण करेंगे । हमें भी शर्म आवेगी । तब मैं उधर वालों से भी कहूंगा और इधर वालों से भी कहूंगा कि यह अच्छा नहीं लगता कि हम भी ज्यादा लें, २५०) ही लो। पर यहां तो मामला कुछ और है । कहने के लिये कह देते हैं पर करने के वक्त तीन सौ के तीन सौ ले लेंगे ; यह उचित नहीं है । मैं समझता हूं कि एक एक विधायक एक एक लाख जनता के प्रतिनिधि हैं । लाख लाख आदमियों ने आपको चुन कर भेजा है । अपने को सही बात कहनी और करनी चाहिये ।

मेरी निश्चित धारणा है कि ढाई सौ नाकाफी हैं पर क्योंकि लोग यह न कहें कि विधायक अपने लिये तो कुछ कर लेते इसलिये इस पचास की छोटी सी धन-राशि के लिये एग्री किया वरना मैं तो इससे भी एग्री नहीं करता, अब और सुविधाओं के बारे में भी है तो डाक बंगले फ्री करने की बात कही गई । उचित चीज है । हम जाते हैं कहीं पहले क्या चीज थी कि कॉन्स्टीट्यूएन्सी में डाक बंगला हो वह फ्री हो तो वह तो बेकार चीज है । जो विधायक जिस कॉन्स्टीट्यूएन्सी से चुन कर आता है वह उसको इतना तो सम्पर्क होता ही है कि जरूरत ही नहीं रहती डाक बंगले में ठहरने की, जाने-पहचाने और मित्रों के घर ही ठहर सकता है वहां तो । पर हम विधायक की हैसियत से कहीं दूसरे इलाके में जाते हैं कुछ तलाश करने, बातें देखने, वहां के हालात देखने, कहीं कोई अत्याचार या दमन तो नहीं होता तो आज अगर यह देखने कहीं जाते हैं तो बडी दिक्कत आती है । अब अगर डाक बंगले सब जगह के फ्री कर दिये तो यह कोई बडी बात माथुर साहब ने नहीं की । यह हमारे साथ कोई रियायत नहीं है । यह भी मामूली बात है । जिसके लिये आप कहते हैं कि जनता का शोषण, उसके दुख दर्द को सुनवाई होनी चाहिये, तो अब चूंकि आपने डाक बंगले सब जगह के खोल दिये हैं, फ्री कर दिये हैं तो विधायक सब जगह जाने लगेंगे और जनता के अधिक दुख-दर्द सुना करेंगे । यह तो सही बात है कि कांग्रेस वालों के लिये यह हैडेक होगा, वे हमें अधिक मौका देते हैं कि हम वहां जाकर उनकी कब्रें खोदें । मैं आप से निवेदन करूं यह सही बात है । फिर भी आपने इतना किया तो इसके लिये भी हम आपको धन्यवाद देते हैं ।

तीसरा सवाल रोडवेज वाला है । यह भी उचित है । भीलवाडा के कुछ मित्रों ने एक इन्क्वायरी के सिलसिले में एक एक आदमी के लिये पचास पचास रुपये किराये के रूप में खर्च कर दिये । एक विधायक ढाई सौ, तीन सौ तक कमाने वाला महीने में दो तीन जगह अगर इस तरह चला गया तो सौ, दो सौ रुपया उसका यों ही खर्च हो जावेगा । तो इसलिये इसके लिये रोडवेज फ्री होना भी वाजिब बात है ।

हमारी एक मांग और है । मैं निवेदन करूं कि वह यह थी कि अलाउन्स पन्द्रह की बजाय बीस कर दें । मालूम नहीं सरकार ने इसे क्यों नहीं माना ? वह भी उचित मांग थी २१) वाली । मैं समझता हूं सरकार को इसे मान लेना चाहिये । मेरी निश्चित धारणा है कि

(श्री मानसिंह महार)

सरकार को यह बिल एक अन्तिम निर्णय लेकर लाना चाहिये था, क्यों कि यह ऐसी चीज है कि बार बार बदली नहीं जाती और बार बार लाने से थोड़े लोगों को, विधायकों पर भी एस्पर्शन कास्ट करने का मौका मिलता है। इसलिये पांच साल में एक बार मौका आता है तो एक बार में जो करना है फाइनल कर देना चाहिये जो कुछ करना है। मुझे मालूम नहीं इसको इनकार्पोरेट क्यों नहीं किया। मैं सुझाव दूंगा सुझाव ही नहीं प्रार्थना करूंगा, कि २१) वाली बात को भी अमेन्डमेन्ट के रूप में ले आना चाहिये उनको।

इसके अलावा जो डाक बंगलों की बात तय की है उसके साथ सर्किट हाउस का भी कर देते तो ठीक रहता। मैंने सुना है इसमें खास दिक्कत है आपको। अगर वे दिक्कतें दूर हो सकें और सर्किट हाउस की बात भी मन्जूर कर लें तो अधिक उत्तम होगा।

कहा जाता है, अभी हमारे दो मित्र बोले, जिन्होंने इसका विरोध किया। वे विशेष सुविधा प्राप्त तबके के हैं। मैं आपसे कहूं उनको यहां एम. एल. ए. क्वार्टर मिले हुए हैं, नाम मात्र के किराये पर। उनको इससे पंचास, साठ रुपया माहवार फायदा है। मैं कहूं कि वैसे क्वार्टर आज जयपुर शहर में डेढ़, दो सौ रुपयों से कम में नहीं मिल सकते, तो इस तरह से वे यह फायदा भी उठाते हैं। त्याग और बलिदान करते हैं तो मेरी पार्टी है। केवल एक आदमी के पास क्वार्टर है। तो इसलिये अगर ये भी रोटेशन से मिला करें तो सबको लाभ मिल सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कौन हैं आपकी पार्टी के ? राजा मानसिंह।

श्री मानसिंह महार: पर यह क्या कह कर रोकते हैं कि हम तो लीडर हैं।

एम. एल. ए. क्वार्टरों के लिये यह होना चाहिये कि फेमिली वालों को ही अलॉट करना चाहिये। इसका हाउस कमेटी को ध्यान रखना चाहिये, तो इसलिये कहता हूं कि उन लोगों को भी प्रार्थना करूंगा कि फेमिली क्वार्टर्स उनके लिये हैं जो बेचारे अपनी फेमिलियों को रेवेन्यू बोर्ड में लाकर रखते हैं, कई मुसीबतें भोगते हैं तो उनको अलॉट होने चाहिये और जो लोग इस प्रकार त्याग, बलिदान की बात करते हैं उनसे हाउस कमेटी को खाली कराना चाहिये।

इसलिये मैं तो त्याग की बात कहता हूं, डेढ़ सौ का फायदा होता है। मैं घर के मकान में रहता हूं। थोड़ा सा फर्नीचर ले आया तो कहा गया कि एम. एल. ए. क्वार्टरों में जो लगता है किराया उससे दुगुना लगेगा। तो उनके साथ इसमें भी रियायत। तो इतनी ज्यादा रियायतें उनको मिल गई हैं, उनको पांच छः सौ माहवार मिलता है। इसलिये हाउस कमेटी के सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि उनके पांच छ सौ के फायदे को कुछ कम करें। यह जो सेन्ट्रेलाइजेशन हो रहा है कि कुछ ही लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं उनको रोका जावे, हाउस कमेटी इस पर निर्णय ले। तो दो तीन वर्षों से वे ही वहां रह रहे हैं तो दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिये। तो मैं कहूंगा कि मैं उनमें नहीं हूं। रेल्वे फ्रंट की बात कही थी। जो सुविधा बंगाल में मौजूद है उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और सरकार को बंगाल की तरह रेल्वे की सुविधा भी देनी चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

(श्री मानसिंह महार)

इसके अलावा, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेते हुए हमारे मन्त्री महोदय से यह बात जरूर कहूंगा कि आप किसी भावावेश में न बहें, मैं कहना चाहता हूं कि मुमकिन है कि कुछ लोग लेने को तो तैयार हैं पर सामने आकर कहने में शर्माते हैं और कुछ लोग लेंगे, बिना लिये नहीं रहेंगे, पर सदन में विरोध जरूर करेंगे अपने फोबिये को लेकर। मैं उनका विरोध करता हूं। मैं कहूंगा मन्त्री महोदय को कमजोरी इस बात में नहीं दिखानी चाहिये, एम्बेरेसिंग तो हम फील करेंगे, आप अपनी तन्ख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं जो आप एम्बेरेस फील करो। पर हमारी आत्मा मानती है इस बात को और आत्मा जो मानती है वही यहां रखते हैं। यह नहीं कि आत्मा में कुछ और बाहर कुछ और। इसको देखते हुए हमारे भाई रामानन्दजी और हमारे मुरलीधरजी व्यास दोनों को तीन सौ रुपया बढ़ाया जावे तो ये दोनों बढ़ी हुई सुविधाएं न लें। वे ऐसा ऐलान कर दें। मैं उनकी दाद दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टी पर खर्च करेंगे।

श्री मानसिंह महार : अब यह देख लीजिये, अब भी यह कहने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : कानून का पालन तो करना ही पड़ेगा।

श्री मानसिंह महार : ये रूस से आई हुई धनराशि में से और हड़प जाते हैं। पार्टी पर कितना क्या खर्च करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अमेरिका से पैसा नहीं मिलता तो हालत खराब हो जाती।

श्री मानसिंह महार : बड़ी खुशी की बात है। हम तो लेते हैं चन्दा जो हमें दे उस सबसे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चन्द्रमहल में षडयन्त्र जो आपने किया था रानी के आने के टाइम में वह अब खुलेगा।

श्री मानसिंह महार : हमारा षडयन्त्र तैयार है और जिस दिन हम कामयाब होंगे उस दिन आप लोग इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपको मैं यह कह दूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दावा तो आपका खत्म हो रहा है, बावजूद आपके प्रयत्नों के देश में कॉम्युनिज्म बढ़ता ही जा रहा है।

श्री मानसिंह महार : दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, भारत में तो खत्म हो रहा है। डांगे को बुरा कह रहे हैं आप, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, अलग स्प्लिटर ग्रुप बनाने की बात हो रही है। यह तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हो रही है। आप कुछ भी कहिये और अमेरिका से मदद मिलती है तो लेते हैं, सहर्ष लेते हैं पैसा जिस किसी जगह से आता होगा तो जरूर लेंगे। आप दुखी मत होइये। हम यह नहीं कि रूस से पैसा आवे और नट जावें, ऐसे नुगरे नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेते हो न फिर अमेरिका से पैसा आप लोग।

श्री मानसिंह महार : यह नहीं कहूंगा कि नहीं लेंगे, पार्टी में खर्च कर देंगे लेंगे तो, पर आपकी तरह नुगरे नहीं होंगे कि लेते भी जाओ और इन्कार भी कर दो।

हम अपनी तन्ख्वाह के बारे में ना नहीं देंगे अगर बढ़ाते हैं तो। पर साथ में यह भी

(श्री मानसिंह महार)
कहेंगे कि कम तनख्वाह वालों की तनख्वाह भी सरकार बढ़ावे ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कम तनख्वाह वालों की बात को कहने के लिये उनके लिये लड़ाई लडने में यह सब खर्च करेंगे ।

श्री **मानसिंह महार** : खर्च करने के बजाय आप हजार पांच सौ और उनसे ले लोगे । ये बातें मुझे मत कहिये । मैं सब जानता हूं आपकी बातें ।

श्री **अध्यक्ष** : यह तो ज्यादा जानते हैं ।

श्री **मानसिंह महार** : यही तो पैसा कमाने की तरकीब होती है । ट्रेड यूनियनें बनाई जाती हैं, उनसे चन्दा लिया जाता है, उनके चन्दे पर गुलछर्रे उडाते है ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इसीलिये आप नहीं आते ।

श्री **मानसिंह महार** : पैसा खाने की आदत हमारी नहीं है । ये चन्द शब्द कहते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, इसे जरूर पास करना चाहिये ।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अमेन्डमेन्ट बिल हमारे सामने है । अभी आपने रूस से आने वाले पैसे की बात और अमेरिका से आने वाले पैसे की बात भी सुनली और अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह की बातें करते हैं । जिन दो माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया या इसको जनमत के लिए प्रसारित करने को कहा में उनके इस प्रस्ताव का इसलिए विरोध करता हूं कि उनके इस प्रकार के कहने के पीछे कोई सिद्धान्त नहीं है । कॉम्युनिस्ट पार्टी के हमारे माननीय नेता ने इस बिल के ऊपर अपना प्रस्ताव रखते हुए यह सब मन्जूर किया है कि एम. एल. ए. को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें होनी चाहिए और जो सुविधायें दी गयी हैं उनके लिए भी कहा गया है कि यह भी बहुत कम है और यह सुविधायें और ज्यादा होनी चाहिए । उन्होंने सिर्फ इस बात का विरोध किया कि २५० रुपये से ३०० रुपया नहीं किया जाना चाहिए । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जो सुविधायें ली जाती हैं, चाहे वह ट्रेवलिंग की हों, चाहे जीप में बैठ कर फिरने की हो, उसमें क्या पैसा खर्च नहीं होता ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : उसमें मनोवृत्ति पैसा जेब में डाल कर इकट्ठा करने की नहीं है ।

श्री **चन्दनमल बैद** (उप-मंत्री, उद्योग) : सब बनिये नहीं होते ।

श्री **उमरावसिंह ढाबरिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम हाउस में अपनी कॉन्सटीट्यूएन्सी के लोगों को रिप्रेजेन्ट करने के लिए आये हैं उनकी डिफिकल्टीज़ को और उनके दुखों को यहां बताने आये हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं तो हमको लाजमी है कि हर महीने नहीं तो दो-तीन महीने में उनके एक एक के घर के अन्दर जायें और उनसे पूछें कि क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए । उसके लिए पैसा तो खर्च करना ही पड़ता है । कोई रामानन्दजी की तरह सब के पास पैट्रोल पम्प तो है नहीं और यह भी सुविधा नहीं है कि किसी भी बीकानेर के सेठ की मोटर मांग

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ली और अपनी कॉन्सटीट्युएन्सी में घूम आयें मैं आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हमारा सिद्धान्त है कि लोगों की सेवा हो, यहां सदन में जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं चन्द ऐसे आदमी होंगे जिन्होंने बैंकों की पास–बुक बनवा रखी होगी, बाकी कितने ही मेम्बर्स ऐसे हैं कि २५० रुपये सिर्फ लेते हैं और उनसे अपना काम चलाते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं। मेरी पोलिटिकल लाइफ एक दो दिन की नहीं है। २६ साल का मुझे एक्सपीरियेन्स है कि मैंने ३ दिन तक इसलिए रोटी नहीं खाई कि मेरे पास पैसे नहीं थे-वे दिन भी मैंने गुजारे हैं। आज २५०) रुपये यदि हमको दिये जाते हैं और १५) रुपये अलाउन्स के दिये जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा हिसाब एक एक पैसे का चैक करके देखा जाये। चैक इसलिए नहीं कि मैं बहुत खर्चीला हूं या कोई बहुत अच्छी पोशाक पहनता हूं। यहां मुरलीधर जी २५ रुपये की जाकेट पहनकर बैठे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कभी चाय का कप भी नहीं पिलाते होंगे। जो जनता के सच्चे सेवक हैं और जो इस बात की इच्छा रखते हैं कि मैं अपनी कान्सटीट्युएन्सी में जाऊं और ठहरने की सुविधायें मिलें तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका फर्ज है कि आपकी कान्सटीट्यु-एन्सी का कोई आदमी आता है उसकी भी आप उतनी ही आवभगत करें जितनी वह आपकी करते हैं। इसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के ऊपर जब कि हाउस में बिल लाया गया है एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार हाउस कमेटी में बहस की गयी।

राज्य के जितने भी विभागीय अध्यक्ष हैं उनके सामने चर्चा की गयी। मंत्री महोदय के सामने चर्चा की गयी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की गयी और जैसा कि हमारे कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा कि जीप चाहिए, मैंने भी इसका जिक्र किया था और इसलिए किया था कि जो आदमी नहीं चाहते यहां बैठकर काम करना, जैसे अभी भीलवाडा का काण्ड था उसमें १७० रुपये हमें गाडी का पे करना पडा था। तो आप ही सोचिये कि जिस आदमी को २५० रुपये मिलें और एक केस के पीछे गाड़ी का किराया १७० रुपये पे कर दे तो वह लायेगा कहां से? आखिर उनको मां-बाप और बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। जो लोग इसका विरोध करते हैं और जो इसको लेकर बैंकों में जमा करने की चेष्टा करते हैं या इस पैसे का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अगर वे इसका नजायज फायदा उठायें, वे विरोध करें लेकिन जो ईमानदारी से, नेकनीयत से अपनी कॉन्सटीट्युएन्सी के लोगों को सुविधायें देते हैं उनकी तकलीफों के बारे में आपको विचार करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इसमें दो राय नहीं हो सकती। आप एक तरफ कहते हैं कि हमको सुविधायें मिलनी चाहिए, रेल्वे की सुविधायें दी जायें। आपको ट्रान्सपोर्ट की सुविधायें दी हैं कि बसों में जा सकते हैं। लेकिन उदयपुर से ट्रान्सपोर्ट नहीं जाती भीलवाड़ा, और चित्तोड़ में ट्रान्सपोर्ट नहीं चलती। मुझे वह सुविधा कहां से मिलेगी। जहां ट्रान्सपोर्ट की सर्विसेज हैं वहां तो आपको इसकी सुविधायें मिल जायेंगी, लेकिन जहां नहीं हैं वहां पर क्या सुविधायें मिलेंगी? हमने यह तो नहीं कहा कि हमारे लिए स्पेशल गाड़ियां रख दो। मैं यह

(श्री उमराव सिंह ढाबरिया)

कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हमारे पास पूल में जीपें नहीं हैं। जहां पंचायत समितियों में दो या तीन जीपें थीं उनको भी एक पंचायत समिति के अन्दर एक एक जीप का प्रोवीजन किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय जानते होंगे कि जो एक पंचायत समिति के अन्दर जीप रहती है उसका उपयोग एम. एल. ए. नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वह जीप बी. डी. ओ. के अण्डर में रहती है और उन्होंने यह कहा था उस समय भी हाउस कमेटी में कि यह पोसिबिलिटी नहीं हो सकती कि हम ज्यादा से ज्यादा आदमियों को जीपों की सुविधायें दे सकें। इसलिए आप जो ट्रेवलिंग करना चाहते हैं यह ५० रुपये बढा दिये जाते हैं। आप उसका उपयोग उस तरह से कर सकते हैं। यह प्रावधान किया गया तो आपको जलन होने लग गयी।

आप सुविधायें क्यों चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो ५० रुपये से उन सहूलियतों को ले सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, और भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने कभी हिसाब उठाकर देखा है। जो आपको सुविधायें दी गयी हैं, मेडीकल की, कि जिस समय वे यहां आयें उनको मेडीकल की सुविधायें हैं। आपने कभी उठाकर देखा कि एक साल में कितना रुपया इसमें खर्च किया है। यहां बैठने वाले गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हैं कि सुविधाओं का नाजायज तौर पर लाभ ले लें। जहां प्रोवीजन लाखों और हजारों रुपये का था उसका हमने कोई मिस-यूज नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार जितना भी देती है अपनी जिम्मेदारी के साथ और योग्यता के साथ जब सरकार को हम कहते हैं कि फिजूलखर्ची नहीं होनी चाहिए इसलिए हमको जो पैसा दिया जाने वाला है उसको हम जिम्मेदारी के साथ खर्च करें और जो सुविधायें आप चाहते हैं यह भी आपको एक तरह की सुविधा ही दी जा रही है।

मैंने कहा था कि जो १५ रुपये अलाउन्स के हैं वे कम हैं और वह रकम १५) के स्थान पर २०) रुपया दी जानी चाहिए। वह २० रुपये एम.एल.ए. कोई अपने ऊपर खर्च नहीं करता है। हमारे यहां सदन के एक माननीय सदस्य रामकिशनजी हैं, सोशियलिस्ट पार्टी के, उन्होंने कहा कि लोग आये थे और १२।। रुपये की चाय पीली। तो क्या रामकिशन जी अकेले इतने की चाय पी गये? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह प्लेटफॉर्म आपके राजनैतिक प्रचार का नहीं हो सकता। यहां बैठ कर सही और सच्चे दिमाग से सोचने की और समझने की बात है। क्यों कि यह बहुत निम्नस्तर की बात है। अगर इस तरह से राजनैतिक फायदा उठायें तो इसके आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह और कहना चाहता हूं कि जो कुछ इसमें कमियां हैं, रेल्वे की फेसिलिटी दी जानी चाहिए। जहां रोडवेज नहीं हैं वहां रेल्वे की सुविधा होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने क्षेत्र की बातों को सुन सकें। इसलिए रेल्वे की जो फेसेलिटी नहीं रखी है वह इसमें बढ़ जानी चाहिए। यह १५) रुपये का २०) रुपये करने की बात है वह भी इसमें जरूर आनी चाहिए।

मैंने जो इसमें एक अमेंडमेंट दिया था पता नहीं वह कहां रह गया? आया नहीं वर्ना मैंने स्पष्ट लिखा था उसमें कि यह सारा बिल लिया जा रहा है इसके अन्दर एक तरमीम

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कर दी जाय कि ये जो सुविधायें प्रोवाइड की जा रही हैं उनको जो माननीय सदस्य लेना चाहते हैं वे ले लें और जो नहीं लेना चाहते हैं उनको नहीं लेना चाहिये । इस तरह का एमेंडमेंट मैंने दिया था, पर पता नहीं कि वह क्यों नहीं आया, फिर मालूम हो जाता कि वह कहां है ?

हमारे हांडा साहब हिन्दुस्तान टाइम्स की बात बता रहे थे कि जब पार्लियामेंट के अन्दर इस तरह की बहस हुई वहां का एक इन्स्टान्स निकाल कर आपने बताया था कि बहुत अच्छा है कि भगवान ने हमको माइनोरिटी में रखा, क्योंकि मेजोरिटी अगर प्रस्ताव रखती है तो माइनोरिटी को फायदा होने वाला है । इसके अन्दर "मन में भावे और मूण्ड हिलावें" इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये । सिद्धान्त की बात है उसी को रखें और हिम्मत के साथ रखें कि हमको जरूरत नहीं है । लोग अगर पूछते हैं तो कहने की हिम्मत होनी चाहिये कि हमने ये सुविधायें इसलिये प्राप्त की हैं । मैं इसका समर्थन करता हूं और जो कुछ भी रखा गया है और माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह एक-दो के कहने से घबराने की बात नहीं है ।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : अध्यक्ष महोदय ....

श्री **अध्यक्ष** : जो विभिन्न पार्टियों के सदस्य हैं वे एक-एक बोल लें तो मेरे ख्याल से काफी होगा ।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : जिन्होंने इसका विरोध किया था उनके सुझाव मन्त्रीजी को मालूम हुए थे । उस वक्त सब सहमत हुए थे कि माननीय सदस्यों के लिये सुविधाएं बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए, बल्कि यह सुझाव था कि जो कुछ करना हो वह एक बार से होना चाहिए । बार बार में ऐसे बिल लाने की आवश्यकता नहीं है । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि जो मन की बात है यह सदन में आनी चाहिए । प्रोपेगण्डा पर्पजेज के लिए कुछ कहें और चाहतें कुछ और हों, तो यह बात उचित नहीं है । तो मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सबकी भावना यह है कि यह बिल स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री **मुकुटबिहारील गोयलला** (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट ।

श्री **अध्यक्ष** : (माननीय विधि मन्त्री से) आप उत्तर दे दें ।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : माननीय अध्यक्ष....

श्री **मथुरादास माथुर** : आपकी पार्टी की ओर से बोल लिया गया है ।

श्री **अध्यक्ष** : बहुत जोरदार शब्दों में बोलें हैं ।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल**: मैं नम्रता के साथ ...

श्री **अध्यक्ष** : आपको इजाजत नहीं मिलती है नम्रता के साथ ।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल**: दो मिनट के लिये ।

श्री **मथुरादास माथुर** (विधि मंत्री): माननीय अध्यक्ष, जहां तक इस बिल को जनमत के लिये भेजने का प्रस्ताव है.....

श्री **उपरावसिंह डाबरिया** : यह सब विदड्रॉ कर रहे हैं ।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): नहीं, सब है ।

श्री **मथुरादास माथुर** : सदन के अन्दर जो माननीय सदस्यों ने बहस के अन्दर हिस्सा लिया है और उस बहस के अन्दर स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से, इन्डिपेन्डेन्ट दल की तरफ से, कॉम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और हमारी सोशियलिस्ट पार्टी और पी. एस. पी. की मिली जुली पार्टी की तरफ से जो विचार रखे गये हैं, हमने सुने । जनसंघ के साथियों ने जान-बूझ कर मौन रखना उचित समझा है ।

श्री **सतीशचन्द अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं बोलना चाहता था ।

श्री **मथुरादास माथुर** : मगर उनकी मौन से मैं समझता हूं कि और सारी चीजों में silence is half consent मगर सियासत में साइलेंन्स फुल कन्सेन्ट समझी जाती है ।

तो उनकी भी कन्सेंट इसमें नजर आती है और अगर नजर नहीं आती है तो मेरे ख्याल से कोई भाई उठ कर जो बात मैं कह रहा हूं उसको कन्ट्राडिक्ट कर दें ।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : अच्छा हो मैं समझता हूं कि इस मामले में थोडा स्पष्टीकरण आवश्यक हो गया है । मैं यह समझ रहा हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने इशारा किया था तो बोल कर कन्सेन्ट है क्या है यह मैं बताना चाहता हूं ।

श्री **अध्यक्ष महोदय** ....

श्री **राधाकृष्ण गोयल** : On a point of Order, Sir, जब मंत्री महोदय ने जवाब आरम्भ कर दिया तो उसके बीच में बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिये ।

श्री **मुकुटबिहारीलाल गोयल** : मंत्री महोदय की आज्ञा से बोला जा रहा है तो मुझे भी समय दिया जाय ।

श्री **दुर्गालाल बाडवार** (हवामहल, जयपुर) : मंत्री महोदय की आज्ञा मान्य नहीं रखी जा सकती है, अध्यक्ष ही आज्ञा दे सकते हैं ।

श्री **अध्यक्ष** : (श्री मथुरादास माथुर से)

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री **मथुरादास माथुर** : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न ऐसा है कि जो माननीय सदस्यों से संबंध रखता है । हाउस कमेटी के माननीय सदस्यों ने इस पर निर्णय लिया है उसके बाद में जैसा कि अभी सदन में बताया गया कि सरकार के सामने यह बात रखी गई । माननीय सदस्यों का आग्रह यदि सरकार नहीं माने तो यह जरा कठिन होता है । हम इस बात को महसूस करते हैं कि जो कुछ भी भत्ता दिया जाता है वह काफी नहीं है । इसमें दो राय नहीं हैं कि मंहगाई को देखते हुए और जो मांग रखी है उन हालात को देखते हुए, राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए दुसरे प्रान्तों में जो कुछ भत्ता या फेसिलिटीज मिलती हैं उन सब को मद्देनजर रखते हुए एक चार्ट बनाकर एग्जामिन किया और उसके बाद में यह बिल प्रस्तुत किया गया है । और इस बात

(श्री मथुरादास माथुर)

पर माननीय सदस्यों की तरफ से यह था कि इस बिल को सदन के अन्दर चर्चा नहीं की जायगी और न इसका विरोध किया जायगा, इस तरह की बात आपस में हो गई थी, चाहे कुछ डिसेन्ट नोट लगे हों, चाहे कुछ बात कही हों। इसके बाद में हमने कहा था कि यह बाद में रखेंगे, क्योंकि हम यह इन्फरेन्स नहीं देना चाहते हैं कि मेजोरिटी पार्टी हमारी है, और मेजोरिटी पार्टी होने की वजह से . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप रोंग स्टेटमेंट कर रहे हैं। ऐसा कहीं कमिटमेंट नहीं किया गया है। नोट ऑफ डिसेन्ट दिया गया है वह सही दिया है। पार्टी के प्रिन्सिपल्स के मुताबिक दिया है . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): But the Hon. Minister is making a wrong insinuation.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is a wrong statement. This is quite absurd.

श्री मथुरादास माथुर : I am telling about the proceedings of the House Committee. You told the Chairman of the House Committee that you will not speak...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This is wrong and absurd. I have never said so.

श्री राधाकृष्ण गोयल : कमेटी में नहीं कहा था, लेकिन इच्छा जरूर व्यक्त की थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : We never confuse our principles and we stick to our principles.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, अगर आपने नहीं कहा तो मैं उस बहस में नहीं पड़ता हूं। जो आप लोगों की पार्टी के सिद्धान्त हैं, आप जो कुछ भी कहें, क्यों कि एमर्जेन्सी की बात यहां पर कह गई और एमर्जेन्सी के लिये हमने कट करवाया है ५ परसेन्ट का और एमर्जेन्सी के नाम पर आज यह कहते हैं और दूसरे देशों ने दिया है इसलिये कहना पड़ता है, वर्ना कोई बात नहीं, अलग अलग सामाजिक परिस्थितियां हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम किसी को दोष नहीं देते हैं। हमने अपना इन्टेन्शन प्रकट किया है। आप इस बात से इत्तिफाक रखें या न रखें।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय हांडा में दूसरों को सुनने की क्षमता नहीं है। खुद कुछ भी कह देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्षमता मेरे में अपनी ही है जितनी कि आप में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : But you are putting things which are not facts.

श्री मथुरादास माथुर : ५ परसेन्ट जो कट करवाया था वह माननीय हाण्डा और रामानन्दजी ने विद्ड्रा कर लिया एमर्जेन्सी का।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : That is also absurd. मैंने २० परसेन्ट कट करवाया है जब कि दूसरों ने ५ परसेन्ट दिया है और कन्टीन्युअसली दिया है और सबसे आखिर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में विद्ड्रा किया है। जब कि सदन के माननीय सदस्यों ने ५ परसेन्ट दिया है मैंने २० परसैन्ट दिया है; I have given twenty percent. और सब के बाद में विद्ड्रा किया है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इसमें करेक्शन करना है। माननीय सदस्य कह रहे हैं वह रोंग है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने २० परसेन्ट दिया है जब कि सबने ५ परसेन्ट दिया है।

श्री मथुरादास माथुर : विद्ड्रा क्यों कर लिया ?

श्री भैरोंसिंह : मुझे निवेदन करना है कि माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सब के बाद में विद्ड्रा किया है। वह स्टेटमेंट उनका रोंग है। हमने विद्ड्रा नहीं किया है। हम आज भी साढे बारह परसेन्ट कटवा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं पडना चाहता था, क्योंकि यह बिल लाया गया है और जिन सदस्यों ने इसको सपोर्ट किया है और यह कहा गया कि एमर्जेन्सी के नाम पर नहीं लेना चाहते हैं, सरकार पर मोटिव लगाया गया इसलिये यह जवाब देना है कि वह एमर्जेन्सी तो खत्म हो गई तभी जब कि आप ने ५ परसेन्ट कटवाना बंद कर दिया। मेरा मतलब कहने का यह है कि एमर्जेन्सी कैसी है, कैसी नहीं है यह सभी समझते हैं। मुझे जवाब नहीं देना है। मेरी पार्टी की तरफ से जो रुख है वह साफ है इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने रखा जाय या यहां पास कर दिया जाय, हमारी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी और न किसी का समर्थन करेगी। जो सर्व मान्य हो वही हम मंजूर कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव (आफिसर्स एंड मेम्बर्स इमोल्यु-मेन्ट्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को जन मत हेतु प्रसारित किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी में ऐसा कहीं नहीं होता कि गवर्नमेन्ट जिस बिल को मूव करे उसके बारे में यह मेन्डेट जारी करे कि उनकी पार्टी की तरफ से मतदान में हिस्सा नहीं लिया जाय। यह मेन्डेट यहां जारी किया है। यह कहीं नहीं हुआ है। यह बिल तो पास होगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आपका एटिट्यूड ऐसी स्टेज पर उचित नहीं है। जो चीज सत्य है, सही है, जिसके बारे में आप समझते हैं कि मेजोरिटी का समर्थन उसको प्राप्त है। केवल दो आदमी जिनको मीनिया और फोबिया हो गया है इस बात का कि अखबारों में तो आ ही जायगा कि हम विरोध कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी शायद सोच रहे हैं कि अखबारों में तो आ ही जायगी कि कांग्रेस पार्टी वाले वेतन बढाने के पक्ष में नहीं हैं, यह तो मीनिया और फोबिया आपको भी हो रहा है माथुर सहाब यह गलत है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल लाई है वह हाउस के अन्य सदस्यों को कंसल्ट करके लाई है और यह जरूरी समझा गया है कि आज एम. एल. एज का स्टेन्डर्ड बढाया जाय। आज रूस में भी ख्रुश्चेव और दूसरे लोग जो रूल करते हैं उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग और मजदूर

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)

जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग एक सा नहीं है। यहां भी जो लोग झोंपडियों में रहते हैं या फुटपाथ पर पडे हैं और आप बडे बडे बंगलों में रहते है उनमें और आप में फर्क है। स्टन्ट के लिये तो यह ठीक है, पोलिटिक्स के लिये ठीक है। दूसरे आदमियों में प्रचार, प्रसार के लिये कह दें, उसकी आपको कोई चिन्ता नहीं होनी चाहिये। रामानन्द जी ढाई हजार रुपये पाने वाले चीफ सेक्रेटरी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो उनकी तनख्वाह तीन सौ नहीं, तीन हजार होनी चाहिये। एम. पीज. को ४००रु० मिले हैं, विधान सभा के सदस्यों को २५०) रु० मिलते हैं, म्युनिसिपेलिटीज के और पंचायतों के चुने हुए मेम्बर्स को क्यों नहीं मिलती, वे भी इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं। सवाल इस बात का है कि एम. एल. एज को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देनी चाहियें। राजस्थान में करोडों रुपयों का दुरुपयोग होता है, हम १ मिनिट में बाई स्ट्रोक ऑफ पेन इस दुरुपयोग को रोक सकते हैं और हमारी ५ साल की तनख्वाह १ मिनिट में वसूल हो सकती है। इसलिये २५०) रु० की कोई बात नहीं है। मिनिस्टर्स बाकी धंधा नहीं कर सकते इसलिये उनको १०००) रु० मिलते हैं। एम. एल. एज. के लिये भी यही कर दीजिये रात दिन इसी में जुटे रहेंगे। आज भी हम इतनी मेहनत करते हैं, आपको नये नये सुझाव देते हैं, आपकी गलतियें बताते हैं। डांगीजी १२५) रु० के एल. डी. सी. थे आज हजार रुपये पाने वाले मंत्री बन गये। हम उनसे ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा समझ रखते हैं, उनसे ज्यादा अक्ल रखते हैं। आधे मंत्री हाउस में बैठते हैं, कई कहीं घूमते हैं, कई इस्तीफा देने की धमकी देते हैं और फिर भी तनख्वाह हजार रुपये लेते हैं, मोटर गाडी अलग, रेफ्रिजिरेटर अलग, बंगले, चपरासी वगैरा की सब सुविधा और अक्ल धेले की नहीं। हम रात दिन कान्टेक्ट करते हैं, कन्सट्रेक्टिव सजेशन्स रोज देते हैं, रात-दिन किताबों से माथा-फोडी करते हैं, स्पीचेज देते हैं, अध्यक्ष को हाजरी देते हैं, सेक्रेटरी को हाजरी देते हैं, देर तक हाउस में बैठते हैं, कांग्रेस वाले तो कोरम भी पूरा नहीं रखते, हमें आपको ज्यादा देना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मेरी दलील का समर्थन किया है आपने। जो कुछ नहीं करते हैं उनको भी देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं समझता हूं रामानन्द जी रोडवेज की फेसिलिटीज के बाद भी ट्रेवलिंग की फेसिलिटीज आपको मिलेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप यह कहते हैं कि जो मेम्बर काम करना चाहते हैं उनको ज्यादा सुविधा मिलनी चाहिये और जो लोग खाली बैठे रहते हैं और जिनके बैंक बैलेन्स बढाने की गिनती रखने का ही ख्याल रहता है उनको कम मिले, आप इस तरह का सिस्टम अपनाना चाहते हैं। हम भी यह चाहते हैं कि जो जनता में ज्यादा से ज्यादा जायं, उनको सुविधा और ज्यादा मिल जाय, ५०) से भी ज्यादा सुविधा मिल जाय और जो कुछ नहीं करते हैं उनको सुविधा कम मिले, That was a proper thing.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसका मतलब यह कि जो ज्यादा काम करते हैं उनको ज्यादा मिले।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सुविधा ज्यादा मिले, नोट कैश। आप ट्रैवलिंग की सुविधा ज्यादा दिलवाइये जैसा कलकत्ता वाले दिलवा रहे हैं, बॉम्बे वाले दिलवा रहे हैं, कुछ माइलेज आप हम को दिलवाइये।

श्री मथुरादास माथुर : ये कैश में नहीं काइन्ड में चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत बडा तर्क इस हाउस में यह दिया गया कि मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढती है और एम. एल. एज की बढ रही है। रामानन्दजी और हांडा साहब, किसी गांव में एक छिनाल रहती थी और उसके यहां एक महात्माजी आटा मांगने आया करते थे और वह छिनाल उन महात्मा जी को आटे के बदले गालियां देती थी। लेकिन महात्माजी उसकी परवाह नहीं करते थे और रोज मांगने आते थे····

श्री रामानन्द अग्रवाल: If the debate is open, we will also like to speak. If those who have not moved amendments, are allowed, then other members should also be allowed.

श्री अध्यक्ष : आपको क्या आपत्ति है ? आप भी बहुत बोले हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि छिनाल की तुलना आपसे नहीं करूंगा।

मैं कह रहा था महात्मा रोज की तरह मांगने आये, उस समय वह छिनाल राख से बर्तन मांज रही थी, उसने राख की ढेरी उठाकर महात्मा की झोली में डालदी। तब महात्माजी बोले कि माई तेरा भला हो। तब वह छिनाल महात्माजी से बोली कि मैंने तेरी झोली में राख डाल कर तेरा आटा खराब कर दिया, फिर भी तुम मुझे कहते हो कि माई तेरा भला हो। तब महात्मा ने उससे कहा कि रोज तू मुझे गालियां देती थी, आज राख दी है तो कल आटा भी देगी। इसलिये मैं कहता हूं कि आज आपकी तनख्वाह बढाई है तो कल मज़दूरों की भी बढायेंगे।····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने तो शीर्षासन शुरू कर दिया। हम तो कहते हैं, पहले मजदूरों की बढाओ, फिर हमारी बढाना।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : कॉम्युनिस्ट थर्ड क्लॉस में ट्रैवल करते हैं और फर्स्ट के पैसे उठाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Do the Hon. Members of the Treasury Benches accept the pro position which the Hon. Member has suggestd.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय हांडाजी कहते हैं कि पहले मजदूरों की तनख्वाह बढाओ। हम रोज मांगा करते हैं कि मजदूरों के लिये मकान बनाओ, वे बेचारे फुट पाथ पर पडे रहते हैं या झोपडियों में रहते हैं। क्या आपने कभी यह भी कहा है कि हम एम. एल. ए. क्वार्टर में नहीं रहेंगे जब तक मजदूरों के लिये क्वार्टर नहीं बन जायेंगे ? तर्क और दिखावे के लिये तो हम सब कुछ मांग कर सकते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ और है। केरल में आपकी मिनिस्ट्री बनी तब क्या किया ? तनख्वाह तो घटादी लेकिन भत्ते के रूप में ५ हजार रुपये वसूल करते थे····

श्री रामानन्द अग्रवाल : तनख्वाह उन्होंने ३५०) रु० ली है ।

श्री अध्यक्ष : आंकडे किसी के पास नहीं हैं फिर भी बहस हो रही है ।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : पिछली बार मुरलीधरजी ने एक बात कह दी २००) रु० से २५०) रु० हुए तब गवर्नर से सेंक्शन नहीं ली । लेकिन अब की बार एक शब्द भी नहीं बोले मुरलीधरजी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं उस वक्त हाजिर भी नहीं था । कम से कम सही बात तो कहें ।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इनका खर्चा क्या है ? पहले ६०) रु० किराया था उसके ६०) रु० हुए फिर ४५) रु० हुए और अब २५) रु० हो गये । गवर्नमेन्ट ने कहा कि सबको लान लगाना पडेगा और उसके लिये १५) रु० माहवार और देने पडेंगे । सब ने लॉन लगाई, लेकिन बी. १० में लॉन नहीं लगाई और १५) रु० बचा लिये । हम २५) रु० किराये के देते हैं, १५) रु० लॉन के देते हैं, ३०) रु० टेलीफोन के देते हैं कुल हुए ७०) रु० और ये २५) रु० देते हैं और २५) रु० देकर भी दो जने रहते हैं और एक एक को साढा बारह रुपये देने पडते हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे बीकानेर के जामसर के मजदूरों के पीछे जूते चटकाते फिरते हैं । सतीशचन्द्रजी अग्रवाल, एडवोकेट की तरह से नाम का पटा लगाकर थोडे ही वहां पर प्रेक्टिस करते हैं ?

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : आप महरबानी करके इस तरह से उनके प्रति एस्पर्शन तो कास्ट न करें कि जूते चटकाते फिरते हैं मैंने कभी एस्पर्शन नहीं किया, आप प्रोसीडिंग्ज उठा कर देख लीजिये । वकालत करना मेरा धन्धा है । आप तो जामसर में जूतियां चटकाते फिरते हैं । मैंने पट्टा लगा रखा है तो मैं इन्कम टैक्स भी देता हूं । सात साल से दो ढाई सौ इन्कम टैक्स देता हूं । आप कितना टैक्स देते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चेलेंज करके कह देता हूं मैं जितना एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स देता हूं, सच मानें आपका दिया कुछ भी नहीं है । मैं ४० हजार का मखरूज हूं । सतीशचन्द्र जी, मैं चेलेंज करके कहता हूं कि आप फाइनेन्शियल पोजीशन चैक करवा लीजिये, एक पैसा भी हिसाब में गडबड नहीं किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, ४० हजार के मखरूज हैं तब भी कॉम्युनिस्ट हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कुछ परम्परायें होती हैं । मैं कॉम्युनिस्ट हूं तो आप एडवोकेट हैं । आपकी वकालत क्या है, क्या धंधा होता है, आप मुझसे मत कहलवाइये । मैं जानकारी पेश करूं · · ·

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन उसकी जरूरत नहीं है । आप मंजूर करेंगे जो मैं कहूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप खुली छुट्टी देना चाहें तो चलने दीजिये, घंटे भर

श्री रामानन्द अग्रवाल

चलने दीजिये, ऐसी छोटी छोटी चीजें हों और हम भी दो-चार पॉइन्ट्स दें ।

श्री अध्यक्ष : अब काफी हो गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : If you are interested in all these things, then let it............

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन के समक्ष····

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : पहले वे व्हिप वापिस ले लें ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : व्हिप कोई था नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर : व्हिप का कोई प्रश्न नहीं । हर माननीय सदस्य ने अपनी पार्टी का स्टेन्ड रखा है, इसलिये मैंने मेरी पार्टी का स्टेन्ड रखा था । सारी चर्चा सुनने के बाद मुझे मेरी पार्टी के स्टेन्ड में कोई रद्दोबदल करने की गुंजाइश नजर नहीं आती ।

श्री विजयसिंह झाला : दिमाग पर असर पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (ऑफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

श्री रामकिशन (वैर) : ठीक है । अगर मिलेंगे तो हम मना नहीं करेंगे और पास होने देंगे नहीं ।

श्री अध्यक्ष : शुरू में कह देते तो इतनी बहस नहीं होती ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड २ व ३ विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड २ व ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : After clause 3, insert the following new clause, namely:—

"3A. Insertion of new section 8A in Rajasthan Act 6 of 1957. After Section 8 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

" 8A. Free transit by road transport service—

(श्री मथुरादास माथुर)

Every member shall be provided with one free non-transferable pass which would entitle him to travel at any time in any part of the State by such road transport service in such class of accommodation and subject to such conditions as may be prescribed :

Provided that nothing contained in this section shall be construed as disentitling a member to any travelling allowances to which he is otherwise entitled under the provisions of this Act."

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : इसमें थोडा अर्ज करना है, डेस्टीनेशन यानी दिल्ली तक जाते हैं, अपनी रोडवेज दिल्ली जाती है तो हमारे पार्ट ग्रॉफ स्टेट की बंदिश है, तो यह सुविधा जो स्टेट की बाउन्डरी तक है वह डेस्टीनेशन तक होनी चाहिये।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह है कि in the State फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। मध्य भारत और पडौसी प्रान्तों में रोडवेज आती हैं, जैसे इन्दौर से कोटा आती है। इन्दौर से लेकर आगरा होती हुई दिल्ली जाती है। मध्य भारत की रोडवेज की गाडियों में वहां के विधायकों को सुविधा है कि वे इसमें फ्री सफर करेंगे। मेरा नम्र निवेदन है कि जैसे कोई आदमी भरतपुर से आगरा आ रहा है और आगरा जाने के लिये राजस्थान की टेरीटरी को पार करना पडता है, तो राजस्थान की सीमा तक फ्री हो गये और जैसे ही सीमा का खम्भा आया कि किराया ले लिया। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय विचार करें और जैसा दूसरी जगह, यू. पी. वगैरह में, किया है, उसी तरह से इसको भी एक्सटेन्ड करेंगे।

श्री दुर्गालाल बाडसार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह था कि जो फैसिलिटी और एमिनिटीज इस अमेंडमेंट के द्वारा राज्य सरकार देना चाहती है उससे विशेष रूप से इन्कन्वीनियेन्स क्रियेट हो सकती है। मैं ऐसा समझता हूं कि राज्य सरकार की बसेंज चलती हैं, जिन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, उन बसेज में फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। मसलन आपकी रोडवेज है, जो यहां से दिल्ली जाती है और दिल्ली से आती हैं, वहां फ्री फैसिलिटी दे सकते हैं। दूसरे राज्य की बसेज में फैसिलिटी दिलाने के लिये मैं मानने को तैयार हूं दूसरे राज्यों की सरकारों से लिखा-पढी करनी पडेगी और इस प्रकार की सुविधायें दिलाने में राज्य सरकार को कठिनाइयां हो सकती हैं और सम्भवत: राज्य सरकार इस पोजीशन में नहीं हो सकती कि इस प्रकार की फैसिलिटी या एमिनिटीज दिला सके। ऐसी अवस्था में भी जो एमिनिटीज, फैसिलिटी राज्य सरकार यहां दे सकती है उनको दूसरे राज्यों में दिलाने म डिफीकल्टी हो सकती है, लेकिन उनको वह कन्सीडर कर सकती है। इसमें कोई एडामनिस्ट्रेटिव या फाइनेन्शियल डिफीकल्टी आने वाली नहीं और जिस भावना के साथ यह प्रावधान जोडना चाहती है उसी भावना को सही रूप से क्रियान्वित करने के दृष्टिकोण से राज्य

(श्री दुर्गालाल बाडदार)

सरकार विचार करे और जहां आपकी रोडवेज चलती हैं, बसेज चलती हैं, उनमें सारी फैसिलिटी प्रदान करा सकते हैं। वरना यह पोजीशन होगी कि एक आदमी दिल्ली के लिये यहां से बैठता है, रवाना होता है, तो जहां राजस्थान की सीमा खत्म हो वहां पर अलाऊ करने का प्रश्न आयेगा तो उसमें थोडी हील-हुज्जत होगी। इसलिये इन दिक्कतों को दूर करने के दृष्टिकोण से और सही मायने में एमिनिटी और फैसिलिटी प्रोवाइड करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार को री-कन्सीडर करना चाहिये। राजस्थान की सीमा के बाहर भी फैसिलिटी प्रदान करा सकें तो यह श्रेयकर होगा। इसलिये वह सुझाव मान लेना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और एड कर दूं, यू. पी. में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास की सुविधा दी हुई है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी तरमीम के ऊपर जो सुझाव रखा गया है, मुझे खेद है कि मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता उसकी दो वजह हैं। एक दलील यह दी गई कि राजस्थान की स्टेट की जो रोडवेज हैं वह जहां जाती हैं वहां पर हमको जाने देना चाहिये। राजस्थान के अन्दर सुविधा देने का बेसिक आइडिया यह है कि हम अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के अन्दर, अपनी स्टेट के अन्दर, जहां कहीं कोई कमी नजर आये, जाने की हमें फैसिलिटी मिलनी चाहिये। किन्तु राजस्थान स्टेट के बाहर इस सदन का दायरा नहीं रहता है, इसलिये बाहर जाने की फैसिलिटी मांगना उचित नहीं है।

दूसरी बात मुझे निवेदन करनी है कि अभी स्टेट रोडवेज हमारा डिपार्टमेंट है। कल यह कोर्पोरेशन हो जायगा, जैसा कि हमने अनाउन्स कर दिया है, तो कोर्पोरेशन होने के बाद यह कॉमर्शियल बॉडी बन जायगी। उसके बाद उनके बिल्स आयेंगे, उनका हमको पेमेन्ट करना पडेगा और उस खर्च को बजट के अन्दर इन्क्लूड करना पडेगा। इसलिये राजस्थान के अन्दर हम जितना खर्च करेंगे, वह जायज है और उसको करने के लिये वह असेम्बली कॉम्पीटेन्ट है और सरकार के हाथ में डिपार्टमेंट भी कॉम्पीटेन्ट है।

तीसरी बात यह कही गई है, दूसरी स्टेट की रोडवेज यहां चलती हैं उनके लिए सोचा नहीं जा सकता है।

इसलिये जो इसमें अमेंडमेंट रखा है, उसे इन सारी बातों को देखते हुए रखा है और उसे स्वीकार करें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): मैं यह जानना चाहता हूं, जहां राजस्थान की रोडवेज नहीं चलती हैं वहां क्या होगा?

श्री मथुरादास माथुर: जहां रोडवेज चलती हैं गवर्नमेंट की, उनके लिये तो कोर्पोरेशन हो जायगा, उनको पेमेन्ट कर देंगे। लेकिन यह प्राइवेट बसेज के लिये लागू नहीं होता है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (रायसिहनगर): डीजल बसेज का उसमें रेफरेन्स होना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से धौलपुर के लिये जो बस

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

जाती हैं वहां से नौ-दस मील चलने के बाद आगरा की साइड में यू. पी. की टेरीटरी आ जाती है। उसके बाद फिर राजस्थान की टेरीटरी आ जाती है। फिर यू. पी. का गलियारा पार करना पडता है, जो जगमाल का इलाका है। फिर राजस्थान की टेरीटरी आ जाती है। इसका किस तरह से करेंगे ? और सौभाग्य या दुर्भाग्य से किसी आदमी की कॉन्स्टीट्यूएन्सी हो सकती है; जैसी मेरी विशेष तौर से है। अपने क्षेत्र में जाने के लिये इतना रास्ता तय करना पडेगा। इसके लिये क्या सुझाव है····

श्री मथुरादास माथुर We are constructing a direct route from Bharatpur to Dholpur and there will be a direct route.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, जयपुर से दिल्ली जाते हैं। एक बस गंगानगर से फिरोजपुर जाती है तो क्या फिरोजपुर की वाउन्डरी खत्म हो गई उसके बाद एम. एल. ए. को रुपया देना होगा।

श्री मथुरादास माथुर: एम. एल. ए. हो, चाहे मिनिस्टर हो उसको रुपया देना होगा। You are entitled to T. A. if you are going on duty. अगर ड्यूटी पर जा रहे हैं तो उनको पैसा वापिस मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि नया क्लॉज ३ ए. विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ ए. विधेयक में अंग रूप से जोडा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड ४ व ५. विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खण्ड ४ और ५ विधेयक में अंग रूप से जोडे गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक में अंग रूप से जोडे गये।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ऑफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान मौन-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान फिशरीज एमेन्डमेंट बिल, १९६४।

Page No. 94

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान फिशरीज (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

(इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:--

श्री ओंकारसिंह चौहान (गिरवा) :

"राजस्थान मीन क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के अन्दर जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।"

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली)
श्री रामकिशन (वैर)
श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)
श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर)
श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा)
श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)

राजस्थान मीन-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन (क्रमशः) सात दिन के भीतर भीतर।दो माह में।एक सप्ताह के अन्दर अन्दर।एक सप्ताह में दो दिन में।दो माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी) ।")

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्री ओंकारसिंह चौहान (गिरवा) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान फिशरीज (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे जिससे कि उसकी रिपोर्ट आ सके और हमारे हाउस के सामने, प्रस्तुत हो सके । आज हमारे राजस्थान में जितने भी बड़े बड़े तालाब हैं वहां पर मछलियों के लाइसेंस दिये जाते हैं, ठेके होते हैं । इसके लिये मैं यह कहूंगा कि किन किन तालाबों के ठेके होने चाहिये जिससे हमारे राज्य सरकार को लाभ हो सकता हो । यह ठीक है कि लाइसेन्स लिया जाना चाहिये, मगर सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा कि किन किन के ठेके होने चाहिये । जल्दी जल्दी में कानून पास करना चाहते हैं । अभी जो एमेंडमेंट आया है उसमें सरकार ने डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के स्थान पर ऐसा अधिकारी या सत्ताधारी जिसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया जाय, इसके लिये पास करने जा रहे हैं । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि तालाबों में जितनी मछलियें हैं उनका उपयोग ठीक नहीं हो रहा है । मैं उदयपुर जिले की बात कहना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में जयसमन्द झील सबसे बडी झील है और उसमें लाखों टन मछलियां पैदा होती हैं और निकाली जाती हैं । आज आप देखें कि वहां की क्या हालत है ? वहां के ठेकेदार स्टेट के समय से हैं . . .

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : This is a formal Bill. यह तो एक मामूली फॉर्मल बिल है । मछलियां पकडी जाती हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चार को हटा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कर ऐसे अधिकारी को रखना चाहते हैं जिसे राज्य सरकार चाहे ।

श्री जोधसिंह चौहान : एक ही आदमी को बराबर ठेका दिया जाता रहा है ।

श्री अध्यक्ष : जो विधेयक के अन्तर्गत आता है उस पर बोलें । सारी फिशरीज की जनरल पालिसी पर नहीं बोलें ।

श्री जोधसिंह चौहान : सारी की सारी कन्ट्रोल हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह कारण नहीं हो सकता, इसके लिये अगर आप चाहें तो सेपरेट बिल लाइये । यह छोटा सा बिल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह छोटा सा बिल है लेकिन बडा खोटा है ।

श्री जोधसिंह चौहान : इसके अन्दर कई खामियें हैं । इससे क्या होगा कि एक आदमी की मोनोपोली है । कहीं कहीं एक ही ठेकेदार चला आ रहा है । इसके लिये मैंने जयसमन्द का उदाहरण दिया था । इसमें कोई प्रावधान इस प्रकार का नहीं है कि जो धार्मिक स्थान हैं उनके पास मछलियें मारने की मनाई हो । पहले भी एक जगह आपने धार्मिक स्थान के पास बांध पर बिना पूछे मछलियें पकडने का ठेका दे दिया था और उसका नतीजा यह हुआ कि लोग वहां पर आये और मछलियें पकडने लगे तो जनता ने उनको रोका और वहां पर दंगा हो गया और सरकार को इस बात को मंजूर करना पडा कि यहां पर मछलियें नहीं पकडी जायें और उस ठेके को वापिस विथ्ड्रा करना पडा । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार पहले ही सोच-समझ कर कानून बनाये तो अच्छा होगा । सरकार ने यह कभी नहीं सोचा कि धार्मिक स्थानों पर जहां पर लोगों की धार्मिक प्रवृत्ति है, जहां पर टेम्पल हैं, नाथद्वारा, नन्दनपुरा बांध हैं अगर वहां पर मछलियें मारी जावें तो लोगों को बडी आपत्ति होती है । सरकार को बडे बडे तालाबों पर ही रखना चाहिये । धार्मिक स्थानों को छोड देना चाहिये ।

(११.४८ म. पू.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

वैसे तो हमारी सरकार इसमें कार्य करती है लेकिन मैं यह कहूंगा कि उदयपुर में सबसे बडी जयसमन्द की झील है जिसमें लाखों मन मछलियें निकलती हैं । जयसमन्द मछलियों का खजाना है, वहां मणों मछलियें होती हैं । होता क्या है कि ठेकेदार खुद ठेका दे देते हैं । इसको माननीय मंत्री को देखना चाहिये । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में मछलियां खाने वाले हैं । इसलिये सरकार को इसको बढावा देना चाहिये । जगह जगह ऐसे स्थान हैं जहां पर काफी मछलियां मिलती हैं इसलिये सरकार को ठीक रखना चाहिये ताकि हमारी सरकार को फायदा हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष : रामकिशन ।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान फिशरीज एमेंडमेंट बिल हमारे सामने आया है और इसमें जो फॉर्मल एमेंडमेंट सेक्शन २ और ३ की तहत में किये जा रहे हैं, पहले इसका

Page No. 96

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

अधिकार डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर को था उसके बजाय आपने रखा है:

"Such officer or authority as may be empowered by the Government in this behalf."

इसके संबंध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा पहले डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की तहत में यह लाइसेन्स देने का अधिकार था, बड़े बड़े तालाब जिसमें मछलियां की तादाद बहुत होती है, उनका ठेका बहुत कम पैसों में दे दिया जाता है उसकी जानकारी डाइरेक्टर को नहीं होती कि वहां पर कितनी मछलियां होती हैं इसलिये यह जो अमेंडमेंट लाया गया है वह तो बिलकुल ठीक है, पर मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें इस प्रकार का संशोधन लाया जाता कि जिस क्षेत्र में जो तालाब हैं, उस क्षेत्र के अधिकारी हैं उनके सुपुर्द इनकी व्यवस्था रखी जाय उन्हीं की इन पर निगरानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी रखी जाय तो इनकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि लाइसेंसिंग आथोरिटी उस क्षेत्र के इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर या उसी क्षेत्र के इस प्रकार के किसी और अधिकारी को मुकर्रर किया जाय। उनको उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होने के कारण व्यवस्था भी अच्छी तरह से होगी और सरकार की रेवेन्यू को भी वे लोग बढ़ावेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर के यदि डाइरेक्टर एग्रीकल्चर को या और किसी ऑफिसर को जो डिपार्टमेंट का हैड है, जो हर जगह पर नहीं जा सकते, वैसे लोगों को लाइसेंसिंग आथोरिटी बना दिया गया तो इससे न तो कोई राजस्थान की रेवेन्यू ही बढ़ेगी और न ठीक तरह से व्यवस्था ही हो सकेगी। इसलिये ऐसे अधिकारी को लाइसेंसिंग आथोरिटी बनाना चाहिये जिसको कि वहां की पूरी जानकारी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वाई. एन. हांडा।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान मीन क्षेत्र संशोधन विधेयक, १९६४ सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। जहां तक राजस्थान सरकार और भारत सरकार का मछली पालने से संबंध है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह किया जा रहा है कि हमारे देशवासियों की हैल्थ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, विटेमिनाइज्ड फूड पब्लिक को नहीं मिलता, विटेमिनाइज्ड फूड को रेगुलेट करने के लिये मछली पालन का धंधा करें। जहां तक विटेमिनाइज्ड फूड का सवाल है इसके लिये मछली बहुत अच्छी मानी गई है। पर मछली पालने के लिये कानून पास, कर दे लाइसेंसिंग आथोरिटी मुकर्रर कर दें, अनआथोराइज्ड मछली मारने वालों के लिये पेनल्टी रख दें, पर मछलियों का पालन कहां तक होता है, इस चीज को हमें देखना होगा। बगैर लाइसेंस के अफसर लोग मछली का शिकार खेलते हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो अपने अधिकारियों को आगाह करना चाहिये, उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहिये कि वे बिना लाइसेंस के मछली का शिकार नहीं करें। अगर वे बिना लाइसेंस के मछली का शिकार करेंगे तो जनता भी उनके पद चिन्हों का अनुकरण करेगी।

(श्री अब्दुलजब्बार)

आज यह देखा गया है कि मछली के प्रोटेक्शन के लिये आमतौर से ठेका दे दिया जाता है, गिरवा से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा लाइसेंस में शर्तें होती हैं कि उस क्षेत्र की मछलियों का कुछ हिस्सा उस क्षेत्र के लोगों को, उस लोकेलिटी के लोगों को बेचा जाना चाहिये पर ठेकेदार लोग उस क्षेत्र की मछलियों को उस क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल नहीं बेचते, जाल ले गये, पकड़ा मछलियों को और सीधा एक्सपोर्ट कर देते हैं, उस क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल नहीं देते। तो मछली पालन के पीछे सरकार का ध्येय है कि मछली खाने से लोगों की तन्दुरुस्ती बढे, वह ध्येय कहां तक पूरा होता है। वे लोग उस क्षेत्र के लोगों को बिल्कुल नहीं देकर सारी मछलियां बाहर भेज देते हैं। तो सरकार को इस बारे में कडे से कडा कदम उठाना चाहिये जिन ठेकेदारों को मछली पकडने का ठेका दिया जाता है; उनको मजबूर करना चाहिये कि लाइसेंस में प्रेस्क्राइब किये हुए मछलियों के अंश को वे उसी जगह बेचें।

मछली-पालन के लिये मेरे ख्याल से सरकार ने दस-बारह लाख रुपया निकाला है। कई जगह देखने में आया है कि छोटे-छोटे गड्ढे बना दिये जाते हैं और उन गड्ढों में मछलियां डाल दी जाती हैं और वे मर जाती हैं; जिस तरह पी. डब्ल्यू. डी. वालों की तरफ से पेड लगाए जाते हैं पर वे मजनूं की तरह तने के तने ही रह जाते हैं, यही हाल मछली पालन का है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मछलियों के पालन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये और जो लोग अनऑथोराइज्ड तौर पर बिना लाइसेंस के मछलियों का शिकार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये चाहे वे अधिकारी हों या अन्य कोई लोग हों, उनके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिये।

इसके साथ ही साथ यह देखा गया है कि जो प्रोहिबिटेड एरियाज है धार्मिक स्थान हैं वहां पर भी ठेकेदार लोग मछलियां पकड़ते हैं। इस तरह प्रोहिबिटेड जगहों पर मछलियां पकडने से जनता की धार्मिक भावनाओं पर बडा आघात पहुंचता है और इस मामले को लेकर बडे तनाव खडे हो जाते हैं। इसके मैं ज्वलंत उदाहरण सदन के समक्ष रखता हूं। चित्तौड के पास गोसुण्डा के मन्दिर के पास मछली पकडने पर दो दफा झगडे हो गये। वहां के लोग मछली पकडने का जाल भी पकड कर थाने में ले गये, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस जाल तक को जला दिया गया। पुलिस का फर्ज था कि जिसने जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, जनता ने कहा उससे कि यहां पर मछली मत पकडो, फिर भी उसने मछली पकडी तो पुलिस को जनता को मदद करनी चाहिये थी, पर पुलिस उल्टा उन लोगों को मदद करती है जो जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हैं। जहां ममनू कर दिया गया है मछली पकडना, वहां शिकार नहीं करने दिया जाना चाहिये। मन्दिर मस्जिद जो आराधना के स्थान हैं उनके आस-पास कुछ एरिया प्रेस्क्राइब कर दिया जाय, उस एरिया में मछली का शिकार करने की मुमानियत कर देनी चाहिये।

इसलिये मैं सरकार को मजबूर करता हूं कि लाइसेंस देते वक्त लाइसेंस लेने वालों को पाबन्द किया जाय कि वे लोग लोकल एरियाज में अमुक मिकदार में मछलिय

(श्री अब्दुलजब्बार)

देंगे, प्रोहिबिटेड जगहों में मछली नहीं पकडेंगे इसके साथ ही साथ मछलियों के पालन के लिये जो केन्द्र नियत किये जाते हैं उनकी ठीक व्यवस्था होनी चाहिये, वहां पानी की ठीक व्यवस्था होनी चाहिये, समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सरकारी पक्ष....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं सिर्फ ५ मिनट लूंगा। मेरे से पूर्व वक्ता बोले उन्होंने मछली पकडने के क्षेत्र, लाइसेंस के दुरुपयोग और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जो लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और और लोगों के द्वारा मछली पकडने की बातें सदन के सामने रखीं, पर वे बिल की वास्तविक मंशा को नहीं समझ सके। वास्तविक मंशा इस बिल की यह है कि सबसे पहले ५३ में जब यह फिशरीज कानून बना था तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक रह गई थी....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : There is no grammatical mistake.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : There was a mistake.

श्री मथुरादास माथुर : It was a clerical mistake.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मिस्प्रिण्ट रह गया That misprint has been corrected and such licenses' की जगह फिशिंग लाइसेंस कर दिया। फिशिंग लाइसेंस के अन्दर आॅफेंस कम्पाउण्डेबल है। सरकार एक आॅथोरिटी तय करेगी वह अधिकारी फिशिंग लाइसेंसेज को कम्पाउण्ड करेगा। इस मिस्प्रिण्ट के बारे में सरकार का ध्यान ५३ में इस बिल को पास करने के बाद ६४ में गया है। ११ साल के बाद यह मिस्प्रिण्ट सरकार की नजरों में आई है। यह इस चीज का द्यौतक है कि सरकार की नजरों में फिशिंग का धंधा कितना निग्लेक्टेड धंधा है। इसके प्रति सरकार का कितना निग्लेक्टेड एटीट्यूड रहा है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मत्स्य-पालन के संबंध में सरकार ने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है, न फूडिंग के डेवेलपमेंट की दृष्टि से और न रेवेन्यू बढाने की दृष्टि से ही सरकार ने इस संबंध में कभी विचार किया है। चाहे वह मिरर क्रोप का सवाल हो, ५९ में उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी फिश की मिरर क्रोप के बारे में स्टडी करने के लिये भेजा जा सकता है, हजारों रुपयों की धनराशि खर्च की जा सकती है, राजस्थान के कुछ पोण्ड्स में मिरर ब्रीड की मछली पाल सकते हैं पर मिरर क्रोप में कई स्पेशल ब्रान्चेज खोलने के बाद, इतनी धनराशि खर्च करने के बाद भी इस संशोधन से ठप्प कर देती है, इस प्रकार का अधिकारी उत्तर प्रदेश में स्पेशलाइज्ड होकर आया वह बेकार बैठा है। फिशिंग कान्ट्रेक्ट्स को लीजिये। सरकार के डिपार्टमेंट्स कतई सीरियस नहीं हैं।

श्री मथुरादास माथुर : There is al imit of this Bill.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : This all in the limits, which I am speaking. All these questions have to be discussed. And I shall go in details.

आप इण्टरप्ट मत कीजिये। I am absolutely in the orbit of the Bill.

श्री मथुरादास माथुर : There is no question of changing the compoundability. There is only a change of the designation, and they are discussing all the failures etc.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : When you are changing the authority, then all the points arisen therefrom will have to be discussed.

श्री मथुरादास माथुर : That department has gone. There is now nothing like this.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I am absolutely talking about the Bill. When you are fixing the authority, all the consequences have to be discussed.

I am not going out of the Bill.

श्री भगराजचौधरी (रानीवाडा) : There is no quorum in the House.

श्री उपाध्यक्ष : Just a minute.

श्री भगराज चौधरी : There is no quorum in the House. The Quorum is complete by 17 members, but now that number is not there.

(गण-पूरक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में और मेरे 'कॉन्ट्रैक्ट' शब्द निकालते ही मंत्री महोदय चकित हो गए।

श्री मथुरादास माथुर : मैं चकित नहीं हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आखिर लोग लाइसेन्स लेते नहीं, इल्लीगल फिशिंग करते हैं और उन्हीं केसेज को कम्पाउन्ड करने के लिए आप ऑथोरिटी फिक्स करते हैं। आपने सूरतगढ के अन्दर १० हजार का ठेका किया है। ठेकेदार ने साढे तीन लाख की मच्छियां बेच दीं घग्घर के नाले के अन्दर। लाखों मन मच्छियां आती हैं और स्प्रेड हो जाती हैं, लेकिन जो बडी मच्छी है वह प्रोपर्टी है उससे बहुत से फाइनेन्सेज क्रीएट हो जाते हैं। घग्घर का नाला दिल्ली मार्केट को सैचूरेट करता है। घग्घर की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया है कि जो इल्लीगल फिशिंग होता है, जो इल्लीगल फिशिंग होती है उसके कारण कॉन्ट्रैक्ट्स गलत दिए जाते हैं। योजनाओं को आपने ड्रॉप कर दिया। पंजाब या बंगाल या बिहार के एक्सचेकर को देखिये। उन्होंने कैच अप बनाए। पंजाब इस बात का विशेष ध्यान रखता है। उसने जगह जगह कैच अप बनाए। फिशेज को रोक दिया है। उनके एक्सचेकर का बहुत बडा भाग इससे क्रीएट हो जाता है। राजस्थान में इस चीज को बिल्कुल निग्लेक्ट कर रखा है।

एक माननीय सदस्य ने धार्मिक भावनाएं रखी हैं। मेरे सेन्टीमेन्ट्स भी उनके साथ हैं। कुछ मंदिरों के अन्दर फिशिंग नहीं होनी चाहिए। आज आपके रामगढ के बन्धे को राजा मानसिंह ने क्लेम किया है, उधर उदयपुर में राणा अपना क्लेम जमा बैठा है। आप एक्ट ला रहे हैं तो उसमें

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

प्रावधान लाएं पोन्ड्स को अपने कब्जे में लें कॉन्ट्रेक्टस के रूल्स को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए आपकी कौनसी ऑथोरिटी काम कर रही है, उसके साथ साथ केसेज को कम्पाउन्ड करने के बारे में, इन सब बातों पर आपको कन्सीडर करना चाहिए।

श्री **मथुरादास माथुर**: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे उनका मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान की जो आमदनी है वह मच्छियों के उत्पादन से और विकास से बढनी चाहिए। मगर साथ साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना पडेगा कि राजस्थान के सामाजिक जीवन में जनता की जो भावनाएं हैं, उनको भी हम बिल्कुल अलग नहीं रख सकते। सदन में जो माननीय सदस्य ने भाषण दिए वे उनकी भावनाओं के प्रतीक थे जैसे यह सदन राजस्थान की जनता की भावनाओं का प्रतीक है। आज मैं कह सकता हूं कि अगर पुष्कर के तालाब में मच्छियां पकडना शुरू करें तो मेरे ख्याल से राजस्थान का बहुत बडा सेक्टर, चाहे एजूकेशन हो, चाहे इर्रीगेशन का प्लान हो उसको फीड कर सकती है, इतनी मच्छियां पुष्कर के तालाब में होंगी, लेकिन आप मन्जूर नहीं करेंगे कि पुष्कर के तालाब के लिए फिशिंग का लाइसेन्स दिया जाय। नहीं तो दो-तीन सालों में सिर्फ पुष्कर का तालाब योजना को फीड कर सकता है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: हम सबने एक मत से स्वीकार किया है कि धार्मिक तालाबों में मछलियों को न छेडा जाय। मैंने दूसरे स्कोप को एक्सप्लोर करने के लिए कहा है। आप कन्फ्यूज क्यों कर रहे हैं?

श्री **मथुरादास माथुर**: मैं कन्फ्यूज कतई नहीं हुआ हूं। धार्मिक भावनाओं....

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा**: यह इन्सानियत के नाते की बात है। धार्मिक पोंडस का कोई प्रश्न नहीं आता है। भगवान को हम मानें या न मानें, लेकिन इन्सानियत को तो मानते हैं।

श्री **मथुरादास माथुर**: जो इस बिल का स्कोप है वह बहुत लिमिटेड स्कोप है। हम खुद चाहते हैं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा फिशिंग का डेवलपमेन्ट हो लेकिन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना पडता है। मैंने पुष्कर की मिसाल इसलिए दी कि वह बहुत कॉन्क्रीट मिसाल है। पाली के अन्दर लोडिया तालाब है, वहां हमने फिशिंग लाइसेन्स दे दिया, फिर डेप्यूटेशन मिला कि वहां फिशिंग नहीं होना चाहिये। जहां भी २-४ जैन लोग बस गए वहां आन्दोलन शुरू हो जाता है। इन भावनाओं का नतीजा यह होता है कि ठेकेदार हमसे कम्पेन्सेशन क्लेम करते हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान कैनाल में घग्घर में फिशिंग डेवलपमेंन्ट होना चाहिए, लेकिन इमीजियेट रिजल्ट नहीं आ सकता। राजस्थान की तुलना दूसरे इलाकों से नहीं हो सकती। पंजाब में १२ महीने ही नदियां बहती हैं, हमारा सूखा इलाका है।

उपाध्यक्ष महोदय, ५३ में वह कानून बनाया, प्रिन्सिपल एक्ट में सरकार को रूल्स मेकिंग पॉवर्स थीं, लाइसेन्स दिया जाय, लेकिन उसमें "सच लाइसेन्स" ये वर्डस आ गये, वे बे-मौजू मालूम होते हैं, इसलिए फिशिंग लाइसेन्सेज किया गया। यह क्लेरिकल ओमि-

(श्री मथुरादास माथुर)

शन था। एक तो इस क्लॉज पर मेरा यह है।

दूसरा यह है कि झगडे हो जाय आपस में, तो एग्रीकल्चर डाइरेक्टर को आथोरिटी समझा जाता था। अलग महकमा बनाया जा रहा है, इसमें इसलिये हमने यह कहा है कि "Such other authority or officer;' सरकारी अफसर को तो ऑथोरिटी कह देंगे। कल यह फैसला कर लें कि पंचायतों को अधिकार दे दें या म्युनिसिपेलिटीज को अधिकार दे दें कम्पाउन्ड करने के, तो वहां पर ऑफिसर नहीं कहलायेगा इसलिए 'सच ऑफिसर और ऑथोरिटी' ये शब्द काम में लाये गये हैं।

श्री **अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : मंत्री महोदय तो क्लाज बाई क्लॉज जबाब दे रहे हैं।

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं तो एक ही बात कह रहा हूं। दो ही आपके अमेन्ड-मेन्ट्स हैं। मैं इस बिल को क्लॉज बाई क्लाज कन्सीडर करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से तालाबों का ठेका बगैर टेन्डर कॉल किये ही दे देते हैं, उसके लिए क्या प्रोसिजर एडॉप्ट किया है? बहुत से एक्स स्टेट के समय से ठेके दिये हुए ह, अवधि समाप्त हो गयी है, जैसे जयसमन्द का है दो साल पहले ही ठेका दे देना चाहिये था, काफी आमदनी हो सकती थी। हाउस में भी आश्वासन दिया गया था। ज्योंही ठेके खत्म होंगे दूसरे ठेकों के लिए टेण्डर कॉल कर लिये जावेंगे और उनके आधार पर दिये जावेंगे, वे क्यों नहीं दिये गये?

श्री **जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : मि० कपूर की मयाद बढा दी गई।

श्री **मथुरादास माथुर** : जिनकी मयाद बढा दी गई है उनको टेण्डर और ऑक्शन के हिसाब से ही दिया जावेगा और नहीं दिया गया है उन पर वापिस विचार कर लिया जायगा।

श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : मयाद बढाने का सवाल नहीं उठता है। टेण्डर कॉल करते तो अधिक आमदनी हो सकती थी। टेण्डर कॉल किये नहीं गये। लोअर रेट पर हुआ और टेण्डर काल नहीं किये, जिससे जितनी आमदनी आपको हो सकती थी वह नहीं हुई।

श्री **मथुरादास माथुर** : मयाद गुजर चुकी है या नहीं?

श्री **विजयसिंह झाला** : दो साल हो गये। आपने हाउस में आश्वासन भी दिया था।

श्री **मथुरादास माथुर** : जल्दी से जल्दी किया जावेगा।

श्री **विजयसिंह झाला** : दो साल का आश्वासन कितने दिन और चलाते रहेंगे?

श्री **मथुरादास माथुर** : सदन की मयाद है तब तक चलता रहेगा।

श्री **उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक जनमत जानने के लिए प्रसारित

Page No. 102

(श्री उपाध्यक्ष)

करने हेतु जो संशोधन आये हैं वे स्वीकार किये जायं ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए जो संशोधन आये हैं वे स्वीकार किए जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान फिशरीज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ को विचारार्थ लिया जाये ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

खण्ड २

श्री **अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज २ में मेरा संशोधन है......

श्री **उपाध्यक्ष** : I think because there are only two amendments in two clauses they can be taken together.

श्री **मथुरादास माथुर** : Yes, Sir, they can be taken together. He is the only man and I have already replied to him.

श्री **अब्दुल जब्बार** : In clause 3, delete the words "or authority" because "officer" means "authority" and there is no need of having "or authoruty."

श्री **उपाध्यक्ष**: You are not moving your amend ment in clause 2.

श्री **अब्दुल जब्बार** : उपाध्यक्ष महोदय क्लाज ३ में सरकार, ने लाइसेन्स की आथोरिटी डाइरेक्टर के पास थी, अब उन्होंने इसमें ये शब्द रखें हैं : "officer or authority"; इन शब्दों का प्रावधान किया है । इसमें मुझे आपत्ति है और मेरा संशोधन है ।

Delete the words "or authority"

श्री **उपाध्यक्ष** : क्लाज २ पर वोट लियें जाय । उसको पूरा कर लें ।

संशोधन इस प्रकार है श्री अब्दुल जब्बार : After the words "fishing licences" add the words "subject to such conditions as may be prescribed therein''.

क्लॉज ३

Delete the words "or authority"

उपाध्यक्ष महोदय क्लाज २ में मेरा संशोधन है "such licences" की जगह "fishing licences' सरकार चाहती है।

इसमें मेरा अमेन्डमेन्ट है ।

After the words "fishing licences" add the words "subject to such conditions as may be prescribed therein'

क्या होता है उपाध्यक्ष महोदय, लाइसेन्स तो दे दिया जाता है आमतौर से क्या

(श्री अब्दुल जब्बार)

होता है कि जहां तक मुझे ज्ञान है ठेके के लिए किश्तियों के भी लाइसेन्स लेने होते हैं । ठेकेदार नहीं लेते हैं । वह आमदनी हो जाती वे बगैर लाइसेंस के चल रही हैं । जाल के स्पेसिफिक खाने होने चाहिये । उनके खाने इतने छोटे न रखे जायं कि जिससे छोटी मछलियां उनमें आजायं और जो उनकी काश्त होती है वह खत्म हो जाय । इसलिए उसमें कन्डीशन्स लगा कर शो कर देनी चाहिये कि इतने खाने होंगे, पंचायत और म्युनिसिपेलिटी को भी अधिकार हो तो वे भी देख लें ।

श्री **विजयसिंह झाला** : माथुर साहब के चाहते हुए भी कोरम पूरा नहीं हो रहा है ।

श्री **मथुरादास माथुर** : आपके वाले आते ही नहीं ।

श्री **अब्दुल जब्बार** : उनकी हकीकत में आप प्रोसिक्युशन कर सकते हैं । लाइसेन्स में उन कन्डीशन्स को शो कर देना चाहिये ताकि इस बिल के लाने का जो मकसद है वह पूरे तरीके से हो सकेगा ।

"subject to such conditions as may be prescribed therein"

मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे ।

क्लॉज ३ । उसमें "ऑथोरिटी" शब्द है उसको निकाल देना चाहिये ।

When the word "officer" is there, there is no necessity of having the word "authority". Officer also means "authortiy."

जब ऑथोरिटी है तो अफसर किसलिये और अफसर है तो ऑथोरिटी किसलिये । म्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं, चेयरमैन हैं, वे भी अफसर हैं, पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं; इसलिये यहां "ऑथोरिटी" शब्द जंचता नहीं है । इसलिये मेरा संशोधन है कि 'अफसर' शब्द ले आते है तो ऑथोरिटी शब्द को निकाल देना चाहिये केवल अफसर शब्द रहेगा उससे भी पर्पज सर्व हो जायगा । इसके साथ ही सरकार यह व्यवस्था करे कि ठेके राज्य स्तर पर हों । ये इकोनॉमिकली भी होंगे । जो धन्धा करना चाहते हैं तो वे ले सकते हैं । आम तौर से लोगों को सूचना मिलती नहीं है और कन्टेस्ट नहीं कर सकते हैं । इसलिये सरकार इस ओर ध्यान देगी कि राज्य-स्तर पर नीलाम होकर ठेके देगी ।

श्री **मथुरादास माथुर** : माननीय सदस्य ने दो तरमीमें पेश की हैं । जहां तक पहली तरमीम का सवाल है: "Subject to such conditions as may be prescribed therein".

अगर आप मैन एक्ट पढ़ें जिसमें है :

"(3) Such rules may.—

(c) regulate the grant of such licences, the fees payable therefor and the conditions to be inserted therein"

"फिशिंग लाइसेन्स" कर रहे हैं, 'Such licence" की जगह ।

And "the conditions to be inserted therein" means inserted by the Government of the day.

कन्डीशन लाइसेन्स में ही आप करवाना चाहते हैं, that is already there.

वह पर्पज पूरा हो जाता है । मुझे खेद है यह तरमीम मुझे मंजूर नहीं हो सकती ।

(श्री मथुरादास माथुर)

जहां तक क्लॉज ३ का संबंध है जिसमें शब्द अफसर और आथोरिटी के बारे में माननीय सदस्य ने कहा; "the word 'officer includes 'authority' but the word 'authority' does not include 'officer'. Panchayat Samiti is an authority but not an officer. Municipal Board is an authority but not an officer.

श्री अब्दुल जब्बार : To whom the power is given ? The power is given to officer.

श्री मथुरादास माथुर : पॉवर दी जायगी बोर्ड को, वह चाहे किसी अफसर को डेलीगेट करे; स्टेच्यूट्स, एक्ट के मातहत ऑथोरिटी is given to the Municipal Board. So an authority is not an officer.

इसलिये ऑफिसर आथोरिटी में शामिल नहीं है; यह कानूनी मामला है । अतः आप समझेंगे नहीं । इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगा कि क्लॉज २ और ३ को पारित ा जाय ।

श्री अब्दुलजब्बार : कलक्टर ऑथोरिटी है । डिस्ट्रीक्ट ऑथोरिटी है ।

श्री मथुरादास माथुर : Collector is an officer as well as an authority but Panchayat Samiti is not an officer. Zila Parishad is not an officer Municipal Board is net an officer, Panchayat is not an officer. They are acuthorities.

श्री अब्दुलजब्बार : But the Pradhan of Panchayat Samiti is also an authority. Chairman of the Municipal Board is also an authority.

श्री मथुरादास माथुर : ऑथोरिटी है उसमें अफसर नहीं आते हैं । अफसर तो उसके मातहत होते हैं; जैसे अलग अलग कहीं मंत्री सेक्रेटरी आदि जो भी होते हैं वे सब ऑथोरिटी के अधीन होते हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : ऑथोराइज किसको करेंगे ?.

श्री मथुरादास माथुर : We will authorise under the rules. Supposing we may decentralise this power.......

श्री उपाध्यक्ष : It is absolutely clear.

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने अमेन्डमेन्ट विथड्रा करने की इजाजत दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह राय है कि श्री जब्बार को अपने संशोधन विथड्रा करने दिए जायं ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री अब्दुलजब्बार : I withdraw my amendments.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लाजेज २ और ३ विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

क्लॉजेज २ और ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ें गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोडे गयें ।

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मीन-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मीन-क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. १२.१५ बजे दिनांक ११ अप्रेल, १९६४ के म. पू. ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(शुक्रवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६४)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

शीर्षक	स्कम्भ
फेमीन रिलीफ वर्क्स, तहसील पाली।	१
केस का चालान ।	
भूमि का एलॉटमेन्ट, तहसील गिरवा ।	
जयपुर नगर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष का वेतन ।	
मक्का के बढते हुए भाव तथा उसके बाहर जाने पर रोक ।	
गलत रेकॉर्ड तैयार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही ।	
झुंझुनू नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा प्लॉटों का वितरण ।	
बीकानेर ऐसोशिएटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में केंसर वार्ड तथा कोबल्ट प्लांट की व्यवस्था।	
बाली व देसूरी तहसील के ग्रामों में (सरकारी) पड़त अथवा नाकाबिल काश्त भूमि का ठेका ।	
पट्टों का रिनुअल, राजस्थान केनाल क्षेत्र।	
काश्तकारों की बेदखली, तहसील पचपदरा।	
बरसात न होने से फसल को नुकसान तथा लगान की वसूली ।	

शीर्षक	स्कम्भ
मानसिक चिकित्सालय में बच्चों की भर्ती।	
माइनिंग इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत।	
प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन, निम्बाहेड़ा ।	
काश्त की भूमि पर पेड काटने का लाइसेन्स, तहसील सराड़ा ।	
एक्स-रे की सुविधा ।	
अमेरिका सरकार द्वारा अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों के लिए अनाज ।	
ग्राम भोजासर में पीने के पानी की समस्या।	
पुनःग्रहित जागीरों का रेकॉर्ड ।	
लापता लड़के की रिपोर्ट पर कार्यवाही ।	
अलवर पेण्ट एंण्ड कलर एण्ड वार्निश फैक्टरी को भूमि का अलॉटमेन्ट ।	
तालाब के पाल की मरम्मत, ग्राम बरार	
रजिस्टर्ड डेयरी फार्म ।	
अस्थाई तोर पर सिनेमा चालू करने की इजाजत, हिन्डौन ।	

Page No. 107

डिस्पेंसरियों में डाक्टरों की कमी।

सिंचाई समस्या, तहसील डग ।

डाक्टरों के वेतन में विलम्ब।

बकाया वेतन का भुगतान करने में विलम्ब।

सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के नियम ।

हरे वृक्ष काटने का लाइसेन्स, तहसील लसाडिया।

नोहर व भादरा तहसीलों में बैरानी हल्के में कृषि भूमि का ग्रलॉटमेन्ट ।

वाटर सप्लाई स्कीम का सर्वे, तहसील मावली।

मजदूरों को निर्धारित्त मजदूरी ।

डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट।

फसलों को नष्ट कर नहरें खोदने का कार्य, तहसील पाटन ।

अलवर जिले में सिचाई की व्यवस्था ।

किसानों से दुगुनी जमा की मांग, जिला अलवर।

भाखरा क्षेत्र की मंडियों का निर्माण-काय ।

स्थगित-प्रश्न ६२

३०-३-६४ व ६-४-६४

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कर्मचारियों की सेवाकाल।

(३–४–६४ व ६–४–६४)

अकाल राहत कार्य।

निर्वाचन सूचियों का प्रकाशन।

७–४–६४

(२) **अल्प-काल सूचना प्रश्न।** ७१

बीकानेर पोलिटेक्निक ।

(३) **अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक :** ७३

नगर विकास मन्डल द्वारा वसूली ।

पीने के पानी की समस्या।

पशुओं एवं मनुष्यों के पानी की व्यवस्था ।

गांवों में सस्ते अनाज की दूकानें ।

नगरपालिकाओं का ऑडिट ।

चम्बल योजना और सिंचाई के लिए पानी देने के नियम ।

शक्कर का वितरण, खारची तहसील ।

ऊंट नस्ल सुधार केन्द्र, बीकानेर ।

ऊंटों की नस्ल सुधारने हेतु केन्द्र ।

नगरपालिकाओं के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के विरुद्ध गबन के मामले ।

रॉयल्टी की वसूली ।

शीत लहर से फसलों को नुकसान ।

डिफेन्स ऑफ इन्डिया एक्ट के अधीन गिरफ्तारियां ।

करोली महुवा सड़क पर दुर्घटनाएं।

गांवों से सुरक्षा कोष में इकट्ठा किया गया रुपया-पंचायत समिति, तिजारा ।

चम्बल कमान्डेड क्षेत्र में सीलिंग व्यवस्था ।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले ।

धोलपुर सब-डिवीजन के थानों में दर्ज मामले ।

कृषि फार्म, पंचायत समिति, मुन्डावर।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पकड़ने के मामले ।

नहरों में आई भूमि का लगान ।

सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर।

(४) **जनलेखा समिति, १९६४-६५ तथा प्राक्कलन समिति १९६४-६५ के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा** १००

अध्यक्ष महोदय द्वारा जन लेखा समिति, १९६४-६५ तथा प्राक्कलन समिति, १९६४-६५ के निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किये गये ।

५. सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री हरिश्चन्द्र, विद्युत मंत्री, ने इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, १९४८ की धारा ६१(३) के अन्तर्गत, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण (आयव्ययक) १९६४-६५ एवं उक्त अधिनियम की धारा ७५(१ए) के अन्तर्गत, बोर्ड द्वारा तृतीय पंच वर्षीय योजना के तृतीय वर्ष किये गये कार्य का संक्षिप्त-विवरण सदन की मेज पर रखा ।

६. विधायी कार्य

(१) **राजस्थान भूमि एवं जल-संरक्षण विधेयक**, १९६४ १०५

प्रभारी मंत्री, श्री नाथूराम मिर्धा के प्रस्ताव पर उपरोक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया ।

(२) **राजस्थान उपहार वस्तुएं (व्यापार तथा अवैध कब्जा) विधेयक**, १९६४ १०५

उपरोक्त विधेयक विचारार्थ लिया जाकर सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(३) **राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक**, १९६४ १३४

श्री निरंजननाथ आचार्य के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाये श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया ।

(४) **राजस्थान विधान सभा (अधिकारियो और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक**, १९६४ १३६

श्री मथुरादास माथुर, प्रभारी मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त **विधेयक को** विचारार्थ लिया जावे, सर्व श्री मुरलीधर व्यास एवं रामानन्द अग्रवाल ने विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये । वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा विधेयक ो विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार कया गया ।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में स्कम्भ सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

५. राजस्थान मीन क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, १९६४ १८६

श्री नाथूराम मिर्धा, प्रभारी मंत्री, के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री जोधसिंह चौहान एवं श्री गिरधारीलाल व्यास ने क्रमशः विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने एवं उसे एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये ।

वाद-विवाद के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुए तथा विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक स्कम्भ सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

(७) खादी बोर्ड की जांच हेतु समिति का गठन १०९

श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मंत्री द्वारा खादी बोर्ड की अनियमितताओं की जांच हेतु एक समिति की नियुक्ति, की घोषणा सदन में की गई ।

शनिवार, दिनांक ११ अप्रेल, १९६४ (प्रातः कालीन बैठक) की कार्य-सूची

(१) मंत्री एवं उपमंत्री द्वारा वक्तव्य

(२) राजस्थान की खाद्यान्न क्रय योजना विषयक वाद-विवाद ।

———————

परिशिष्ट १

(समया भाव के कारण प्रश न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

लापता लडके की रिपोर्ट पर कार्यवाही

१०३४. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबडा). क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि रिपुन्जय आत्मज श्री घनश्याम चौधरी, जयपुर निवासी, उम्र करीब १७ वर्ष दिनांक २०-२-६४ को लापता हो गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि श्री घनश्याम चौधरी ने दिनांक २१-२-६४ को सदर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी ?

(३) क्या यह भी सही है कि पुलिस ने कुछ लोगों को इस बावत सदर थाना म बुलाकर बातचीत की ?

(४) यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? कृपया अब तक की जानकारी दें ।

उत्तर

(१) लापता था, अब नहीं है ।

(२) जी हां, दिनांक २१-२-६४ (२२-२-६४) की रात को २ बजे घनश्याम चौधरी ने रिपुन्जय के लापता होने की इत्तला थाना सदर में दी थी । दिनांक २२-२-६४ को श्री घनश्याम ने दिन के २ बजे एक और इत्तला दी कि मेरे लड़के रिपुन्जय को ओम-प्रकाश दुसाद ने फरार किया है, जिस पर केस नं० २३ दिनांक २२-२-६४, धारा ३६३ भा० दे० स० पुलिस थाना सदर पर कायम करके तफतीश की गई ।

(३) जी हां।

(४) पुलिस ने सभी संबंधित व्यक्तियों से तफतीश की जिससे मामला अदम वकुआ पाया गया । श्री रिपुन्जय वापिस अपने घर आ गया है ।

अलवर पेण्ट एण्ड कलर एण्ड वार्निश फैक्ट्री को भूमि का अलॉटमेण्ट

१०३५. श्री **रामानन्द अग्रवाल,** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या अलवर पेण्ट एण्ट कलर एण्ड वार्निश फैक्टरी को भूतपूर्व अलवर राज्य ने कुछ कृषि भूमि रेल्वे स्टेशन से पूर्व की तरफ अलॉट की थी ? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि अलॉट की गई थी ? अलॉटमेंट की शर्तें क्या थीं ? कृपया शर्तों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(२) क्या यह सही है कि इस जमीन के अधिकांश भाग में खेती की जाती है ? यदि हां, तो कितने रकबे में खेती की जाती है ?

(३) क्या यह सही है कि यह भूमि उक्त फैक्टरी को खेती करने के लिये नहीं दी गई थी और खेती करके फैक्टरी ने ठेके की शर्तों को तोडा है ?

(४) क्या सरकार ने इस संबंध में फैक्टरी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तालाब के पाल की मरम्मत, ग्राम बरार,

१०३६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भीम तहसील के बरार गांव के नदी नाला नाम के तालाब की पाल में दरार पड गई है और उसकी नहर की मुद्दत से मरम्मत नहीं कराये जाने से टूट फूट गई है ?

(२) क्या यह सरकार की जानकारी में है कि दरार होने के कारण अगर यह तालाब टूट जाये तो नीचे की आबादी बह जायेगी ?

(३) यदि हां, तो इस दरार की मरम्मत क्यों नहीं कराई जाती है ? क्या जान-माल की सुरक्षा के लिये बरसात से पहले मरम्मत कराने की कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । है ।

(२) जी नहीं ।

(३) समय पर तालाब खाली होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर दी जायगी ।

रजिस्टर्ड डेयरी फार्म्स

१०३७. श्री **जुझारसिंह** (चेचट) : Will the Agriculture Minister please reply.—

(1) Have the rules for the registration of Cattle breeding, Horse breeding, Dairy farms been framed and finalised by the Government ?

(2) How many Dairy farms have been registered under these rules so far ?

उत्तर

(१) पशु प्रजनन फार्मस के पंजीयन हेतु नियम बन चुके हैं । दुग्धशालाओं तथा अश्व-प्रजनन फार्म्स के सम्बन्ध में नियम नहीं बने हैं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अस्थाई तौर पर सिनेमा चालू करने की इजाजत, हिन्डौन

१०३८. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि हनुमान टाकीज हिन्डौन को सिनेमाघर के लिये भवन निर्माण की अनुमति जिलाधीश महोदय सवाई माधोपुर ने दी ? यदि हां, तो कब और किस स्थान की ?

(२) क्या यह सही है कि जिस स्थान की अनुमति दी गई वह कस्बे के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ घनी आबादी है और वह यही स्थान है जिस पर नगरपालिका से रिहायशी मकान बनाने की इजाजत

हासिल करके रिहायशी मकान बना हुआ मौजूद था ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान सिनेमा रेग्यूलेशन रूल्स, १९५९ की धारा १६ के प्रावधानों के अनुसार यह इजाजत इस स्थान की नहीं दी जा सकती ?

(४) क्या यह सही है कि इस नियम को रिलेक्स करने की अनुमति लाइसेंसिंग ऑथोरिटी द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त नहीं की गई ? यदि हां, तो लाइसेंसिंग नियम-विरुद्ध यह इजाजत क्यों दी गई ?

(५) क्या यह सही है कि कस्बे की जनता ने इस इजाजत के विरुद्ध काफी शिकायतें की ? यदि हां, तो कितनी और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सही है कि इसी हनुमान टाकीज को अस्थाई तौर पर सिनेमा चालू करने की इजाजत दी गई है ? यदि हां, तो कब ?

(७) क्या यह सही है कि तारीख ३०-११-६२ को जिलाधीश सवाई माधोपुर ने लाइसेन्स की मियाद बढाते समय यह आदेश दिया था कि मार्च सन् ६३ के बाद उसकी मयाद नहीं बढाई जावेगी ? यदि हां, तो फिर यह इजाजत क्यों कर दी जाती रही है ?

(८) क्या यह सही है कि नियमानुसार जहां परमानेन्ट सिनेमाघर होता है उसके ५ मील के क्षेत्र में अस्थाई सिनेमा चलाने की इजाजत नहीं दी जाती ? यदि हां, तो इनको यह इजाजत किस प्रकार दी गई ?

उत्तर

(१) यह सही है कि हनुमान टॉकीज हिन्डोन को सिनेमा पर निर्माण की अनुमति जिलाधीश, सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक ४-६-६२ को श्री कन्हैयालाल गोयल के मकान के सामने, कछवाया पारा हिन्डौन सिटी में दी गई।

(२) स्थान कस्बे के बीच में एक गली में है। यह वही स्थान है जिस पर नगरपालिका से रिहायशी मकान की इजाजत प्राप्त की गई थी। पहिले भी इस स्थान पर रिहायशी मकान बना हुआ था।

(३) राजस्थान सिनेमा रेगूलेशन रूल्स, सन् १९५९ की धारा १६ के प्रावधान पर विचार करने के पश्चात् ही सिनेमा भवन बनाने की इजाजत दी गई है।

(४) यह नियम रिलेक्स नहीं किया गया है।

(५) प्रथम बार जनता हिन्डौन की शिकायत १२-६-६१ को प्राप्त हुई तथा दूसरी १०-५-६२ को। इन पर आवश्यक जांच कराने के पश्चात् सिनेमा भवन निर्माण करने की आज्ञा दी गई थी।

(६) हां दी गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

३०-६-६१ को प्रारम्भ करने की दिनांक से ४ माह की (२२-७-६१ से प्रारम्भ),

३०-११-६१ को ४ माह की मयाद बढ़ाई गई।

Page No. 113

६-३-६२ को १५ जौलाई, सन् ६२ तक मयाद बढ़ाई गई ।

११-८-६२ से पुनः इजाजत १०-१२-६२ तक दी गई ।

३०-११-६२ को ३ माह की मयाद बढ़ाई गई ।

६-३-६३ को ४ माह की मयाद पुनः बढ़ाई गई । बाद में बन्द रहा ।

१७-८-६३ से ४ माह की पुनः स्वीकृति दी गई, इसके बाद कोई इजाजत नहीं दी गई तथा सिनेमा बन्द हो गया ।

(७) यह सही है कि ३०-११-६२ को जिलाधीश सवाई माधोपुर ने लाइसेन्स की मयाद बढ़ाते समय यह आदेश दिया था कि इसके बाद मयाद नहीं बढ़ाई जायेगी, क्योंकि स्थाई भवन बनाने को काफी समय मिल चुका है ।

चूंकि प्रार्थी ने दिनांक ५-३-६३ को यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था कि देश पर संकट-कालीन छाया आजाने पर लोहे इत्यादि का सामान काफी प्रयास करने पर भी आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं हो सका जिसके कारण सिनेमा भवन पूर्ण नहीं बनाया जा सका; उक्त प्रार्थना पर विचार करने के पश्चात् अवधि बढ़ाई गई थी ।

(८) राजस्थान सिनेमा रेग्युलेशन रूल्स, ५९ के नियम ६३ एवं ७४ (१२) के प्रोविजो के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को परमानेन्ट सिनेमा से ५ मील के क्षेत्र में टेम्पोरेरी सिनेमा को लाइसेन्स देने के अधिकार प्राप्त हैं । तथा उसी के अनुसार यह आज्ञा प्रदान की गई थी ।

डिस्पेंसरियों में डॉक्टरों की कमी

१०३९ श्री भरतलाल (मलारना चौर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाईमाधोपुर जिले में कुल कितनी राजकीय डिसपेन्सरीज हैं ?

(२) मौजूदा समय में किन किन डिसपेन्सरियों में ड़ॉक्टर कितने कितने समय से नहीं हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जो विधान सभाई क्षेत्र शिड्यूल्ड ट्राइब्स एवं शिड्यूल्ड कास्ट के हैं उन क्षेत्रों की ही डिपेन्सरियों में इतने दिनों से डाक्टर नहीं लगाये गये हैं ?

उत्तर

(१) सवाईमाधोपुर जिले में कुल १८ डिस्पेन्सरियां हैं ।

(२) वर्तमान काल में जिन जिन डिस्पेन्सरियों में ड़ॉक्टर जितने जितने समय से नहीं हैं उसकी लिस्ट संलग्न है ।

(३) जी नहीं, शिड्यूल ट्राइब्ज एव शिड्यूल्ड कास्ट के क्षेत्रों को डिस्पेन्सरियों में व अन्य डिस्पेन्सरियों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं है ।

सूची

Statement showing the Dispensaries Functioning without Doctors.

S. No.	Name of the Institution where there is no doctor.	Place is vacant.	Remarks.
1.	Bonli	1962	Compounder Gr. I working.
2.	Mahaveerji	1962	-do-
3.	Khandar	1962	
4.	Mandrail	1962	-do-
5.	Malarna	June, 1963	-do-
6.	Narauli	1962	-do-
7.	Wazirpur	1961	-do-
8.	Sapotra	1964	Dr. K. N. Saxena under transfer order to Trachoma & Relieving report is still awaited.

सिचाईसमस्या, तहसील डीग

१०४०. श्री मजलिसखां, (कामां) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील डीग के ग्राम टोडा, गढी, कोलरी और रूपवास पहाड़ों की तलहटी में आबाद हैं और वहां की रेतीली भूमि कुओं से आसानी से नहीं सींची जा सकती ?

(२) क्या यह भी सही है कि वर्षा का पानी पहाड़ों से काफी मात्रा में इकट्ठा होकर इन ग्रामों की भूमि से नालों द्वारा बह कर दूसरे ग्रामों की डहरी भूमि को हर साल रेतीली बना रहा है, जिससे पैदावार पर बुरा असर पड़ता है ?

(३) क्या उपरोक्त कठिनाइयों को सरकार ध्यान में रख कर ग्राम टोडा और गढी से लेकर रूपवास की सरहद तक बांध का निर्माण कराकर इस समस्या को हल करने के लिये इस बांध को ६३-६४ की सिंचाई योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) इस विषय में जांच की जाकर यथा-सम्भव कार्यवाही की जावेगी ।

डाक्टरों के वेतन में विलम्ब

१०४१. श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)**: Will the **Health Minister** be pleased to state:—

(1) How many Doctors working in Jaipur hospitals and dispensaries have not received their pay for more than three months and why? Please place a list of all such persons stating the reasons for the delay.

(2) Is it a fact that majority of them have not received their pay because their extension cases are still pending? Please place a list of all such doctors on the Table of the House, stating the date on which extension should have been granted and the reasons for its delay?

(3) How many of them are pending for want of concurrence by the P.S.C.? On what date each case was sent to P.S.C. for concurrence? Please mention the date of every case in the the above statement.

(4) Is it a fact that these posts were advertised by the P.S.C. but no interviews have been taken by P.S.C. for the last two years? If so, why?

(5) Does the Government propose to allow these doctors to receive their pay provisionally so as to avoid financial hardship to them?

उत्तर

(१) जयपुर हॉस्पिटल तथा डिस्पेन्सरीज में कार्य कर रहे अस्थाई डॉक्टरों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे ३ माह से अधिक समय से वेतन नहीं मिला हो। किसी स्थाई डाक्टर का वेतन न मिलने की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनका वेतन सीधा ए. जी. ओफिस (महालेखापाल राजस्थान) जयपुर द्वारा दिया जाता है।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(४) पी० एस० सी० द्वारा रिक्त स्थानों का विज्ञापन किया गया था। गत साक्षात्कार अप्रेल ६३ में हुआ था।

(५) राजस्थान के सब ही अस्थाई डाक्टरों का प्रोवीजनल पेमेन्ट जून, १९६४ तक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा आर्डर नम्बर एफ १७ (१७।३३४) एम. पी. एच. ६२।ग्रेड दिनांक १७-३-६४ को दी जा चुकी है।

बकाया वेतन का भुगतान करने में विलम्ब

१०४२. श्रीमती **सुमित्रा** (झुंझुनू): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सही है कि राधेश्याम पारीक, भूतपूर्व सचिव, नगरपालिका झुंझुनू को माह जनवरी व फरवरी सन् ६२ का वेतन अब तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की तथा इसके लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(२) क्या यह भी सही है कि चेयरमैन नगरपालिका झुंझुनू ने श्री पारीक के प्रोविडेन्ट फण्ड की ५५) रु. की राशि जो नगरपालिका को श्री पारीक के अकाउन्ट में जमा करनी थी, बैंक में जमा न करके अन्य कार्य में ले ली और श्री पारीक का प्रोविडेन्ट फण्ड अकाउन्ट नगर परिषद, कोटा को अभी तक स्थानान्तरित

नहीं किया गया जबकि उनका स्थानान्तरण हुए डेढ वर्ष से भी ऊपर हो गया है ?

उत्तर

(१) जी हां । पालिका द्वारा वेतन संबंधी चैक भिजवा दिया गया था, परन्तु सचिव के विरुद्ध चार्ज न देने संबंधी चार्जेज होने से पेमेण्ट नहीं दिया गया । चैक ६ माह पुराना हो जाने से पुन: चैक भेजने हेतु नगरपालिका को लिखा गया है ।

(२) पास बुक व अकाउण्ट कोटा को ट्रांसफर हो गया है ।

सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम

१०४३. श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नियुक्ति विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के लिये कोई नियम बनाये हुए हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की पेज पर रखें ।

(२) क्या ये नियम सरकारी विभागों में सर्वत्र समान रूप से लागू होते हैं ? यदि नहीं, तो किन किन विभागों पर नहीं लागू होते ?

(३) जिन विभागों में ये नियम लागू नहीं होते वहां पदोन्नति किस आधार पर होती है ?

(४) क्या इसमें सर्विस रेकार्ड भी देखा जाता है ? यदि हां, तो उसके देखने का तरीका क्या है ?

(५) क्या प्रमोशन के लिये परीक्षायें भी ली जाती हैं, ? यदि हां, तो क्या परीक्षा फल व उसके अंक सबको दिखाये जाते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) हां । नियमों की प्रतियां नियम जारी होते ही सदन को भेज दी जाती हैं । इस बारे में जो हिदायतें हैं उनकी प्रति संलग्न है ।

(२) हां ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) हां । तरीका हिदायतों में दिया है, जिसकी प्रति संलग्न है ।

(५) नहीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

हरे वृक्ष काटने का लाइसेन्स, तहसील लसाडिया

१०४४. श्री **उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६३ के दिसम्बर माह में उदयपुर जिले की लसाड़िया तहसील में कल्याणपुरा गांव में १६ एकड़ भूमि से हरे वृक्ष कटाने का लाइसेन्स, श्री केशरीमल महाजन, निवासी धरियावाद को दिया गया था ?

(२) क्या उक्त लाइसेन्स की आड़ में केशरीमल ठेकेदार द्वारा राजकीय जंगल के हजारों रुपयों के वृक्ष स्थानीय नायब तहसीलदार ने निकलवा दिये ?

(३) क्या यह भी सही है कि दिनांक १३ दिसम्बर, सन् १९६३ को पटवारी ने नाजायज वृक्षों की कटाई की रोक बावत नायब तहसीलदार को सूचना दी और उसके आधार पर नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर वृक्ष काटने को रोकने की आज्ञा देकर बाद में भ्रष्टाचार करके कटे हुए वृक्षों की लकड़ी, कोयला कबाडा निकास करवा दिया ?

(४) क्या यह भी सही है कि अब तक उसकी कोई कार्यवाही न होकर न तो नायब तहसीलदार के विरुद्ध कोई आदेश हुआ, न राज्य की सम्पत्ति की चोरी करने वाले के विरुद्ध कोई चालान हुआ है ?

(५) क्या अब भी उक्त पार्टी जिसने भ्रष्टाचार द्वारा ऐसी हरकत कराई है और ऐसी हरकत करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी नहीं। श्री केसरीमल महाजन, निवासी धरियावाद को दिनांक २०-९-१९६२ को लाइसेन्स दिया गया था।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। दिनांक १३-१२-६३ को पटवारी ने ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। पटवारी ने रिपोर्ट दिनांक १४-११-६२ को की थी। उस पर नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंच कर जांच की। उस समय केवल २० भट्टियों में ३०० बोरी कोयले थे, बाकी माल पहले ही उठ चुका था। पोते सुदा माल मौके पर श्री रामसिंह पिता नाहरसिंह व लक्ष्मण पिता शंकर के सुपुर्द किया था।

(४) जी नहीं। जो माल अवैध काटा गया था उसकी कीमत ७,२९२ रुपये ८ आना वसूल करने की कार्यवाही जारी है, लाइसेन्सदारान का लाइसेन्स भी कैन्सिल कर दिया गया है, नायब तहसीलदार के विरुद्ध भी जांच की जा रही है तथा नाजायज वृक्ष काटने वाले के विरुद्ध मुकदमा बना कर पेश करने की हिदायत तहसीलदार को दे दी गई है।

(५) जी हां, भ्रष्टाचार साबित होने पर नियमानुकूल कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये ताकीद की जा रही है।

नोहर व भादरा तहसीलों में बैरानी हल्के कृषि भूमि का अलॉटमेंट

१०४५. श्री **केदारनाथ**, (गंगानगर): क्या मंत्री, कोलोनाइजेशन विभाग यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(क) क्या नोहर व भादरा तहसीलों के बैरानी हल्के में कृषि भूमि का अलॉटमेन्ट एक वर्ष के लिये होता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(ख) क्या यह सच है कि नोहर तहसील के हजारों साबका काश्तकारों को तहसीलदार ने वर्ष १९६३ में अलॉटमेन्ट करने से इन्कार कर दिया है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि अलॉट-मेन्ट की अन्तिम तारीख ३०-७-६३ थी, लेकिन तहसीलदार अवधि समाप्त होने के बाद भी अलॉटमेन्ट कर रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां ।
(२) जी नहीं ।
(३) जी नहीं ।

वाटर सप्लाई स्कीम का सर्वे तहसील मावली

१०४६. **श्री सम्पतिलाल बोहरा** (मावली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मावली तहसील में फतहनगर व सनवाड कस्बों की वाटर सप्लाई स्कीम की सर्वे हो चुकी है ?

(२) यदि हां, तो अभी तक स्कीम क्यों नहीं बनाई गई ?

(३) कब तक स्कीम पूर्ण होने की आशा है ?

उत्तर

(१) फतहनगर कस्बे का सर्वे हो चुका है, परन्तु पानी के स्रोत के बारे में खोज करना बाकी है । सनवाड कस्बे का सर्वे इस माह में प्रारम्भ किया जा रहा है ।

(२) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

(३) फिलहाल स्कीम पूरी होने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, फतहनगर में पानी का स्त्रोत मिलने पर कुछ निश्चित हो सकता है और सनवाड में सब इत्यादि पूर्ण होने पर ।

मजदूरों को निर्धारित मजदूरी

१०४७. **श्री देवेन्द्र कुमार ओझा**, (सहाडा—सु०) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रायपुर, जिला भीलवाडा में कोठारी नदी डेम पर कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो वहां कितने ठेकेदार कार्य कर रहे हैं ?

(२) वहां कार्य पर लगे कितने मजदूरों को बराबर मजदूरी मिल चुकी है ?

(३) मजदूरी किस दर से निर्धारित है और ठेकेदार मजदूरी किस दर से दे रहे हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। तीन ठेकेदार काम कर रहे हैं।

(२) लगभग सभी को ।

(३) मजदूरी की दर का इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है ।

डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट

१०४८. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार द्वारा डॉक्टरों की सीनियोरिटी लिस्ट कब प्रकाशित की गई ? लिस्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि सीनियोरिटी लिस्ट के अनुसार टीचिंग के लिये व होस्पिटल्स में सर्विसेज के लिये—अलग अलग सीनियोरिटी लिस्ट भी प्रकाशित की जा चुकी है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या यह आवश्यक है कि मेडीकल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर व संचालक स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग के पद पर सीनियोरिटी के आधार पर ही पोस्टिंग किया जाय ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसका पालन करती है और अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) निम्नांकित नम्बर व तारीख से लिस्टें राज-पत्र में प्रकाशित की जा चुकी हैं :—

(१) नम्बर एफ.१७ (२३३) एम. पी. एच. ६३ जी. आर. ग्रुप १ दिनांक १९-८-६३ ।

(२) नं० एफ. १७(७) एम.पी.एच. ६३ जी. आर. १ दिनांक १९-८-६३ ।

(३) नं० एफ. १७(२३२) एम. पी. एच.।६३।जी. आर. १ दिनांक ३१-८-६३ (प्रॉविजनल) ।

(४) नं० एफ. १७(२३२) एम. पी. एच.।६३ जी. आर. १ दिनांक २२-११-६३ ।

(५) नं० एफ. १३(९) २ एम. पी. एच. ५७।जी. आर. १ दिनांक २३-११-६३ ।

(६) नं० एफ. १७(६०७) एम. पी. एच.।६३ जी. आर. १ दि० २६-११-६३ (प्रॉविजनल) ।

(७) नं० एफ. १७ (६०७) एम. पी. एच.।६३।जी. आर. १ दि० २०-३-१९६४ ।

२. जी हां ।

३. जी हां। किन्तु विशेष परिस्थिति में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है ।

फसलों को नष्ट कर नहरें खोदने का कार्य— तहसील पाटन

१०४९. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाटन तहसील में अभी नहरें खोदने का काम जारी है तथा रडीचडी गांव व अन्य जगहों पर किसानों की खडी फसलें खोदी जा रही हैं ?

(२) क्या किसानों को उक्त भूमि पर काश्त नहीं करने को नोटिस दे दिये गये थे और गजट में नियमानुसार प्रकाशन कर दिय गया था ?

(३) यदि हां, तो नोटिसों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) विभाग ने सीमा के पत्थर पहले ही गडवा दिये थे ताकि आगे उस हद में काश्त न हो ।

(३) अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

अलवर जिले में सिंचाई की व्यवस्था

१०००. श्री **नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में नहरों की कमी है ? अगर हां, तो सरकार वहां सिंचाई की क्या व्यवस्था कर रही है ?

(२) क्या वहां ट्यूब वैल्स के लिये सरकार ने कोई सर्वे कराई थी ? अगर हां, तो कहां कहां पर और कब कब ?

(३) सर्वे के बाद सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाया ? सर्वे की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे ।

(४) वहां ट्यूबवैल्स बनाने में क्या असुविधा है ? अगर नहीं है, तो कब तक यह कार्य शुरू होगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) सन् १९६२ व १९६३ में राजस्थान अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड व केन्द्रीय एक्स्प्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गेनाइजेशन द्वारा अलवर जिले में सर्वे की गई । यह सर्वे रुपारेल व साबी नदियों के इलाके में व पंचायत समितियों उमरेण, नीमराना, बहरौर, व बिजोरा के इलाकों में की गई थी ?

(३) एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवैल आर्गेनाईजेशन ने ४ जगह बोरिंग किया, जिसमें केवल ग्राम सोडावास में १०,००० गैलन पानी का डिस्चार्ज मिला । जो काम किया गया उस पर रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) ट्यूबवैल्स हर जगह नहीं बन सकते, फिर इन पर खर्च बहुत आता है जिससे इर्रिगेशन रेट्स बहुत ऊंची आती है । सरकारी ट्यूबवैल्स बना कर आबपाशी की सुविधा देना कहां तक सम्भव है इसको देख कर ही यह कार्य किया जा सकता है । वैसे जो लोग ट्यूबवैल बनवाना चाहें उनको सरकार कर्जा भी देती है और सब्सिडी भी देती है । इसके अलावा कहीं ट्यूबवैल्स से पानी उपयुक्त मात्रा में न मिले तो बोरिंग पर किये व्यय के ५० प्रतिशत तक के भाग को सरकार वहन करती है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किसानों की दुगुनी जमा की मांग, जिला अलवर

१०५१. श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले में आज भी उन बहुत से किसानों से दुगुनी जमा मांगी जा रही है जो भूतपूर्व बिस्वेदारों की जमीन को जोतने वाले किसान हैं और बहुत सों से वसूली भी कर ली गई है ?

(२) ऐसे कुल कितने किसान अलवर जिले में हैं जिन पर दुगुनी जमा का असर पडता है ?

(३) क्या सरकार ऐसे किसानों से सिंगल जमा लेने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) २१,७५६ ।

(३) अलवर जिले में जहां जहां रेन्ट रेट्स कायम हो चुकी हैं वहां केवल सिंगल जमा ही ली जाती है, अन्य जगहों पर भी रेन्ट रेट्स कायम होने पर सिंगल जमा वसूल की जायेगी ।

भाखरा क्षेत्र की मंडियों का निर्माण–कार्य

१०५२. श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा:** (रायसिंहनगर) : क्या कोलोनाइजेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा क्षेत्र में "ए", "बी", "सी" क्लास की कितनी मंडियों का निर्माण करने की योजना है ? प्रत्येक क्लास की अलग अलग संख्या तथा नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) भाखरा के निर्माण के सिलसिले में बनाई गई भाखरा मंडी डेवलपमेन्ट कमेटी कब कायम की गई थी और तब से आज तक इस कमेटी का खर्चा और लाभ कितना कि रहा है ?

(३) क्या यह सही है कि आज-कल भाखरा की मंडियों का निर्माण कार्य बन्द पडा है और क्या इसका कारण यह है कि इन मन्डियों के निर्माण–कार्य के लिये चलने वाले भट्टों को कोयला नहीं मिल रहा है ।

उत्तर

(१) भाखरा क्षेत्र में ए, बी, सी, क्लास को मिला कर कुल २१ मंडियां हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है । इसमें एक ए क्लास मन्डी हनुमानगढ जंक्शन और बी क्लास की ६ मंडियां में निर्माण का कार्य चल रहा है; जिनका नाम इस प्रकार है भादरा, नौहर, सूरतगढ, सांगरिया, सादुलशहर और पीलीबंगा ।

(२) भाखरा के निर्माण के सिलसिले में बनाई गई भाखरा मन्डी डेवलपमेन्ट कमेटी श्री शासन सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग जयपुर की विज्ञप्ति संख्या एफ. ६ (१३६) राजस्व (ख)।५६ दिनांक ३१-७-५६ द्वारा कायम की गई थी और तब से आज तक इस कमेटी का सालावार खर्चा और लाभ निम्न प्रकार से रहा :—

वर्ष	निर्माण कार्य व्यय (रुपयों में)
१९५७-५८	१,३८,०००-००
१९५८-५९	४,५०,०००-००
१९५९-६०	१०,०२,०००-००
१९६०-६१	१६,६०,०००-००
१९६१-६२	१५,०३,०००-००
१९६२-६३	१०,००,०००-००
१९६३-६४	२,८९,०००-००
(दिसम्बर ६४ तक)	६०,४२,०००-००

आमदनी (रुपयों में)
२,५०,१३०-५०
१८,६३,५७८-५०
८,७५ ११०-०२
१४,५३,५३९-००
११,०२,७१४-१२
६,०७,१४३-८१
२,५५,५३५-०२
६४,०७,७५२-९७

(३) यह सही नहीं है कि आजकल भाखरा की मंडियों का निर्माण–कार्य बन्द पडा है और न ही इन मन्डियों के निर्माण कार्य के लिये चलने वाले भट्टों के लिये कोयले की कमी है ।

सूची

भाखरा क्षेत्र की मंडियांन की सूची

ए क्लास .. १. हनुमानगढ जंक्शन

बी क्लास १. भादरा
२. नौहर
३. सूरतगढ
४. सांगरिया
५. सादुलशहर
६. पीलीबंगा
७. तलवाडाझील

सी क्लास .. १. हनुमानगढ टाउन
२. ढांबा
३. उज्जलवास
४. टीबी
५. मानकसर
६. धोली पाल
७. बनवाली
८. डबली
९. खनानिया
१०. झांसल
११. नेठराना
१२. फेफाना
१३. पक्कामादवां

परिशिष्ट २

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५ का उत्तर देखिये)

सुजानगढ को पीने के पानी की भयंकर समस्या को हल करने के लिये पानी प्राप्त करने हेतु जल–श्रोतों की बहुत खोज की गई परन्तु सभी प्रयत्न असफल रहे क्योंकि यहां पर पानी के जरिये बहुत कम हैं।

सुजानगढ नगर के आस–पास एक रोज १० मील के क्षेत्र में जैसे डुगरास, जसवन्तगढ, जज्जू लाडलू और सोडवा इत्यादि गांव में पानी के कुओं में बोरिंग किये गये व उनसे प्राप्त होने वाले पानी की तादाद का अनुमान (ईल्ड टैस्ट) लगाया गया तो इन सब जगहों पर १०० गैलन से १५०० गैलन तक व कहीं ४००० गैलन तक पानी प्रति घन्टे प्राप्त किया जा सकता है, जो कि इतनी बडी आबादी के पीने के लिये पर्याप्त नहीं है।

बार बार प्रयत्न करने पर भी अभी तक कोई पानी का ऐसा श्रोत नहीं मिल पाया जिससे कि इस नगर के लिये प्रयाप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। अब इस समस्या को हल करने के लिये एक्सप्लारेटरी ट्यूब वैल आँर्गेनाइजेशन, भारत सरकार को सौंप दिया गया है।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३२८ का उत्तर देखिये)

(१) नगरपालिका, जैसलमेर
(२) ,, गंगाशहर
(३) ,, मेडता
(४) ,, नोहर
(५) नगर पालिका कुशलगढ
(६) ,, सीकर
(७) ,, मुकुन्दगढ,
(८) ,, कोटपूतली
(९) ,, तारानगर
(१०) ,, नीम-का-थाना

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३३० का उत्तर देखिये)

तहसील खारची की शक्कर रिटेलर्स की सूची

क्रम संख्या	नाम रिटेलर्स शक्कर	ग्राम
१	२	३
१.	हस्तीमल	दूसाली
२.	मोहनलाल किरनचन्द	केटालिया
३.	मगराज फतेचन्द ..	,,
४.	लेखसिंह राजपूत ..	वाडन
५.	देवराज धनराज ..	वासनी
६.	नेमीचन्द सुमेरमल ..	पांचेटिया
७.	बोराराम सेशराम ..	बोरनडी
८.	मोहनलाल फते	बेंना
९.	पारूमल खुशाबचन्द	मारवाड़
१०.	धनराज लीकमचन्द	राडधास
११.	प्रेमराज केवलचन्द	राणवास
१२.	बस्तीमल मानीराम	गुडांसूरसिंह
१३.	माईतराज हीरालाल	मिकुडा कलां
१४.	शांतिलाल कपूरचन्द	बोपारी
१५.	माणकचन्द रिखबचन्द	खारण
१६.	ओमप्रकाश हीरालाल	धनला
१७.	भागाराम चौधरी	सबराड
१८.	मीठालाल हुरमचन्द	चैंलावास
१९.	मूलचन्द सोईतराज ..	लीयालिया
२०.	चम्पालाल कुन्दनलाल	सिरीयारी
२१.	श्री ग्राम सहकारी समिति	दुदोड
२२.	,, ,, ..	ग्रावा
२३.	,, ...	अमरसी
२४.	,, ,, ..	जोजावर
२५.	,, ,, ..	धामली
२६.	,, ,, ..	बाडला
२७.	गणेश मार्केटिंग सोसायटी	मारवाला रोड
२८.	ग्राम सेवा सहकारी समिति	देवली
२९.	,, ,, ..	सिनला
३०.	,, ,, ..	जवाडिया
३१.	,, ,, ..	धून्धला
३२.	,, ,, ..	आगदोस
३३.	,, ,, ..	हेमलियाबास खुर्द
३४.	,, ,, ..	मगोग
३५.	,, ,, ..	मीवली मांडा

३६. ग्राम सेवा सहकारी समिति कगाडी

३७. ,, ,, .. गुडारामसिंह

३८. ,, ,, .. पलसावबरी

३९. ,, ,, .. हीगोला खुर्द

४०. ,, ,, .. गुडा केसरी सिंग

खारची तहसील में शक्कर का विवरण तारीख ३१-१-१९६४ तक

क्र. सं.	तादाद बोरी	दिनांक
१.	४३०	१८-५-६३
२.	२८७	८-७-६३
३.	२३०	२-९-६३
४.	२६२	२७-१०-६३
५.	१४२	२४-१०-६३
६.	१४५	३१-१०-६३
७.	१४५	५-१२-६३
८.	२६०	२२-१२-६३
९.	१४५	२२-१-६४
१०.	१४५	२३-१-६४

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, १० अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	१०	गृह-राजस्व	राजस्व
,,	११	—	खाद्य
,,	१२	नियुक्ति-विभाग	नियुक्ति विभाग
३ से २१८	शीर्षक	नोट: (१) इन स्कम्भों में जहां कहीं "१०–अप्रेल, १९६४–" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया यह पढ़ें : "–१० अप्रेल, ६४–"	
३ से ७१		(२) इन स्कम्भों में जहां कहीं "तांकित्त" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया यह पढ़ें : "तारांकित प्रश्नोत्तर"	
४	५	उप मंत्री गृह	उप-मंत्री, गृह
८	१२	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
९	अन्तिम से ४	श्री भरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
११	५	श्री निरजननाथ आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,,	२१	श्री निरंजननाथा आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
१६ से ११८		नोट : इन स्कम्भों में जहां कहीं "श्री मोहनलाल सुखाडिया" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है उनके स्थान पर कृपया यह पढ़ें :— "श्री मोहनलाल सुखाड़िया"	
१९	८	The Chairman	"The Chairman
,,	१३	Governments ?	Government"
,,	अन्तिम से ४	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
२९	,, ६	चंडावत	चूंडावत
३३	२४	Order please Shri	Order please ! Shri
५९	अन्तिम से ६	पुनर्गहीत	पुनर्गृहीत
६८	६	श्री म निकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
७४	१०	पीने का पानी	पीने के पानी
७९	शीर्ष	—	(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)
९२	८	बाढव	बाढ़दार
१०२	शीर्षक	इलेट्रिसिटी बोर्ड	इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

१	२	३	४
१०६	शीर्षक	वस्तुऐं	वस्तुएं
१२३	१	श्री नायूराम मिघा	श्री नाथूराम मिर्धा
,,	५	श्री मूरलीधर	श्री मुरलीधर
,,	२०	,,	,,
१२४	अन्तिम से ५	श्री योगेन्प्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
१३०	,, ,,	: व्यास	व्यास :
१३७	८-६	(इस प्रस्ताव पर.... प्रस्तुत हुए)	[इस प्रस्ताव पर··· प्रस्तुत हुए :-
,,	अन्तिम से ६	("राजस्थान	"राजस्थान
१३८	शीर्षक	(संशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक
१३७ से १८६	शीर्षक	विधान सभा-१० अप्रेल, ६४- (अधि० एवं सदस्यों के परि०) (संशोधन) विधेयक	विधान सभा (अधि० एवं सदस्यों के-१० अप्रेल, ६४-परि०) (संशोधन) विधेयक, ६४
१४६	१७	श्री गिरधारिलाल	श्री गिरधारीलाल
१६८	१०	बाढदार	बाढदार
१७७	१३	श्री सतीशचन्र	श्री सतीशचन्द्र
१७६	शीर्ष	श्री रामानन्द अग्रवाल	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
१८१	२१	अध्यक्ष महोदय,	अध्यक्ष महोदय, ...
,,	२२	order please	order please !
१८५	१७	श्री योगेन्ननाथ	श्री योगेन्द्रनाथ
१८६	अन्तिम से ४	मीन-श्रेत्र	मीन-क्षेत्र
१८७	६	(इस प्रस्ताव	[इस प्रस्ताव
,,	८	श्री जोधासिह	श्री जोधसिह
१८७	१२ से १७	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) श्री रामकिशन (वैर) श्री गिरधारीलाल व्यास(आसीन्द) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) श्री रामकिशन (वैर) श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) श्री योगेन्द्र नाथ हांडा(रायसिंहनगर) श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)
,,	२५	जावेंगी ।")	जावेंगी)"]
१८६	३, ८ व १५	श्री जोधीसिह	श्री जोधसिह
१६२	७	श्री अब्दूल जब्बार।	श्री अब्दुलजब्बार।
२००	शीर्षक	(संनोणन)	(संशोधन)
२०३	,,	मीन-क्षेत्र	राजस्थान मीन-क्षेत्र
२०४	१८-१६	संशोधन इस प्रकार है श्री अब्दुल जब्बार :	श्री अब्दुल जब्बार : [संशोधन इस प्रकार है :--
,,	२४	authority	authority."]
२०५	अन्तिम	वें भी	वे भी
१०२	६	म. पू.	म. प.

१	२	३	४
२१६	२	(समया भाव के कारण प्रश न लिये	(समयाभाव के कारण प्रश्न—समय
२२०		जा	में नलिये जा
२१६	३	रिपोर्ट र	रिपोर्ट पर
२२२	२	श्री जुझारसिह	श्री जुझारसिह
२२७	१४	सिंचाईसमस्या	सिंचाई समस्या
२३१-२३२	शीर्षक	प शष्ट	परिशिष्ट
२३४	१८	हल्के	हल्के में
२३५	६	का सर्वे	का सर्वे,
२४१	१	उत्तप	उत्तर
,,	१०-११	: (रायसिहनगर) :	(रायसिहनगर) :
२४७	२	(२) ,, गंगाशहर	(२) ,, गंगाशहर

*नोट:—विस्तृत शुद्धि-पत्र वाद में पृथक् से मुद्रित होगा।